खण्ड-201, अंक-10
गुरूवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(26 फरवरी, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३९

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती,श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिसम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महंमूद हुसेन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री

रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री

श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चकबन्दी और सहकारी खेती आन्दोलन

१---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में चकबन्दी का कार्य वह (क) बन्द करने या (ख) स्थगित करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---उत्तर प्रदेश में चकबन्बदी योजना का कार्य बन्द करने अथवा स्थगित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि जब सहकारिता आन्दोलन चलाने का विचार है तो चकबन्दी साथ साथ रहेगी या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)---सहकारिता शब्द का अर्थ है रजामन्दी से मिलकर काम करना। जहां के किसान रजामन्दी से सहकारिता खेती कर लेंगे वहां चकबन्दी नहीं चलेगी और जहां के किसान सहकारिता खेती में शामिल नहीं होते हैं वहां चकबन्दी यथापूर्व चलाते रहेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार सहकारिता खेती चलाने से पूर्व किसानों से पूंछेगी कि तुम चकबन्दी चाहते हो या सहकारिता खेती ?

श्री चरणसिंह---चकबन्दी हम हर गांव में करेंगे जब तक कि वह न कहें कि हम कोआपरेटिव फार्मिग चाहते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में चकबन्दी के खर्चे की कोई रकम नहीं रखी गयी है ?

श्री चरणसिंह---यह तो सही नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों में चकबन्दी शुरू हो गई है वहां के लोग लिखकर दे देंगे कि हम सहकारिता खेती करना चाहते हैं तो चकबन्दी वहां स्थगित कर दी जायगी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । लिखकर देने से काम नहीं चलेगा बल्कि जब वह फार्म बना लेंगे और कार्य करने लगेंगे तब हम करेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार, जिस गांव के लोग सहकारिता खेती की इच्छा जाहिर करेंगे, उनको सहायता प्रदान करने की बात सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष---देखिये यह सहकारिता खेती के संबंध में प्रश्न नहीं है, चकबन्दी का प्रश्न है । आप सहकारिता के पीछे लग गये इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार उनको कुछ सहायता देगी जो सहकारिता खेती करना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की ओर से वह क्या सलाह देने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया ।

श्री रामायण राम (जिला देवरिया)---जिन गांवों में चकबन्दी का काम पूरा हो गया है उनमें सहकारिता खेती की चेष्टा की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है । यह तो आप सहकारिता के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जोत हदबन्दी को ध्यान में रखते हुए वह चकबन्दी के काम को स्थगित करना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह---प्रोलिंग आफ लैंड करने या न करने से चकबन्दी पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल कौन कौन से जिले चकबन्दी में लिये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह---नये जिले चकबन्दी में गालिबन अक्तूबर से लिये जायेंगे । अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि कौन-कौन से जिले लिये जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कोई आदेश जारी करने जा रही है कि अब भविष्य में जहां चकबन्दी हो वहां पहले किसानों से पूछ लिया जाय कि आप सहकारी खेती करने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री चरणसिंह---मैं इसका पहले जवाब दे चुका हूं । पूछने का सवाल नहीं है । अगर सहकारी फार्म बना लेंगे तो वहां नहीं करेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूरा गांव सहकारी खेती करने के लिये तैयार हो या कुछ किसान अगर तैयार हो जायं तो उनको भी चकबन्दी से बाहर करेंगे या नहीं ?

श्री चरणसिंह---अभी मैंने इस पर विचार नहीं किया है । लेकिन तैयार होने का सवाल नहीं है । जो किसान सहकारी फार्म बना लेंगे तो चकबन्दी से अपने आप बाहर हो जायेंगे क्योंकि उनका चक बन गया । सारे गांव वाले सहकारी फार्म बनाते हैं तो सारे गांव का चक हो गया ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर किसी गांव के १/४ किसान सहकारी खेती करना शुरू कर देते हैं और ३/४ बाकी रहते हैं तो क्या उस गांव को चकबन्दी कराना माननीय मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने कब कहा कि मैं नहीं आवश्यक समझता । वहां ३/४ रहने वालों के लिये चकबन्दी करा दी जायगी ।

तारांकित प्रश्न

सचिवालय के अस्थायी अपर तथा लोअर डिवीजन कर्मचारी

*१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Civil Secretariat लखनऊ में ३०-९-५८ को कितने unconfirmed lower division assistants और कितने confirmed lower division assistants कार्य कर रहे थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---३० सितम्बर, १९५८, को Civil Secretariat लखनऊ में ७९७ unconfirmed Lower Division Assistants और ३०९ confirmed Lower Division Assistants कार्य कर रहे थे ।

*२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Civil Secretariat लखनऊ में कितने unconfirmed और कितने confirmed upper division assistants ३०-९-५८ को कार्य कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३० सितम्बर, १९५८, को Civil Secretariat लखनऊ में २०१ unconfirmed और ३४६ confirmed Upper Division Assistants कार्य कर रहे थे ।

*३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३० सितम्बर, १९५८ को Civil Secretariat लखनऊ में कितने चपरासी कार्य कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३० सितम्बर, १९५८ को Civil Secretariat लखनऊ में कुल ५०१ चपरासी कार्य कर रहे थे ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोअर डिवीजन में २८.९ प्रतिशत कनफर्म्ड हैं, अपर डिवीजन में लगभग ६४ प्रतिशत और इसी प्रकार लोअर डिवीजन में अनकनफर्म्ड लोगों का प्रतिशत ७२ है और अपर डिवीजन में ३६ प्रतिशत है, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रतिशत का हिसाब तो मैंने लगाया नहीं था । लेकिन जो माननीया सदस्या कहती हैं वह ठीक ही होगा । लेकिन कायदा यह है कि लोअर डिवीजन के लिये एक इम्तहान पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है । उस इम्तहान में जो लोग पास हो जाते हैं वही लोग कनफर्म हो सकते हैं । जो लोग अभी तक पास नहीं हो सके हैं वह कनफर्म नहीं हुए होंगे । जो लोग लोअर डिवीजन का इम्तहान पास होते हैं और तीन साल काम कर चुके होते हैं वह लोग अपर डिवीजन के इम्तहान में बैठ सकते हैं । इसके मानी यह हैं कि जो लोग अपर डिवीजन में हैं वह लोअर डिवीजन में कनफर्म हो चुके हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्ज इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए जो अनकनफर्म्ड असिस्टेंट्स हैं उनको कनफर्म करने के बारे में, सभी को कनफर्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सभी के लिये तो नहीं कह सकता लेकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं । इसीलिये उनके लिये साधारण के अलावा एक स्पेशल इम्तहान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराने का प्रबन्ध किया है और यह भी रखा है कि जो अब तक उन्होंने काम किया है, जो उनका अनुभव है उसके लिये २०० मार्क्स खास तौर से रखे जायं ताकि उनको सुविधा हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने इस नये विचार को देखते हुए यह बतला सकेंगे कि कब तक यह सब लोग स्थायी हो जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सब लोग तो शायद कभी न हों । इसलिये कि इस इम्तहान में अगर कुछ लोग इतनी रियायत देने के बाद भी पास नहीं हुए तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि उनको कभी कनफर्म नहीं करना चाहिये । जो लोग पास हो जायेंगे उनको तो अलबत्ता धीरे-धीरे करके हम कन्फर्म करते जायेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपर डिवीजन में ३४ प्रतिशत से अधिक लोग जो अनकन्फर्म्ड हैं उसका क्या कारण है ? कितने साल में वह कन्फर्म किये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने बताया कि कायदा यह है कि जो लोग लोअर डिवीजन का इम्तहान पास हों और कन्फर्म्ड हों लोअर में और तीन वर्ष तक काम कर चुके हों, वही लोग अपर में कन्फर्म हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इम्तहान होता है, उसमें उनको बैठना होता है ।

श्रमिक आवासों की मरम्मत

*४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य की औद्योगिक बस्तियों के श्रमिक आवासों को मरम्मत के लिये कितने श्रमिक नियुक्त हैं तथा कितने दिनों से ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--(क) कुल १०६ श्रमिक काम कर रहे हैं जिनमें से १६ व्यक्ति मासिक वेतन पर और शेष दैनिक वेतन पर हैं।

(ख) सन् १९५५-५६ से दैनिक मजदूरी पर आवश्यकतानुसार श्रमिक रक्खे जाते हैं।

*५--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त श्रमिक आवासों को ठेकेदारों से मरम्मत करने के लिये गत अक्तूबर मास में टेन्डर भी आमंत्रित किये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विभागीय श्रमिकों के स्थान पर ठेकेदारी प्रथा को प्रश्रय देने का निश्चय किन कारणों से करना पड़ा तथा इससे कितने व्यक्ति बेकार होंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां।

(ख) टेन्डर मांगे जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह पता लगाया जाय कि ठेकेदारों से कार्य करवाने में क्या बचत हो सकती है। इस विषय पर कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। यह अभी विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टेन्डर आमंत्रित किये गए थे उनको देखने से और जो पहले मजदूरी लेते थे उसको देखने से क्या परिणाम निकला है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--परिणाम यह निकला कि सोचने की गुंजायश हो गई है।

श्री मदन पांडेय--सोचने की गुंजायश होने से क्या माननीय मंत्री जी का यह अर्थ है कि दैनिक मजदूरी कराना बन्द कर दिया जाय या उसको जारी रखा जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, मैंने कहा कि प्रश्न विचाराधीन है। अभी कुछ कह नहीं सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो मजदूरों से और ठेकेदारों से अलग अलग, काम के लिए टेंडर मांगे थे उसमें कितने की बचत होती थी जिसके लिए कि टेंडर मांगे गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस बात को बताना, जब तक कि आखिरी फैसला न हो जाय, जनहित में नहीं होगा।

प्रतापपुर चीनी कर्मचारी संघ

*६--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के देवरिया जिले के प्रतापपुर चीनी कर्मचारी संघ की दरख्वास्त रजिस्ट्री के लिये कब प्राप्त हुई थी तथा किन कारणों से अब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--(क) इस नाम की किसी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की दरख्वास्त रजिस्ट्रार के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतापपुर चीनी मिल मजदूरों की कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसकी दरख्वास्त दो साल से पड़ी हुई है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है और पड़े रहने का कारण क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय, प्रश्न सीमित था, इस व्यापक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

झांसी जिले से वृद्धावस्था की पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था की पेन्शन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र उसके पास अभी तक झांसी जिले से आये हैं और उनमें से कितने स्वीकृत तथा कितने अस्वीकृत हुए हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसे प्रार्थना-पत्र कुल १८० प्राप्त हुए। इनमें से २९ पेंशन के लिये स्वीकृत किये गये, १३१ अस्वीकृत हुए तथा २० अभी विचाराधीन हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८० प्रार्थना-पत्रों में से केवल २९ स्वीकृत होने और १३१ अस्वीकृत होने के क्या विशेष कारण हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---नियम में जो आये वह स्वीकृत हुए और नियम के खिलाफ जो हैं वे अस्वीकृत हुए।

अपर दोआब चीनी मिल, शामली द्वारा बोनस वितरण में विलम्ब

*८---श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार यह बता सकती है कि श्रम सचिव द्वारा जारी की गई १५ फरवरी, १९५८ की विज्ञप्ति के अनुसार किस-किस चीनी मिल में कितने-कितने कर्मचारियों को कितना-कितना बोनस बांटा गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---चीनी मिलों द्वारा वितरित बोनस का †विवरण संलग्न है परन्तु किस-किस चीनी मिल ने कितने-कितने कर्मचारियों को कितना कितना बोनस दिया यह सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे संकलित करने में बड़ा परिश्रम होगा और अधिक समय लगेगा।

*९---श्री द्वारिका प्रसाद---क्या सरकार को पता है कि अपर दोआब शुगर मिल, शामली में उक्त सरकारी विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित कुल रकम निश्चित अवधि बीत जाने के बाद अब तक कर्मचारियों में बांटी नहीं गयी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---२,६२,३०० रु० में से २,३१,८५७ रु० का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर तथा ३०,४४३ रुपये का भुगतान बाद में किया।

*१०---श्री द्वारिकाप्रसाद---यदि नहीं बांटी गयी, तो क्या सरकार उक्त मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को सोच रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ३०,४४३ रुपये के भुगतान में देर होने का क्या कारण था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक सवाल मान्यवर, यह उठा था कि जो श्रमिक इन चीनी मिलों में कैपिटल वर्क्स में लगे हुए थे और जो एक्सटेन्शन का काम कर रहे थे उनको भी बोनस मिलेगा या नहीं। फैक्टरी की तरफ से यह सन्देह उत्पन्न हुआ। वह प्रश्न हमारे यहां भेजा गया। उस पर विचार करने और आदेश देने में जो समय लगा उसी कारण यह विलम्ब हुआ।

श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस एक्सटेन्शन वर्क्स में काम करने वाले मजदूरों में किन-किन श्रेणियों के मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया?

---

† विवरण छापा नहीं गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वक्त इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। उसूल यह है कि कैपिटल वर्क्स में जो लगे हुए हैं वह बोनस पाने के हकदार नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल चीनी मिलों में कितना बोनस मजदूरों को दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका जोड़ मेरे पास नहीं है। अलग-अलग चीनी मिलों के फिगर्स मेरे पास हैं जो ६७ मिल के लगभग हैं। उनके जोड़ने में समय लगेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मजदूरों को बोनस देने के सम्बन्ध में शामली मिल ने सरकार को केस रेफर किया उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा कि मैंने निवेदन किया जो श्रमिक उस सीजन में नान-कैपिटल वर्क्स पर काम करते थे उनको बोनस देने का आदेश दिया गया, शेष को नहीं।

चीनी मिलों में एक्सटेंशन वर्क के कर्मचारियों का बोनस

*११---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ के क्रशिंग सीजन में प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में एक्सटेंशन वर्क चले थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१४ चीनी मिलों में एक्सटेंशन वर्क चले जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२८ पर)

*१२---**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन एक्सटेंशन वर्क्स में काम करने वाले कर्मचारियों को सन् १९५६-५७ का बोनस दिया गया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---९ मिलों द्वारा बोनस दिया गया है, ३ मिलों को देना ही नहीं था और केवल २ मिलों ने नहीं दिया जिनमें एक में कार्य आफ-सीजन में हुआ था और दूसरे में कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया था।

*१३---**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनके कारण इन एक्सटेंशन वर्क में कर्मचारियों का बोनस रोका गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न ही नहीं उठता।

गोंडा जिले के खेतिहर मजदूरों के मामले

*१४---**श्री गंगाप्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में ऐसे कृषि फार्मों से सम्बन्धित जिन पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू होता है, खेतिहर मजदूरों के कितने झगड़े श्रम न्यायालय के सामने १ जनवरी, १९५७ से लेकर ३१ अगस्त, १९५८ तक आये और कितनों पर निर्णय हुआ, कितने निर्णय किस के पक्ष में हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक भी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट कितने एकड़ के फार्म पर लागू होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---५० एकड़ और उसके ऊपर।

श्री गंगाप्रसाद—क्या यह सही है कि ३० एकड़ लड़के के नाम और २० एकड़ बाप के नाम है और दोनों मिला कर एक फार्म हो जाता है लेकिन फिर भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं होता ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक फार्म का एक मालिक हो और कानून के अन्तर्गत वह ५० एकड़ का हो तो उस पर वह लागू होता है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार कितने रुपये मासिक खेतिहर मजदूरों को मिलता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जो श्रमिक मिनिमम वेजेज ऐक्ट से कवर होते हैं उनको कम से कम २६ रुपये मासिक या १ रुपया रोज मिलता है बशर्ते कि वह १८ साल के होते हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या ऐसी महंगाई को देखते हुए सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह प्रश्न सारा का सारा बड़े मशविरे से तय हुआ था कि खेती के मजदूरों को क्या दिया जाय। उसकी ऐडवाइजरी कमेटी की भी राय ली गयी थी। इस वक्त इसका कोई सवाल नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री जी ने बतलाया की एक भी नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोंडा जिले में ऐसा फार्म नहीं है जहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं हुआ या केस ही रेफर नहीं किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न ही ऐसा था कि केस रेफर नहीं हुआ ।

इलाहाबाद में सरकारी गृह उद्योग

*१५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कीटगंज मुहल्ले में जो कारखाना दियासलाई का खोला गया था क्या वह अब बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस कारखाने में प्रदेशीय सरकार का कितना धन लगा था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—शून्य।

*१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में इस समय कितने गृह-उद्योग के कार्य सरकार की ओर से चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चार।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये कारखाने किस के द्वारा चलाये जाते हैं और उनमें प्रादेशिक सरकार क्या सहायता देती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कारखाने औद्योगिक सहकारी समिति जो बनी है केन्द्रीय सरकार से ऋण पाकर, वह चला रही है । प्रादेशिक सरकार का उस औद्योगिक समिति के धन से कोई सम्बन्ध नहीं है सिवाय इसके कि वह हमारे कानून के अन्दर हमारे द्वारा रजिस्टर्ड की गयी है। जहां तक कि काम का प्रश्न है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन चाहा और हमने दे दिया। इसके बाद न हमारा कोई उसमें काम है और न दखल।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह चार औद्योगिक कारखाने किन-किन मुहल्लों में खोले गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—४ उद्योग के कारखाने नहीं खोले गये, उद्योग-धंधों के सिलसिले में चार काम किये गये हैं। एक तो है औद्योगिक सहकारी समितियों का। ११ इस तरह की समितियां जिले भर में चल रही हैं। दूसरा काम है वुड सीजनिंग प्लान्ट लगाया गया है लकड़ी को पकाने के लिये। काफी कारबार होता था इमारती लकड़ी का उसके लिये यह किया गया है विभाग की तरफ से। एक हैंडीक्रैफ्ट के लिये बेंचने और खरीदने का सिलसिला होता है माल की बिक्री का, उसका एक केन्द्र खोल दिया है। इसी प्रकार अंम्बर परिश्रमालय है, हिन्दी विद्यापीठ में उसका केन्द्र है और इसके जरिये अम्बर का काम चलाया जा रहा है। लड़के ट्रेन्ड किये जा रहे हैं और काफी काम बढ़ रहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन कारखानों का संचालन कौन करता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सहकारी समितियों को उसके सदस्य और डायरेक्टर देखते हैं। वुड प्लान्ट के लिये सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा एक मैनेजर है जो उसको देखता है। जहां तक अंबर परिश्रमालय का सम्बन्ध है, खादी बोर्ड के द्वारा एक संस्था है जो राजर्षि टंडन जी की हिन्दी विद्यापीठ में स्थापित है और वहां काम चला रही है।

टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

*१८—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश tourist development council का निर्माण कब किया गया ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल का निर्माण २७ जुलाई, १९५६ को किया गया।

*१९—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा अब तक जानकारी हेतु कितनी पुस्तिकाएं छपायी गयीं ?

श्री सुल्तान आलम खां—टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा पर्यटन जानकारी हेतु छपे गये प्रकाशनों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२९ पर)

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल के सदस्य कौन-कौन हैं और उनका कार्यकाल कब तक है ?

श्री सुल्तान आलम खां—टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल के मुख्य मंत्री जी चेयरमैन हैं और उसमें डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, और चीफ कंजरवेटर फारेस्ट, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर इंफार्मेशन, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और गवर्नमेंट आफ इंडिया के ट्रान्सपोर्ट विभाग के एक रिप्रेजेन्टेटिव हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह टूरिस्ट कौंसिल ने अब तक पुस्तिकाओं को छपाने या इस संबंध में कौन-कौन से काम किये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—कई जगहों पर इसने रिसेप्शन सेंटर्स कायम किये हैं और इसके कई केन्द्र हैं, उपकेन्द्र हैं और वहां जो लोग जाते हैं उनको सहूलियत और सुविधा पहुंचाई जाती है जिसकी वजह से यह कामयाब हुए हैं और काफी काम कर रहे हैं और आइन्दा भी काम के बढ़ने की तवक्को है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस टूरिस्ट कौंसिल ने सिफारिश की थी कि जितने भी रीजन हैं उनकी रीजनल टूरिस्ट कमेटीज बनायी जायं ? यदि हां, तो क्या बनायी गयी हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह टूरिस्ट कौंसिल क्या पर्मानेन्ट बाडी बन चुकी है और इसका कार्यकाल निश्चित है ?

श्री सुल्तान आलम खां—टूरिस्ट डेवलपमेंट कौंसिल सन् १९५६ में बनायी गयी थी और एक मुस्तकिल बाडी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें छपवाई गयी हैं उनके लेखक कौन हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुस्तकें छपवाई गयी हैं, यह जानकारी सदन को भी प्राप्त हुई है और यदि हुई है तो उनको सदन की मेज पर भी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—सदन के जो मेम्बर टूरिस्ट की हैसियत से यात्रा करेंगे उनको जरूर मिल सकेंगी।

सूत के लाइसेंस की फीस में कमी

*२०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार ने नवम्बर, १९५८ के प्रथम सप्ताह में "Uttar Pradesh Controlled Cotton and Yarn Dealers Licencing Order", १९५७ के अन्तर्गत कपड़ा एवं सूत के अन्यान्य प्रकार के व्यापारियों से जो लाइसेन्स फीस ली जाती थी उसमें कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३० पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फीस के घटने के कारण क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार को जनता पर कर का बोझ ऐसा रखना होता है जो किसी खास स्थिति में उचित हो। ऐसी स्थिति में यह उचित था कि बोझ कम किया जाय और वह बोझ कम कर दिया गया।

श्री गंगाप्रसादसिंह—अगर तालिका को देखें तो कमी होने के पहले जिसका १०१ था उसका ३० हुआ, जिसका ५१ था उसका ३० हुआ और जिसका ३१ था उसका भी ३० हुआ तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर किस उसूल की बिना पर यह किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वास्तविकता जो थी उसको ध्यान में रखते हुए कि किस क्षेत्र पर बोझ ज्यादा है, कितना कम करना है, इसको देख कर जहां ज्यादा कमी की गुंजायश थी वहां ज्यादा कमी की गई और जहां कम गुंजायश थी वहां कम की गयी।

श्री गंगाप्रसादसिंह—लाइसेन्स फी के घटा देने से इस मद में जो अब रुपया जमा होगा और जो पहले जमा होता था उसमें क्या अन्तर होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक लाख ३० हजार सरकार को कम मिलेगा।

सचिवालय में सेवा के लिए ग्रेजुएशन की कैद

*२१—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार ने हाल में यह निश्चित किया है कि आगे सिविल सेक्रेरियट (Civil Secretariat) के लोअर डिवीजन असिस्टेंट की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल न होकर बी० ए० होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—सिविल सेक्रेटेरियट में जो आज हाई स्कूल पास हैं उन पर इस आर्डर का क्या असर पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज जो हाई स्कूल या इन्टरमीडियेट पास हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तबादला इसलिये किया गया है कि हाई स्कूल का स्टैन्डर्ड गिर गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हाई स्कूल का स्टैंडर्ड चाहे जितना ऊंचा हो, लेकिन बी० ए० से हमेशा नीचा रहता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सेक्रेटेरियट में अन्य क्वालिफिकेशन्स के साथ-साथ उम्र भी कम कर दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं शैक्षिक योग्यता में उसका सवाल नहीं आता है।

*२२-२३—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब

*२४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लखनऊ में बख्शी के तालाब पर कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें किस-किस कार्य की ट्रेनिंग होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, १० अक्तूबर, १९५८ से केन्द्रीय सरकार द्वारा लखनऊ में बख्शी के तालाब पर एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। उस केन्द्र में निम्नलिखित विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है:

(१) सामुदायिक विकास व प्रसार कार्यक्रम की आवश्यकता, उद्देश्य, भूमिका, इतिहास आदि का विस्तृत ज्ञान।
(२) विभिन्न कार्यक्रमों के रूप, विषय, विस्तार एवं विकास।
(३) बी० डी० ओ० के कार्य एक नियोजक तथा एक विकास कार्यकर्त्ता के रूप में।
(४) बी० डी० ओ० के कार्य--कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में।
(५) बी० डी० ओ० के कार्य--एक सफल एवं कुशल प्रशासक के रूप में।
(६) शासकीय बोध एवं मूल्यांकन।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां के ट्रेनिंग पाये हुए लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है या प्रदेशीय सरकार द्वारा ?

श्री सुल्तान आलम खां—अभी तक केंद्रीय सरकार इसका खर्चा देती थी और डायरेक्शन हमारे यहां से होता था, लेकिन अब ये दोनों चीजें केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं। बलवन्त राय मेहता कमेटी ने इवैलुएशन किया था, उसकी सिफारिश पर ऐसा इन्तजाम किया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या प्रदेश के बाहर के भी कुछ ट्रेनी इसमें हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—बाहर के भी हैं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—इस ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण साल भर में कितनी बार होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये कोई सख्त रूल नहीं है कि २ या ४ बार ही हो। जितनी बार जरूरत होती है उतनी बार होता है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—हमारे प्रदेश के बाहर के ट्रेनीज की संख्या कितनी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—नोटिस चाहिये ।

लखनऊ पोलिटेक्निक स्कूल

*२५—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ पोलिटेक्निक स्कूल में कितने क्लासेज हैं और सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस क्लास में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, लखनऊ में कुल २१ कक्षायें हैं और १९५८-५९ में सबसे अधिक विद्यार्थी मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन कक्षा में है ।

बाराबंकी में बस सर्विस बढ़ाने की मांग

*२६—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बाराबंकी सदर से हैदरगढ़ व बाराबंकी से फैजाबाद व बाराबंकी से रामनगर गोंडा तक बस चलाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कबतक ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल इन मार्गों के लेने का कोई विचार नहीं है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बसें चलाई जा रही हैं उनको इस सड़क पर न चलाने के विशेष कारण क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसे जैसे धन मिलता जाता है वैसे वैसे चलाते जाते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि सरकार इस सड़क पर बसें इसीलिये नहीं चला रही है कि प्राइवेट लारी वालों ने सरकार को इसके लिये एप्रोच किया है ?

श्री धर्म सिंह—ऐसी बात नहीं है ।

इलाहाबाद जिले के जुडीशियल अफसर

*२७—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने जुडीशियल अफसर हैं और प्रत्येक कितने समय से इस जिले में तैनात हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

श्री भीखालाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कोई नियम बना रखे हैं कि एक जुडीशियल अफसर एक जिले में कितने समय तक रह सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साधारणतया ३ वर्ष तक एक अफसर एक जगह रहता है ।

*२८---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

एकेश्वर-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गढ़वाल के भवन का अनुदान

*३०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास शिकायत आयी है कि एकेश्वर-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु जिला नियोजन समिति, गढ़वाल तथा नियोजनाधिकारियों द्वारा स्वीकृत रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी नहीं । इस संस्था को सम्बन्धित जिला नियोजन समिति अथवा जिला नियोजनाधिकारियों द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः किसी प्रकार के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस एकेश्वर विद्यालय के निर्माण हेतु अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सूचना की जरूरत है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मानते हुए और इस बात को देखते हुए कि मैंने स्वयं वह कागज देखा है जिसमें जिला नियोजन समिति ने १०,००० रुपया स्वीकार किया है स्कूल की इमारत में, चाहे वह माध्यमिक में हों या उच्चतर में यह अलग बात है, उसे देखते हुए मंत्री जी इसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां---अगर माननीय सदस्य लिखकर भेजें तो मैं जांच करा लूंगा ।

*३१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

केन सेस का बकाया

*३२---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १-११-५८ तक प्रदेश की किन-किन मिलों ने कितना रुपया गन्ना कर के रूप में बाकी रखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१ नवम्बर, १९५८ को इस प्रदेश के जिन चीनी मिलों पर जो केन सेस बकाया था उसका विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है ।

*३३---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कितनी मिलों पर उक्त तिथि तक केन यूनियन की कितनी कमीशन की रकम बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त तारीख तक प्रदेश की ३५ मिलों पर केन यूनियनों के कमीशन की जो रकम बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३२-९३४ पर)

*३४---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---[गृह मन्त्री से सम्बन्धित बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३५-३७---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कटौती

*३८---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन की कमी के कारण जो कटौती हुई है उसमें हमारे प्रदेश की किन-किन योजना में कमी की गयी और वह कितने रुपयों की ?

श्री सुल्तान आलम खां---नियोजन आयोग द्वारा राज्य योजना में कोई कटौती नहीं की गयी हैं ।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, यह उत्तर मेरे सवाल का नहीं है, मैंने नियोजन आयोग का कहीं भी जिक्र नहीं किया है जो उन्होंने उत्तर में कहा है ।

श्री सुल्तान आलम खां---हमारे प्लान में कोई कटौती नहीं हुई है। २५३ करोड़ का प्लान है, उतना ही हम रखना चाहते हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय चरण में निर्माण, शिक्षा और उद्योग विभागों में कटौती हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री सुल्तान आलम खां---हमारे राज्य की २५३ करोड़ रुपया की आउट ले इस प्लान की थी और इसमें खेती-बाड़ी और रिहन्द डैम पर खासतौर से जोर दिया गया था जो प्लान की कोर में आ गये हैं। आयन्दा २ साल के लिये क्या होगा, इस पर हम गौर कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि रामगंगा योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में पहले रखी गयी थी और अब काट दी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ड्राफ्ट में तो बहुत-सी चीजें रखी जाती हैं लेकिन जो चीज अंतिम रूप से प्लान में हो उस पर ही कटौती का प्रश्न उठ सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो प्लान-सीलिंग सन् १९५६ में रखी गयी थी वही अब भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्लान सीलिंग अन्त में जाकर क्या बैठेगी, वह प्लान के आखिरी वर्ष की सूचना मिलने पर ही कहा जा सकता है । अगले २ वर्षों में क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या प्रत्येक जिले के नियोजन अधिकारियों के पास ऐसा सरकयूलर गया है कि माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों को नियोजन से कोई रुपया न दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस ब्यौरे के सवाल के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस ३ वर्षों में दूसरी योजना का व्यय क्या प्लान की सीलिंग के अनुसार ही हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सीलिंग के अनुसार जरूर हुआ, लेकिन बाहर नहीं हुआ ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश के निर्माण विभाग की प्लानिंग के अनुसार जो योजना थी उसमें कटौती करने के बाद दस मुख्य सड़कें रह गयी हैं, तो इस के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से जांच करा कर सही सूचना देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जवाब सही है । यह सच है कि जितना रुपया हमने मांगा है अगर उतना रुपया मंजूर नहीं हुआ तो हमें नुकसान हो जायगा, लेकिन अन्त में उसकी सीलिंग क्या होगी यह तो अन्त में मिलने वाले रुपये की तादाद के ऊपर ही निर्भर करता है ।

*३९---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अधिकारियों के व्यवहार के संबंध में स्मृतिपत्र

*४०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री ४-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि कोड आफ कण्डक्ट के बारे में किस जिले के जिलाधीश के विरुद्ध शिकायत आई है और कब तथा क्या आई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में जो स्मृति-पत्र सरकार ने जारी किये हैं वह जिलाधीश अथवा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर आधारित नहीं हैं । बल्कि आज के बदले हुए युग में उनको यह बताने के लिये हैं कि उनको जनता के साथ और अन्य परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये । अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार के नियम तथा अधिनियम लागू हैं और इस स्मृतिपत्र द्वारा उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है । सभी विभागों क अधिकारियों की जब जब जो जो शिकायतें सरकार के पास आती हैं उन पर पूरी तौर से विचार होता है और आवश्यक जांच इत्यादि करने के पश्चात् सभी मामलों में उचित कार्यवाही की जाती है । सरकार की मंशा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा सभी काम उचित ढंग से हों और यथासम्भव जनता उनके द्वारा सन्तुष्ट हो । इसी मंशा की पूर्ति के लिये समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को कर्त्तव्य पालन के विषय में और अनुशासन के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन आदेशों का आपने जिक्र किया है क्या उन आदेशों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे सदस्यों को उनकी जानकारी हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे याद पड़ता है ४ सितम्बर, १९५८ को वे सदन की मेज पर रख दिये गये थे, लेकिन अगर न भी रखे गये हों तो अब भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वह गोपनीय नहीं हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला । ४-१२-५८ को मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि एक जिले के जिलाधीश के खिलाफ शिकायत आयी थी तो वह किस जिले के जिलाधीश के खिलाफ आयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस स्मृति-पत्र में यही लिखा था कि लोगों के साथ सौजन्य का व्यवहार किया जाय । किसी ने शिकायत की होगी कि उनके साथ सौजन्य का व्यवहार नहीं हुआ । इस पर उनसे कह दिया गया होगा कि अधिक सौजन्य से व्यवहार किया जाय ।

श्री जगवीरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन आदेशों के यहां से जारी होने के बाद मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि उन आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता ।

*४१-४२---**श्री जगवीर सिंह** (जिला बांदा)---[हटा दिये गये ।]

आजमगढ़ जिले में गन्ना सप्लाई

*४३--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष मिलों को गन्ना भेजने की व्यवस्था किन-किन स्टेशनों पर कांटा द्वारा की गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वर्ष आजमगढ़ जिले में मिलों को गन्ना भेजने के लिये जिन स्टेशनों पर कांटा लगाने की व्यवस्था की गयी है उनका विवरण संलग्न-पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

*४४--श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आजमगढ़ जिले से गन्ना फैक्टरियों ने बहुत कम गन्ना खरीदने की योजना बनायी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं ।

एस० डी० ओ०, सफीपुर के विरुद्ध शिकायत

*४५--श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बांगरमऊ, जिला उन्नाव के कुछ सदस्यों ने जिलाधीश उन्नाव, के पास जुलाई, सन् १९५८ में एस० डी० ओ०, सफीपुर, जिला उन्नाव के ऊपर आरोप लगाते हुए पत्र भेजा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

*४६--श्री राजनारायण---उक्त पत्र में वर्णित आरोप क्या थे और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बतायेगी कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों सर्वश्री अभिनंदन प्रसाद, राधेलाल, अनवर हुसेन, राम दुलारे, बुध लाल, मुहम्मद शफी और रफी अहमद ने दस्तखत करके जिलाधीश के पास दरख्वास्त भेजी थी और जिसकी एक कापी हमारे पास और दूसरी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारी सूचना तो यह है कि जुलाई में इस किस्म की शिकायत नहीं आयी, बल्कि जून के महीने में कुछ सदस्यों की ओर से एक शिकायत आयी थी ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी पुनः उस कापी को जो उनके पास आयी है देखने की कृपा करेंगे कि २७-६-५८ को टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों ने जिलाधीश को पत्र लिखा था और उसकी शिकायत सरकारी स्तर पर जुलाई के महीने में की गयी कि जिलाधीश को जो खत लिखा गया था उसका कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष---आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें लिखा है कि कुछ सदस्यों ने जिलाधीश उन्नाव के पास जुलाई, सन् १९५८ में एस० डी० ओ०, सफीपुर, जिला उन्नाव के ऊपर आरोप लगाते हुए पत्र भेजा था । उसी के सम्बन्ध में उन्होंने उत्तर दिया कि जी नहीं ।

श्री राजनारायण---जो सफीपुर के एस० डी० ओ० की शिकायत टाउन एरिया के सदस्यों ने की थी उसकी जांच की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत सरकार के पास नहीं, बल्कि जिलाधीश के पास की गयी थी और उसको एक कापी सरकार के पास भेज दी गयी थी । जिलाधीश ने उसकी जांच की और उस जांच में वह शिकायत गलत मिली ।

श्री राजनारायण---सरकार ने जिलाधीश की उस जांच की कार्यवाही को देखने की कृपा की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई जरूरत नहीं है । हर अहलकार जो जांच की कार्यवाही करता है उसको सरकार दोबारा जांच नहीं करती ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि जिलाधीश ने लिखा है कि जांच की गयी और वह शिकायत निराधार पायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

अल्मोड़ा जिले में खनिज पदार्थों के निकालने के लिए लाइसेंस

*४७---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हुकायूं में खासकर जिला अल्मोड़ा में खोजे गये मैग्नेसाइट, सोप्सा आदि minerals के निकालने के लिये कुछ प्राइवेट कम्पनियों के प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार वहां Mining व Prospecting का लाइसेंस किसी प्राइवेट कम्पनी को दे रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(१) सन् १९५५ से अब तक कुल १५ प्रार्थना-पत्र जिला अल्मोड़ा में Magnesite व Soapstone के prospecting Licence के सम्बन्ध में तीन प्राइवेट कम्पनियों से सरकार के पास आए हैं। इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र Mining Lease के लिए सरकार के पास नहीं आया ।

(२) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से Soapstone के लिए दो Prospecting Licence एक प्राइवेट कम्पनी को दिए गए हैं । एक प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। बाकी १२ प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक वहां कितने मैग्नेसाइट का एस्टिमेट किया गया है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बात यह है कि अभी इसका पूरा अन्दाजा लगाना मुश्किल है । प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है, फिर वे पता लगा कर देखेंगे कि कहां पर और कितना है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में पहले कोई वक्तव्य दिया था कि हमारे यहां लाखों टन मैग्नेसाइट मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैंने यह कहा था कि हमारे यहां कुछ मैग्नेसाइट मिला है, लेकिन कितनी मात्रा में है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। जो अब तक थोड़ा बहुत मिला है उससे अन्दाजा है कि काफी मात्रा में है और अच्छे किस्म का मैग्नेसाइट है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---यह जो लाइसेंस दिया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह किस कम्पनी को दिया गया है और उसके डाइरेक्टर का नाम क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस वक्त कम्पनी और डाइरेक्टर का नाम तो मान्यवर, मेरे पास नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो उनको मैं पूछ कर बतला दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रोस्पेक्टिंग के काम को सरकार ने अपने विशेषज्ञों से न करा कर प्राइवेट कम्पनी को क्यों लाइसेंस दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आमतौर पर ऐसे काम प्राइवेट कम्पनियां ही किया करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस प्राइवेट कम्पनी को प्रोस्पेक्टिंग का लाइसेंस दिया गया है, उसने कोई जांच-पड़ताल की है और क्या कोई रिपोर्ट सरकार के पास उसकी आयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देते वक्त सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं जिलाधीश को कि वह यह देखे कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस उसी को दिया जाय जिसको माइनिंग लाइसेन्स निश्चित रूप से दे दिया गया हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी ने मैग्नेसाइट का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स इसलिये नहीं दिया कि सरकार इसको खुद टेक अप करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विचार तो नहीं कहा जा सकता । इस हद तक तो बात नहीं पहुंची है लेकिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है । केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार दोनों मिल कर कर सकें तो बहुत अच्छा है ।

मझोला तथा किछा में खुलने वाली चीनी मिलें

*४८---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील खटीमा में मझोला नामक स्थान में स्वीकृत गन्ना मिल कब तक खोली जायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह प्रश्न विचाराधीन है ।

*४९---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला नैनीताल में किछा में गन्ना मिल की इमारत तैयार हो गयी है ? यदि हां, तो उसके कब तक खुलने की आशा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---किछा, जिला तैनीताल में गन्ना मिल की कुछ इमारतें तैयार हो गई हैं, और १९६१-६२ तक मिल के चालू होने की आशा की जाती है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री केन डेवलपमेंट कमिश्नर की इस सम्बन्ध में एट दी स्पाट जो फाइंडिंग है उसे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केन डेवलपमेंट कमिश्नर की क्या रिपोर्ट है यह यहां इस वक्त बतलाना जनहित में उचित नहीं होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मझोला कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाली थी उसके खुलने में क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारी कोशिश थी कि ४ फैक्टरियां द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में खोली जायं, उनमें एक मझोला भी थी । उसके न खुलने का कारण यह है कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत हमारे रास्ते में हायल हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा हमने उम्मीद तोड़ी नहीं और कोशिश में लगे हुए हैं ।

श्री प्रतापसिंह---कितने वर्ष इस मिल के खुलने में लगेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ज्यों ही साधन उपलब्ध हो जायंगे हम कोशिश करेंगे लेकिन कहा नहीं जा सकता कि तब तक यह स्कीम जिन्दा भी रहती है जब तक साधन मिलते हैं ।

पुलिस विंग में सम्मिलित प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारी

*५०---**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह प्रान्तीय रक्षा दल विंग पुलिस को पुलिस में शामिल कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी नहीं ।

*५१---**श्री बाबूराम**---यदि हां, तो जोन वर्करों को पुलिस में किस पद पर लिया जायेगा और उनका वेतन क्या होगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्रान्तीय रक्षा दल, पुलिस विंग के वर्कर्स को पुलिस में शामिल कर लिया है क्योंकि ये वही काम करते हैं जो पुलिस करती है ?

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने इस सम्बन्ध में अभी जवाब दिया था कि नहीं किया जा रहा है, और जो लोग अपनी जगह जो काम कर रहे हैं, वह वही काम करते रहेंगे ।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्रान्तीय रक्षा दल के जोन वर्कर जब विंग पुलिस में शामिल किये गये थे तो विश्वास दिलाया गया कि उनको पुलिस में शामिल कर लिया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसा विश्वास दिलाया गया था और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जानकारी कर लूंगा ।

रोडवेज विभाग में टैक्सियां तथा ड्राइवरों के लिए आराम की व्यवस्था

*५२---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन बस स्टेशनों पर मोटर ड्राइवरों के आराम करने के लिये आराम-कक्षों की व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह---सूचना निम्नलिखित है ।

रोजवेज ड्राइवरों के लिये आराम कक्षों की सूची---

(१) गोरखपुर, (२) गोंडा, (३) आजमगढ़, (४) देवरिया, (५) अजमेरीगेट, नई दिल्ली, (६) मेरठ, (७) मुजफ्फरनगर, (८) देहरादून, (९) हरिद्वार, (१०) सहारनपुर, (११) कोटद्वारा, (१२) मुरादाबाद, (१३) भुवाली, (१४) बिजनौर, (१५) बरेली, (१६) शाहजहांपुर, (१७) वाराणसी, (१८) इलाहाबाद, (१९) कानपुर, (२०) चारबाग, लखनऊ, (२१) रायबरेली, (२२) बाराबंकी, (२३) उन्नाव, (२४) कैसरबाग, लखनऊ, (२५) चुन्नीगंज, कानपुर, (२६) महोबा, (२७) फतेहपुर, (२८) बांदा, (२९) आगरा, (३०) मथुरा, (३१) बाह, (३२) राम सवाद, (३३) मैनपुरी, (३४) बरसाना, (३५) फतेहाबाद ।

*५३—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन आराम-कक्षों में ड्राइवरों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

श्री धर्मसिंह—इन आराम-कक्षों में रहने का प्रबन्ध है । रोशनी, पानी, चाय और खाना बनाने के लिये बर्तन तथा शौचालय का भी प्रबन्ध है ।

*५४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग के पास कुल कितनी टैक्सियां हैं ?

श्री धर्मसिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—मंत्री जी बतायेंगे कि आवश्यक सूचना एकत्रित करने में क्या कठिनाई है जिसके कारण इतना विलम्ब हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न तमाम उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है और जब तक पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते तब तक जवाब नहीं दिया जा सकता। इसी कारण से विलम्ब हो रहा है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ड्राइवर अधिकतर बाहर के स्टेशनों में अपनी गाड़ियों में ही सोते हैं, क्योंकि आराम-कक्षों में उनको कोई सुविधा नहीं मिलती ?

श्री धर्मसिंह—अब यों तो जैसे-जैसे धन प्राप्त होता जाता है परिवर्तन करते ही जाते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि ड्राइवरों के लिये जो आराम-कक्ष बने हैं वे वहां के स्टेशन इन्चार्जों के कब्जे में हैं और ड्राइवर बसों में ही सोते हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है । यदि कोई इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मंत्री जी ने जिन स्थानों के नाम लिये हैं उन स्थानों पर ऐसी बसों के ड्राइवर जो शहर से चल कर किसी देहात के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं उनके भी आराम के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री धर्मसिंह—जो मैंने सूची दी है इसी में आराम करने की व्यवस्था है और उन्हीं लोगों के लिये है जिनके लिये माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—जो ड्राइवरों के आराम-कक्ष हैं इनमें कितने ड्राइवरों के एक साथ रहने की व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह—ड्राइवर्स की पोजीशन तो ऐसी होती है कि आते-जाते रहते हैं । इसलिये निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि कितने आदमी एक स्थान पर ठहर जायंगे ।

अफीम की खेती

*५५—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी ऐसी भूमि है जिस पर अफीम की खेती होती है ?

श्री धर्मसिंह—१८,७९२.३२ एकड़ वर्ष १९५८-५९ में।

*५६—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार जिलेवार एकड़ के हिसाब से इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान अन्न संकट की समस्या को देखते हुए सरकार अफीम की खेती के रकबे में कमी करने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता समझती है ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती है बल्कि केन्द्रीय सरकार करती है कि कहां-कहां पर कितनी भूमि में उत्पादन हो सकता है। उन्हीं के द्वारा इसका निर्णय होता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या राज्य सरकार भारतीय सरकार को इस सम्बन्ध में लिखेगी कि भविष्य में अफीम की खेती की भूमि में वृद्धि न हो, इस सम्बन्ध में वह कार्यवाही करे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केन्द्रीय सरकार से जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौता था उसी के अनुसार अफीम की बिक्री जो इस देश की होती थी वह हर साल घटती जा रही है और अगले साल तो वह बिल्कुल खत्म हो जायगी। सिर्फ उतनी अफीम की खेती होगी जो दवाई के काम में आयेगी। इसलिये क्षेत्रफल अपने आप कम हो जायगा।

अलीगढ़ में उद्योगों के लिए ऋण

*५७—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में पहिली अप्रैल, सन् १९५७ से ३१ अगस्त, सन् १९५८ तक किस-किस उद्योग के निमित्त कितने-कितने प्रार्थना-पत्र सरकारी कर्ज के लिये आये और कितने-कितने स्वीकृत हुये ?

*५८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस उद्योग के लिये कितना-कितना धन शहर के उद्योग वालों को मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है।

बेहसा ग्राम में भूमि अध्याप्ति

*५९—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बेहसा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के काश्तकारों की जमीन का उद्योग विभाग द्वारा acquisition किया गया है ? यदि हां, तो किस हेतु और कितनी जमीन का acquisition किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

अलीगढ़ जिले के कम्पलेंट अफसर पर हमला

*६०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो सप्ताह पूर्व अलीगढ़ जिले के कम्पलेन्ट अफसर तथा उनके कुटुम्बीजनों पर उनके निवास-स्थान पर ही कोई घातक हमला हुआ था ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, दो व्यक्ति घायल हुये।

नोट—तारांकित प्रश्न ५६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सरकार ने इस पर कितनी गिरफ्तारियां की हैं और इस सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जो घातक हमला हुआ वह किन परिस्थितियों में हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक। अब तक की छानबीन से ज्ञात होता है कि संभवतः यह हमला उनके निजी चपरासी ने व्यक्तिगत वैमनस्य तथा बदले की भावना से किया था।

*६२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे अंगहीन हो गये हैं तो क्या सरकार उन्हें पेंशन देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय में अभी तक डाक्टरी रिपोर्ट नहीं आई है। अतएव उन्हें पेंशन देने का प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के डिप्लोमा होल्डर्स

*६३—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि औद्योगिक शिक्षा प्राप्त किये गये स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को आधुनिक टेक्निकल ज्ञान के लिये विदेश में एप्रेन्टिसशिप के लिये सरकार की तरफ से क्या वजीफा देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

*६४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स को क्लास २ सर्विस के लिये मान्यता प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब ?

*६५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५५ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स पास शुदा कितने व्यक्ति क्लास २ सर्विस में नियुक्त किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ?

मैनपुरी जिले में सहायता प्राप्त उद्योग

*६६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी उद्योग विभाग से सन् १९५६ ई० में व सन् १९५७ ई० में कौन-कौन से उद्योगों को सहायता दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैनपुरी जिले में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में जिन उद्योगों को सहायता दी गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

सचिवालय के चपरासी

*६७—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ सितम्बर, १९५६ से १ सितम्बर, १९५७ तक अलग-अलग सचिवालय में कितने अस्थायी और स्थायी कर्मचारी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ सितम्बर, १९५६ से १ सितम्बर, १९५७ तक सचिवालय में लगभग १,७८३ अस्थायी और १,१४२ स्थायी कर्मचारी थे।

मुरादाबाद सूत मिल

*६८—श्री महीलाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मुरादाबाद सूत मिल को कोआपरेटिव ढंग से चलाने के लिये विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

बांसी व नौगढ़ में ...-स्टेशनों के निर्माण का आयोजन

*६९—**श्री मथुरा प्रसाद** ...ला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह बस्ती जिले में बांसी व नौगढ़ ब...-स्टेशनों के निमित्त भवन निर्माण तथा यात्री विश्रामगृह निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। बांसी में भूमि-हस्तगत कर ली गई है और आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में बस-स्टेशन और यात्रियों के लिये विश्रामगृह का निर्माण कार्य आरम्भ होगा। नौगढ़ में बस-स्टेशन व विश्रामगृह बनाने के लिये भूमि तलाश की जा रही है। जब भूमि मिल जायेगी तो वहां पर बस-स्टेशन व विश्रामगृह बनाया जायेगा।

हैन्डलूम, हजरतगंज लखनऊ में आग लग जाना

*७०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि गत १६ अक्तूबर, १९५८ को हजरतगंज (लखनऊ) की हैंडलूम के कपड़े की दूकान में रात के समय आग लग गई थी ? यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा कितना नुकसान हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां, परन्तु आग सबेरे के समय लगी थी। बिजली के तार की शार्ट सरकिटिंग (short circuting) के कारण।

(ख) लगभग ७,५०० रुपये का माल जल गया और करीब इतने ही रुपये का माल खराब हो गया।

*७१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त दुकान में पहले भी आग लग चुकी है ? यदि हां, तो कितनी मर्तबा तथा कितना-कितना नुकसान हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) एक बार। जिसमें २४५ रुपये ६५ नये पैसे का नुकसान हुआ था।

टेहरी-गढ़वाल की आदिम जातियों से संबंधित श्री दातार का प्रतिवेदन

*७२—**श्री सूरतचन्द रमोला** (टेहरी-गढ़वाल)—क्या श्री वी० एन० दातार, राज्य-मंत्री, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर जिला टेहरी-गढ़वाल गत जून या मई के महीने में गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उनकी टेहरी-गढ़वाल जिले की पिछड़ी हुई हालत से सम्बद्ध रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री दातार आदिम जाति सेवक संघ के निमंत्रण पर गत जून में टेहरी-गढ़वाल गए थे। उन्होंने दौरे के पश्चात् टेहरी-गढ़वाल में कुछ विकास कार्य से सम्बद्ध सुझाव सरकार को भेजे हैं।

*७३—**श्री सूरतचन्द रमोला**—उन्होंने अपनी उक्त रिपोर्ट में जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है और आगे क्या-क्या करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके सुझाव पर सरकार विचार कर रही है।

*७४—**श्री सूरतचन्द रमोला**—क्या सरकार कृपा करके उनकी उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। रिपोर्ट† की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ?

---

†रिपोर्ट छापी नहीं गई।

अम्बर चर्खा योजना

*७५—श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार प्रदेश में अम्बर चर्खा की योजना को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*७६—श्री शिवमंगलसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में अम्बर चर्खा के कितने केन्द्र इस वर्ष भंग किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शून्य।

*७७—श्री शिवमंगलसिंह—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित ३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया है।]

स्टेट इकोनामिक सर्विस

*७८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार औद्योगिक तथा अन्य अर्थ सम्बन्धी कार्यों के लिये कोई स्टेट इकोनामिक सर्विस बनाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*७९-८०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले के ग्राम सेवक

*८१—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के अन्तर्गत १९५६ व १९५७ व १९५८ में कितने ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग दी गई और उनमें से कितनों को अब तक नौकरी दी गई है ? जो और शेष हैं उनको नौकरी कब तक दी जाने की सम्भावना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल २२२ ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें से १५२ ग्राम सेवकों को नौकरी दी जा चुकी है। एक प्रशिक्षार्थी असफल रहा। शेष ६९ को अप्रैल, १९५९ तक नौकरी मिलने की आशा है।

नियोजन विभाग, एटा में हरिजन क्लर्क न लिया जाना

*८२—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में १९५८ में प्लानिंग विभाग में क्लर्कों के लिये जो इन्टरव्यू हुआ था उसमें कितने हरिजन लिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई भी हरिजन नहीं लिया गया।

चपरासी यूनियन की कथित मांगें

*८३—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश चपरासी यूनियन की तरफ से सन् १९५८ में एक डेपुटेशन मुख्य मंत्री से मिला था ? उसकी क्या-क्या मांग थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश चपरासी यूनियन की तरफ से सन् १९५८ में कोई डेपुटेशन मुख्य मंत्री से नहीं मिला था। उसकी मांगों का प्रश्न ही नहीं उठता।

*८४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रदेश का अधिकारी वर्ग चपरासियों से सरकारी कार्य के अतिरिक्त अपना व्यक्तिगत कार्य भी कराता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। जब कभी ऐसे मामले सरकार के नोटिस में आते हैं, उन पर उचित कार्यवाही की जाती है।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कर्मचारियों के क्वार्टरों का किराया

*८५---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले चौकीदारों गेटमैनों, मेहतरों, कुलियों व चपरासियों से भी मासिक किराया लिया जाता है? यदि हां, तो कितना?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। वेतन का दस प्रतिशत।

*८६---श्री मुक्तिनाथ राय---[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७-८८---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जस्टिस देसाई का लांछन

*८९---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस देसाई ने गत २८ अगस्त, १९५८ को सर्वश्री सरदारी लाल व ओमप्रकाश के मुकदमों में सहारनपुर के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो stricture पास करते हुए अपने निर्णय में यह लिखा था कि:

"One who passes such an order does not deserve to be allowed to perform magisterial duties at all and State Government must entrust the duty of trying criminal cases to persons who are competent to try them. Magistrates should not be invested with summary powers if they are not competent to exercise them" तथा उक्त माननीय जस्टिस के इस आदेश पर कि उनके निर्णय की प्रतिलिपि प्रदेशीय चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाय, उसने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---संबंधित मैजिस्ट्रेट का जवाब मांगा गया है।

*९०---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मैजिस्ट्रेट आजकल किस पद पर काम रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडिशियल आफिसर।

बस्ती जिले के मैजिस्ट्रेट

*९१---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बस्ती जिले में कितने हाकिम परगना तथा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ३ साल से अधिक से काम कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक भी नहीं।

शाहजहांपुर जिले से वृद्धावस्था की पेन्शन के प्रार्थना-पत्र

*९२---श्री रूसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शहजहांपुर में वृद्धावस्था के संबंध में अलग-अलग तहसीलों से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र अधिकारियों को प्राप्त हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेन्शन दी गई है और कितने पत्र विचाराधीन हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला शाहजहांपुर में ४२८ प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के लिये प्राप्त हुए हैं जिनमें से १३२ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई हैं और कोई भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है—

तहसील	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या
शाहजहांपुर	१७८	३४
तिलहर	१०९	३६
पुवायां	५२	११
जलालाबाद	८९	५१
	४२८	१३२

*९३—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में विरनों थाने पर बुकिंग आफिस की आवश्यकता

*९४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले के विरनों थाने पर बुकिंग आफिस खोलने की जो योजना थी वह कब तक कार्यान्वित होने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर क्षेत्र के विरनों थाने पर रोडवेज विभाग द्वारा बुकिंग आफिस खोलने की कोई योजना नहीं है ।

*९५-९६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९७—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर में उद्योग प्रोत्साहन के लिये ऋण

*९८—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि १९५२ से अब तक प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक जौनपुर शहर में इन्डस्ट्री बढ़ाने के निमित्त किन-किन उद्योगों की उन्नति के लिये कितना कितना ऋण दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के घर से फाइल की चोरी

*९९—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुल्तानपुर में १९५८ ई० में जुडीशियल आफीसर के घर से फाइलें चोरी गईं? यदि हां, तो चोरी गई फाइलों वाले मुकदमों का निर्णय किस प्रकार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६ और ७ दिसम्बर, १९५८ के बीच वाली रात को श्री विशन स्वरूप भटनागर, जुडिशल अफसर, मुसाफिरखाना के घर से एक फाइल चोरी हुई ।

सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८ को दोनों फरीकों के पास जो नकलें थीं उनसे फाइल फिर तैयार कर ली गई और उसी दिन फैसला सुना दिया गया ।

*१००--श्री गौरीराम गुप्त--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री उग्रसेन--[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहारनपुर रोजगार दफ्तर

३--श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहारनपुर रोजगार दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने १९५७ व १९५८ में अब तक रजिस्ट्रेशन कराया तथा उनमें कितने व्यक्तियों ने रोजगार पाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सहारनपुर के रोजगार दफ्तर में सन् १९५७ व १९५८ में क्रमशः ६,१९६ व ८,२१२ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया तथा ७५४ व १२९८ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ।

४--श्री जंगबहादुर वर्मा--[१२ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले के बस-स्टेशन

५--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कहां-कहां बस-स्टेशन के लिये सरकारी भवन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--देवरिया जिले में देवरिया, कसिया तथा कुशीनगर में बस-स्टेशनों के लिये सरकारी भवन है ।

बदायूं जिले के पुराने गजटेड अफसर

६--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में ऐसे कितने गजटेड आफिसर हैं जिनको उक्त जिले में कार्य करते हुए ३ साल से अधिक हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आठ ।

७-८--श्री नत्थूसिंह--[न्याय मंत्री से संबंधित २७ फरवरी, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

९--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में बजट वर्ष १९५७-५८ में और दिसम्बर, ५८ तक प्रति तहसील से वृद्धावस्था पेंशन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितने व्यक्तियों को पेशनें दी गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका ब्योरा इस प्रकार है :---

तहसील			जिले में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या		स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
			बजट-वर्ष १९५७-५८	दिसम्बर १९५८	
१---देवरिया	..	..	४	४	३
२---हाटा	..	..	७	१३	७
३---पडरौना	..	..	..	..	..
४---सलेमपुर	..	..	११५	१२६	१२
	योग		१२६	१४३	२२

१०---श्री उग्रसेन---उक्त अवधि में कुल कितना धन वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देवरिया जनपद में दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---देवरिया जनपद में बजट-वर्ष १९५७-५८ में कुल रुपया ४५९.६८ नये पैसे और दिसम्बर, १९५८ तक रुपया २,७२४.६८ नये पैसे पेन्शन के रूप में दिया गया।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---कल श्री प्रतापसिंह जी तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में जिक्र किया था और मैंने उनसे यह कहा था कि वे लिखित उस विषय में मुझे सूचना दें और मैं देखूंगा कि वह अनुमति देने के लायक है या नहीं। श्री प्रताप सिंह का तो कहना यह है कि वित्त मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में इन्कार किया है और कहा कि मेरे पास कोई शिकायतें नहीं पहुंचीं जिन शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछा गया था लेकिन मैंने कार्यवाही देखी और श्री प्रतापसिंह जी को बता दिया कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें इस तरह की कोई नकारात्मक चीज नहीं कही गई है। इसलिए यह शिकायत निराधार है। मैंने उस पर यह फैसला दिया है कि श्री प्रतापसिंह ने वन मंत्री जी के एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति चाही है और आक्षेप किया है कि उन्होंने जानबूझ कर गलत उत्तर दिया है, यह आक्षेप निराधार है। उन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाते समय मंत्री जी के उत्तर के शब्द नहीं लिखे। श्री गोविन्द सिंह बिष्ट के प्रश्न के ऊपर मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था "जी नहीं, अगर लिखित रूप में दी गई होगी तो जो मुनासिब कार्यवाही है वह जरूर की गई होगी।" जिसका अर्थ स्पष्ट है। प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न न होने के कारण मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---पालीवाल जी के सवाल का जवाब तो...

श्री अध्यक्ष---मैंने सब देख कर फैसला दिया और श्री प्रतापसिंह जी को बुलाकर उनके सामने पालीवाल जी का प्रश्न भी पढ़कर सुना दिया, किसी प्रश्न में यह चीज नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मुझे कुछ अर्ज करने दिया जाय....

श्री अध्यक्ष--अर्ज करने की बात नहीं है वह चीज खत्म हो गई । मैंने पूरा पढ़ कर सुना दिया . . .

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो मालूम नहीं है कि आपके पास मेरे तूरक प्रश्न की और माननीय वित्त मंत्री के उत्तर की क्या रिपोर्ट लिखी गई है लेकिन जहां तक मुझे याद है मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच कराई है कि क्या लकड़ी कागज बनाने के काम में लाई गई है और इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था. . .

श्री अध्यक्ष--वह मैं सुनाये देता हूं--प्रश्न यह था कि "क्या माननीय वित्त मंत्री जी इन प्रश्नों को सूचना मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि यह लकड़ी बाहर तो नहीं भेजी गई ?" इस पर उन्होंने कहा--"जी नहीं, जब तक कोई साहब जिम्मेदारी से लिखकर नहीं दें तब तक मैं इसकी जांच कराने को तैयार नहीं हूं । अगर कोई साहब लिख कर देंगे तो जरूर जांच कराई जायगी ।" उससे पहले एक प्रश्न पालीवाल जी ने और किया था कि "क्या सरकार यह पता लगायेगी कि इस फैक्ट्री में लकड़ी कागज बनाने के काम में लायी जाती है या बेची जाती है ?" इस पर उन्होंने कहा कि "ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है, अगर कोई शिकायत आयेगी तो उसकी जांच करायी जायगी ।" आप ने पता लगाने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि शिकायत कीजिये तो पता लगा लिया जायगा । कहीं किसी ने कोई डेफिनिट शिकायत की हो और उन्होंने इन्कार किया हो, ऐसी बात नहीं है । कहीं पर उनका इन्कार प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ ।

अब श्री गोविन्द सिंह जी ने वित्त मंत्री जी के प्रत्युत्तर में दिये हुये भाषण के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है । आक्षेपार्ह भाग मंत्री जी के भाषण का श्री गोविन्दसिंह जी ने नहीं दिया परन्तु जिस संदर्भ में मंत्री जी ने उत्तर दिया था उसको श्री विष्ट ने स्वयं स्पष्ट करने का प्रयत्न अपने मतानुसार किया है । मैंने कार्यवाही में मंत्री जी के भाषण का सम्बन्धित भाग देखा । उसमें किसी प्रकार का भी माननीय सदस्यों के ऊपर अनुचित शब्दों में आक्षेप नहीं किया गया है । सभी सदस्यों को अपनी जानकारी और उसके आधार के सम्बन्ध में अन्दाजा लगाने का और उस पर अपनी राय देने का अधिकार है । यदि उसमें कोई गलतफहमी होती है तो तत्काल जिस सदस्य के सम्बन्ध में गलतफहमी हुई हो उसे अधिकार है कि वह स्पष्टीकरण देने के लिये अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त करे और स्पष्टीकरण दे । विशेषाधिकार का प्रश्न ऐसी बातों में नहीं उठाया जा सकता । प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न न होने के कारण मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कुछ मुझे अर्ज करने दिया जाय । मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप अपना स्पष्टीकरण देना चाहते तो उसी वक्त देते । आप कृपा करके बैठें, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

सच पूछिये तो यह बात उठनी ही नहीं, बल्कि जिस भाषा में आपका भाषण हुआ है, अगर मैं उस वक्त यहां पर बैठा होता तो आपको अपने कुछ शब्दों को वापस लेने को कहता । आपने जो भाषण दिया उसमें सीधा मन्त्री जी पर चार्ज लगा दिया है कि आपने अमुक व्यक्ति को इसलिये ठेका दिया चूंकि अमुक जगह चुनाव हो रहा था । यह आपने मोटिव ऐस्क्राइब करके कहा था और उन्होंने तो केवल यह कहा कि कोई अफसर वहां पर एजीटेशन करता है इसलिए वहां का वातावरण खराब हो गया है और उसकी वजह से इस तरह के प्रश्न उठते हैं । एक अन्दाजा उन्होंने लगाया, कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं था कि आप उसके एजेंट होकर प्रश्न उठाते हैं । आप पर कोई आक्षेप नहीं है । उसको आपने विशेषाधिकार का प्रश्न बना

दिया और दूसरी तरफ आप खुद मंत्री के ऊपर आक्षेप करते हैं कि उन्होंने अमुक ठेका दिया है वह इसलिए कि चुनाव में फायदा उठाया जाय, इस तरह के शब्द मैंने आपके भाषण में देखे। अगर मंत्री जी आपके शब्दों पर एतराज उठाते तो आपके शब्द वापस होने चाहिए थे। यहां पर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। एक दफा पालीवाल जी ने इस विषय में बहुत जोरों से कहा था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न उठाये जायंगे तो सदन का काम चल नहीं सकता। वह प्रश्न टीकाराम जी ने कुछ कहा था उस पर कुछ सदस्यों ने उठाया था। ऐसे प्रश्न अगर तत्काल नहीं उठते हैं और यदि सदस्य अध्यक्ष को मौका नहीं देते हैं कार्यवाही करने का और बाद में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं तो सिवाय विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने के और कोई सदन का अन्य कार्य बाकी नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई भाषण का भाग आक्षेपार्ह मालूम हो गया था तो तत्काल कहना चाहिए था और नहीं तो स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए था, लेकिन बाद में विशेषाधिकार का प्रश्न इस प्रकार उठाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। अगर कोई आक्षेप आपको होता है और मैं नामंजूर कर देता हूं तो मेरे कमरे में आकर मेरा समाधान करना चाहिए कि अनुमति क्यों मुझे देनी चाहिए। यहां पर जब मैं अनुमति नहीं देता हूं तो उस पर अगर आपको बहस करने दी जाय तो वह अनुमति देने के बराबर ही हो जायगा। तो मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यहां माइक्रोफोन से साफ-साफ तो सुनाई देता नहीं। तो जब तक उनकी स्पीच को खुद आंख से नहीं देख लें कि क्या सुना था हमने और दूसरे ने तो उसके लिए आवश्यक है कि रिपोर्ट की नकल हमको मिले। मैंने रिपोर्ट की नकल मांगी, तो वह भी नहीं मिली है। यानी मैं तो अपने को हर तरह से संतुष्ट करना चाहता था...

श्री अध्यक्ष—आप कष्ट नहीं करना चाहते हैं। आप बात यहीं उठाना चाहते हैं अनधिकृत रीति से। आप अगर कष्ट करते मेरे कमरे में आने का तो मैं दिखा देता, लेकिन आप आने का कष्ट नहीं करना चाहते। आप तो चाहते हैं कि अंधेरे में बात पैदा कर दें और यहां पर मैं अनुमति न दूं तो उसके ऊपर बहस करना शुरू कर दें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मुझे कमरों में जाने की आदत कम है।

श्री अध्यक्ष—तो उसका परिणाम जो होगा सो होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आपने कहा कि "मैं उस समय होता तो आपको वापस करने के लिए कहता", तो आपकी अनुपस्थिति में जो सज्जन यहां विराजमान थे उनको तम्बीह की है आपने ?

श्री अध्यक्ष—उनका ध्यान किसी ने आकृष्ट नहीं किया वरना वह भी यही करते। अगर नहीं आकृष्ट किया तो वह खत्म है। इसलिए मैं कहता हूं कि वह खत्म है।

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गणेशदत्त वाजपेयी की भूख-हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अल्मोड़े के भूकम्प के बारे में श्री मोहनसिंह मेहता जी ने नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकर्षित करने के लिये कहा है। मैं समझता हूं कि पहले भी एक दफा जिक्र आ चुका है लेकिन आज के अखबारों में फिर से जिक्र आया है और ११ मार्च के लिये इस विषय पर प्रश्न भी है।

मैं समझता हूं कि जितने आज के प्रश्न आये हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व का श्री राजनारायण जी का है। श्री चन्द्रजीत जी यादव का भी उसी विषय पर है जो इस प्रकार है:—

"रामपुर की चीनी मिलों में तालाबन्दी से हजारों मजदूर बेकार पड़े हैं। मिल मालिक सशस्त्र पुलिस की सहायता से मजदूरों पर बल प्रयोग कर रहे हैं। रामपुर में दफा १४४ लगादी गयी है। मजदूर नेता श्री गणेशदत्त बाजपेयी मजदूरों की मांगों को लेकर भूख

[श्री अध्यक्ष]

हड़ताल कर रहे हैं। कल तक उनका वजन १६ पौंड गिर चुका है उनकी दशा चिन्तनीय है। उपरोक्त परिस्थितियों में जनता एवं मजदूर वर्ग में घोर चिन्ता व्याप्त है। इस महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न की ओर नियम की धारा ५२ के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

श्री राजनारायण जी का इस प्रकार है:—

"कल तारीख २५-२-५९ को रामपुर में दफा १४४ लगा दी गई है, गन्ना मिल के मालिकान जबरदस्ती मिल में गन्ना ले जाना चाहते हैं, सैकड़ों हथियारबन्द पुलिस के जवान मिल के मजदूरों को आतंकित कर जबरदस्ती काम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री गणेशदत्त वाजपेयी मजदूर नेता का अनशन पर बैठने के कारण १२ पौंड वजन घट गया है। स्थिति बड़ी ही विस्फोटक हो गयी है। सरकार अब तक मजदूरों का मामला एडजुडीकेशन में नहीं भेज रही है। श्रम कानून के अन्दर सरकार को मजदूरों का मामला एडजुडीकेशन में भेजना चाहिये। सरकार इतनी परिस्थिति संकटपूर्ण तथा विस्फोटक होने के बावजूद भी क्यों एडजुडीकेशन में नहीं भेज रही है। इसका स्पष्टीकरण कराने के लिये मैं नियमावली की धारा ५२ के अन्दर उपर्युक्त विषय प्रस्तुत करता हूं।"

तो श्री राजनारायण जी ने जो विषय उपस्थित किया है उस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये सम्बन्धित मंत्री जी से कहूंगा क्योंकि उसको मैं अविलम्बनीय महत्व का विषय समझता हूं। जिस वक्त आप चाहें वक्तव्य दें।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—रामपुर मिल का सवाल, जहां तक मुझे याद आता है, इस सदन के सामने पहले भी आ चुका है और जो स्थिति है उसको मैं स्पष्ट कर चुका हूं। वहां के मजदूर गैर-कानूनी रूप से हड़ताल कर रहे हैं और यह सही है कि एक साहब अनशन भी कर रहे हैं। अनशन करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। जहां तक उनके हड़ताल पर जाने का मामला है वह कोर्ट के विचाराधीन है और जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है उस पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने तो खुद ही इस बात को कहा है कि एडजुडीकेशन में वह भेज नहीं रहे हैं। वह कारण बताकर कह सकते हैं कि क्यों नहीं भेजा।

श्री राजनारायण—जहां तक हड़ताल का मामला है वह इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। तो सरकार को उस पर कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अपनी राय कह सकते हैं और उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता क्योंकि अपनी राय तो वह कहेंगे ही।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं जानता नहीं कि किस कोर्ट में मामला है। जरूर होगा। लेकिन मैंने सदन में पहले भी कहा था कि जब तक कि गैर-कानूनी रूप से हड़ताल जारी रहेगी तब तक श्रम कानून के अनुसार जो उसके फायदे हैं वह नहीं मिल सकते। इस सिलसिले में मैं इतनी और सूचना दे दूं कि ५, ६ दिन हुये जब कई सज्जन मसलन् माननीय त्रिलोकी सिंह, माननीय झारखंडेराय, माननीय मदन पांडेय और माननीय उग्रसेन ये लोग मुझसे मिले थे। उनके सामने मैंने यह चीज रखी और वह मुझसे सहमत हुये और उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हड़ताल खत्म हो जाय। मैंने कहा कि हड़ताल खत्म हो, उस वक्त अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कह सकते हैं कि जो कुछ मांग मजदूरों की कानून

के अनुसार है हम उस पर जरूर सहानुभूति के साथ विचार करने को तैयार हैं लेकिन इस परिस्थिति में और किसी अनशन की धमकी से हम कोई खास स्टेप लेने को तैयार नहीं हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ३१ जनवरी को मजदूरों ने नोटिस दी थी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जायगी तो वे हड़ताल पर जायंगे ? यदि हां, तो ३१ जनवरी से लेकर पहली फरवरी तक सरकार ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर हिसाब बहुत गलत नहीं है तो ३१ जनवरी से पहली फरवरी तक तो एक ही दिन हुआ और उस एक दिन के अन्दर क्या कार्रवाई करनी चाहिये मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई की बिल्कुल दुरुस्त की।

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी की बात मैं मानता हूं। मैंने जनवरी का नाम गलती से ले लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ३१ दिसम्बर को जो उन्होंने हड़ताल पर जाने की नोटिस दी तो ३१ दिसम्बर से लेकर ३१ जनवरी तक पूरा एक महीना हो गया इसलिये पहली फरवरी से उनको हड़ताल पर जाने का पूरा हक हो गया। अब हड़ताल उनकी जायज है या नाजायज यह मामला मुन्सिफ के कोर्ट में चला गया है। तो जो ३१ दिसम्बर से ३१ जनवरी तक का समय बीता उसके बीच में सरकार ने उचित कार्यवाही क्यों नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो वही उचित कार्रवाई थी उस अवस्था के लिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां दफा १४४ लगा दी गयी है और सशस्त्र पुलिस तैनात करके मजदूरों को परेशान किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो नोटिस दी गयी है, अध्यक्ष महोदय, उसमें खुद लिखा है कि मिल मालिक जबर्दस्ती गन्ना ले जाना चाहते हैं। तो मिल मालिक के पास तो गन्ना होता नहीं। इसके माने यह हैं कि काश्तकार गन्ना लाना चाहते हैं जिसे कुछ लोग रोकते होंगे। ऐसी हालत में दफा १४४ का लगाया जाना जरूरी था ताकि झगड़ा वगैरह न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी लेबर कमिश्नर को आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे वहां जाकर मजदूरों और मिल मालिक में समझौता करायें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि लेबर के अधिकारी जो उनके करने की बात थी वह वे कर चुके और करते भी होंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि अब तक जनवरी महीने के अर्न्ड वेजेज मजदूरों को नहीं दिये गये हैं और यदि यह सही है तो मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन अगर पेमेंट नहीं हुआ तो मजदूरों को दरख्वास्त देनी चाहिये थी सिविल में या जहां कहीं भी होता हो।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि यह स्ट्राइक नोटिस पेन्डेन्सी के बीच में दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—पेन्डेन्सी का क्या मतलब ?

डाक्टर जयगोपाल—पेन्डेन्सी का मतलब यह है कि कोई दूसरा केस लेबर कोर्ट में या कहीं और चल रहा था, तो उस बीच में स्ट्राइक नोटिस देना इल्लीगल होता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य ने जो कहा, मेरा खयाल है कि वह बात सही है।

श्री राजनारायण—सरकार को जब इस बात की जानकारी है कि जो मजदूरों ने काम किया है उसकी भी एक महीने की तनख़्वाह उनको नहीं मिली है तो क्या सरकार ने कोई कोशिश अपनी ओर से उनको तनख़्वाह दिलाने की की ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो इससे उठता नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—इस फैक्टरी में जब हड़ताल और लाक-आउट दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो लाक-आउट को खत्म कराने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानून यह है कि अगर कोई गैर-कानूनी हड़ताल हो तो मिल मालिक को अख्तियार है कि लाक-आउट कर दे । इसलिये लाक-आउट कानूनी है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जब यह मालूम है कि मिल मालिक ने स्वत. लाक-आउट किया है तो सरकार किस बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचती है कि किसान खुद गन्ना लाना चाहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैंने राजनारायण जी की बात सही मान ली जो उन्होंने लिखी है ।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—भू-राजस्व (मालगुजारी)

***राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी)—लेखा शीर्षक ७—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ६,१८,१३,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस राजस्व विभाग के अनुदान के संबंध में बहुत ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं, थोड़ी बातें कहनी हैं । लेकिन मेरा इरादा यह है कि जो थोड़ा मैं कहूं उस अपनी तकरीर के चार हिस्से रखूंगा । पहला हिस्सा तो यह है कि नियम और अधिनियम (२) उनका अमल-दरामद यानी उनका इम्प्लीटेशन (३) लैंड रिकार्ड्स तथा उनका मैन्टीनेंस वगैरह और (४) मुतफर्रकात ।

जहां तक कानून बनाने की बात है तो जो वर्ष बीत चुका है उसमें कोई बहुत नये कानून नहीं बनाये गये हैं । सिर्फ जमींदारी एबोलीशन लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में एक तरमीम की गई जो तजुर्बे के बाद करना जरूरी थी । अब उसकी तफसील में यहां जाना बेकार है । यहीं से वह विधेयक बना । इसी प्रकार की एक तरमीम कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में की गई है । इन दोनों संशोधित अधिनियमों के अधीन नियम बनाये जा रहे हैं और वह कायदे के मुताबिक गजट किये जायंगे और एतराजात इनवाइट किये जायंगे । इसके बाद फाइनल हो जायंगे । एक छोटा सा अधिनियम बनाया गया है । वह ऐस्टेट या आस्थान की परिभाषा के संबंध में है । इसमें कुछ संदेह थे उनको दूर करने के लिये छोटा सा कानून बनाया गया है । एक कानून नौ जिलों के अंदर, जो गवर्नमेंट ऐस्टेट थीं वह ठेकेदारों के पास थीं तो उनका स्वत्व लेने के लिये या ठेकेदारी खत्म करने के लिये एक कानून बनाया गया है । हमारे ४१ जिलों में गवर्नमेंट ऐस्टेट्स थीं । ३२ जिलों में पहले ही लैंड रिफार्म्स बना दिये गये थे । ९ जिले बच रहे थे और वहां ऐस्टेट्स ठेकेदारों के पास थीं तो उनका स्वत्व लेना आवश्यक था और उसी के बाद भूमि सुधार हो सकता था इसलिये छोटा सा कानून बनाया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, रामपुर रियासत जो अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां ठेकेदारी की प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है और काफी बड़ा इलाका है । इस सिलसिले में एक अधिनियम कई साल हुये विधान मंडल से स्वीकृत हो चुका था लेकिन ठेकेदार हाई कोट में चले गये । वहां वह हार गये लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की । वहां दो ढाई साल लगे । वहां से भी गवर्नमेंट के हक में फैसला हुआ और अब रामपुर के शेष हिस्से में भी भूमि सुधार हो जायगा । इसके अलावा १९५६ से यानी काफी अरसे से लगभग तीन वर्ष से कुमायूं इलाके में जमींदारी समाप्त करने के विषय में एक विधेयक विचाराधीन है । जैसे ही बजट समाप्त हो जायगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल के महीने में हम लोग उस पर विचार करेंगे और वह अधिनियम अगले वर्ष बन जायगा । अब रही कानून पर अमल करने की बात तो सबसे बड़ा काम मुआवजे का था । मुझे इस सदन को बताते खुशी होती है कि वह काम हमारा करीब-करीब पूरा होने वाला है । कुल प्रतिकर एस्टीमेटेड जो बैठता है वह ६८,७५,७०,४०० के करीब है । टोटल नम्बर आफ ड्राफ्ट कम्पेंसेशन रोल्स ६६,८६,००० हैं जो तैयार हुये या करने हैं । तो कोई १०० रुपये के लगभग एक स्टेटमेंट पर प्रतिकर आता है । उन कुल रोल्स में ६६,७९,९०० रोल्स फाइनल हो चुके हैं । केवल ६,००० फाइनल करने शेष हैं यानी १ प्रतिशत । अब इसकी ज्यादा तफसील में न जाकर, अगर कोई माननीय मित्र जानना चाहेंगे, तो मेरे पास सारी तफसील मौजूद है, लेकिन इस वक्त केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रतिकर में से जो ६८ करोड़ बैठने वाला है, ६१,९९,७७,००० यानी ६२ करोड़ के अदायगी हो चुकी है । ४६,३६,४९००० के बांड्स दिये जा चुके हैं और १५,६३,००,००० कैश दिया जा चुका है । जो बांड्स दिये जा चुके हैं इसकी भी छः सालों की किस्तें लोग बाग अपनी वसूल कर चुके हैं । यह तो रहा प्रतिकर ।

पुनर्वासन अनुदान और है जो कि १०,००० रुपया से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार को पाने का अधिकार था । उसकी बाबत हमारा अनुमान यह है कि ७० करोड़ रुपये के करीब रकम आयेगी । पुनर्वासन अनुदान देने का भी काम शुरू हो चुका है । ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ४,४३,२४४ प्रार्थना-पत्र आ ये थे, जिनमें से ३,९८,००० का फैसला हो चुका है । ३० करोड़ ४५ लाख २१ हजार उसकी रकम बैठी । इसकी अदायगी का जहां तक सम्बन्ध है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं कि १२,७२,००,००० उसमें से रकम दी जा चुकी है । १२,१८,००,००० बांड्स की शकल में और शेष रकम नकदी के रूप में । अध्यक्ष महोदय, अब यह जो जमींदार थे उनमें यह जो व्यक्ति थे, परसन्स थे, अलग-अलग, उनके तो कम्पेन्सेशन, रिहैबिलिटेशन की बात मैंने बतलायी । अब इसके अलावा इंस्टीट्यूशन्स, चैरिटेबिल ऐंड रेलीजस वक्फ्स, एन्डाउमेंट्स, उनको जो ऐन्यूइटी दी जा रही है.....

एक सदस्य---इसकी हिन्दी क्या है ?

श्री चरणसिंह---ऐन्यूइटी का मतलब यह है कि सदैव के लिये जो सालाना उनको रकम दी जायगी । जो यह दानोत्तर या धर्मोत्तर संस्थायें हैं यानी जिनमें शिक्षा का काम होता है या कोई औषधालय वगैरह खुला है या और कोई दान का काम जहां होता है, या धर्म का काम होता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन्स, ऐसी संस्थाओं को हमने एक मुश्त रकम नहीं दे दी बल्कि उनको जो सालाना आमदनी होती थी वह होती रहेगी । उसके लिये कानून में यह इन्तजाम था कि वह आमदनी हमेशा उनको होती रहेगी और वह रकम सालाना उनको दी जायगी । उसके लिये लफ्ज आया ऐन्यूइटी । तो इस ऐन्यूइटी के जारी करने में बहुत कानूनी पेचीदगियां थीं । उनको सुलझाने में हमको देर बहुत लगी । इसलिये अन्तरिम समय के लिये अन्तरिम उनका भुगतान किया गया, रकम उनको दी गई । वह इस प्रकार है कि २५,४३,९२७ रुपया पिछले वर्ष उनको दिया गया था अन्तरिम ऐन्यूइटी के तौर पर और मुश्तकिल तौर पर ऐन्यूइटी जारी हो जाय उसके लिये दरख्वास्तें हमारे यहां कुल अब तक आई हैं १,२५४ । उसमें से ७८० गजट के अन्दर प्रकाशित हो चुकी हैं । उनको गजट करना होता है । उन ७८० में से ४५५ मंजूर हो चुकीं एतराज सुनने के बाद । ४९ खारिज हुईं । बाकी जेरे तजवीज हैं ।

[श्री चरणसिंह]

इसके अलावा जो पुराने जमींदारों के सीर के गैर दखली काश्तकार थे छोटे जमींदारों के, २५० रुपया मालगुजारी देने वाले जमींदारों के जो सीर के नान-आक्यूपेंसी टेनेंट्स थे वह तो सीरदार तभी बना दिये गये थे सन् ५२ में लेकिन छोटे जमींदारों के सीर के जो नान-आक्यूपेंसी टेनेंट्स थे और जो काश्तकारों के उप-काश्तकार थे, शिकमी थे, उनको हमने अधिवासी घोषित किया था और फिर सन् ५४ में इनको भी सीरदार करार दे दिया। तो उन शिकमी काश्तकारों के टेनेंट्स इन चीफ को काश्तकारान असली को, छोटे जमींदारों के, जब हमने उनके यह हक लिये तो उनको कम्पेंसेशन देना कानून में तय किया। तो उस कम्पेंसेशन की अदायगी के सिलसिले में जो काम हुआ है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बता देना चाहता हूं कि ३८,८८,१७२ कम्पेंसेशन स्टेटमेंट्स तैयार हो चुके हैं। कुल स्टेटमेंट हमको तैयार करने थे ४० लाख के करीब। मेरे पास ठीक फीगर्स नहीं हैं, ४० लाख से कुछ ज्यादा है। उसमें से ३८ लाख और कुछ हजार हो चुका। इससे मालूम होगा कि कितना काम हुआ। कुछ लाख सवा लाख और बाकी है। अब इसकी जो रकम बैठती है वह बैठती है ११,१६,००,००० लाख रुपया इन ३८ लाख केसेज में। इसमें ३,१३,८६,००० रुपया अदा हो चुका है। यह जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लैंड रिफार्म ऐक्ट के मातहत कम्पेंसेशन का जो काम किया जा रहा है उसका ब्यौरा मैंने सदन को बताया। यह काम अब ढर्रे पर पड़ा हुआ है और यह जल्दी ही समाप्त हो जाय इसके लिये ऊपर से तकाजा होता रहता है। अब कोई नई बात उसमें नहीं होती है।

जो सबसे बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है वह चकबन्दी का काम है। यह चकबन्दी का काम अब हमारे यहां ३२ जिलों में चल रहा है। उनमें से ४ जिले मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद में एक-एक तहसील में इस पिछले वर्ष में काम हो चुका है। मेरठ और बुलन्दशहर तथा कुछ और जिलों में दूसरी तहसील ले ली गई है। इस साल हमने इस बजट में इसके लिये १,६०,००,००० रुपया रखा है। उसमें १३,९७,५०० रुपया नये जिलों को लेने के लिये रखा गया है। इन जिलों में जो खर्चा होगा वह भी इस रकम में शामिल है। जो चकबन्दी का खर्चा वसूल किया जा रहा है वह अभी तक कई कारणों से तय नहीं हो पाया है कि काश्तकारों से कितना खर्चा वसूल किया जाय, लेकिन नियमावली में दिया हुआ है कि डेढ़ रुपया पर एकड़ शुरू में वसूल किया जा सकता है। अनुमान के तौर पर कोई ३० लाख रुपया ३१ मार्च तक वसूल हो जायगा। जो खर्चा चकबन्दी में अब तक हुआ है वह ३,७५,००,००० रुपया है। चकबन्दी का काम इस वक्त १३,००० गांवों में चल रहा है और ३१ दिसम्बर, सन् १९५८ तक ६,९३६ गांवों में चकबन्दी की स्कीम फाइनल हो चुकी थी और ६,४७७ गांवों में कब्जे की अदला बदली हो चुकी है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---जो ५ जिले आप लेने वाले हैं वह कौन से हैं ?

श्री चरणसिंह---अभी हमने पूर्णतः निश्चित नहीं किया है। अपने दिमाग में है, लेकिन अभी उसके लिये आदेश जारी नहीं हुये हैं। तो मैं यह कह रहा था कि ६,४७७ गांवों में नये चकों पर अदला बदली का कब्जा दिया जा चुका है। ३१ दिसम्बर, को अब दो महीने बीतने आ रहे हैं तो ७ हजार गांवों में नये चकों पर कब्जा दिया जा चुका होगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---३,७५,००,००० रुपया जो आपने खर्चा बताया वह प्रान्तीय सरकार का है या जो केन्द्रीय सरकार ने दिया है वह भी इसी में शामिल है ?

श्री चरणसिंह---यह मैंने कुल खर्चा बताया। अभी तक ६,४७७ गांवों में चकबन्दी के लिये कब्जे की अदला बदली हो चुकी है वह २३,२५,००० एकड़ जमीन पर हुई है और उसमें ६१,६०,००० खेत थे और जो चक हुये, वह ११,६४,००० हैं। तो इस हिसाब से ११ खेतों के २ चक हुये। जिन किसानों को एक चक मिला उनका औसत लगभग ५३ फीसदी है। इतने लोगों को अपनी जमीन का एक चक मिला। २१ फीसदी किसानों को २ चक मिले। इसके अलावा और जो किसान बाकी बचे हैं उनको २ प्रतिशत से ज्यादा चक मिले हैं। अब कंसोलि-

डेशन कमिश्नर साहब ने सैटिलमेंट अफसरों के यह जहन नशीन करने की कोशिश की है कि कोशिश यह की जाय कि ७५ फीसदी किसानों को एक चक मिले और २० फीसदी को २, और २० फीसदी से आगे जो ५ फीसदी बचे, उन्हें अगर आवश्यक हो तो २ से ज्यादा चक दिये जायं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह की जाय कि एक ही चक किसानों को मिले, लेकिन यह मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जमीन की किस्म का सवाल है, उसके एक फसली तथा दो फसली होने का सवाल है। कोई इरिगेटेड लैंड है और कोई नहीं है। तो इसलिये यह मुमकिन नहीं होता, लेकिन कोशिश यह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा को एक ही चक मिले।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो नये राज-कर्मचारी भर्ती किये जाते थे कंसालिडेशन में काम करने के लिये उनके लिये ४, ५ महीने के लिये कहीं एडहाक अरेंजमेंट कर लिया जाता था ट्रेनिंग आदि का। अब हमने दो मुस्तकिल तौर पर स्कूल खोल दिये हैं---एक रायबरेली जिले के शिवगढ़ में और दूसरा मुरादाबाद के बिलारी में इन आफिसर्स की ट्रेनिंग के लिये और अगर जरूरत हो तो रिफ्रेशर कोर्स के लिये। जरूरत पड़ी और वैसे भी जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी भारी जरूरत जो थी वह यह कि कंसालिडेशन लेखपाल अब नहीं मिल रहे थे। पहले तो जो लोग पटवारगीरी से इस्तीफा दे गये थे उनका एक रिजर्व हमारे पास था। जिनका रेकार्ड अच्छा था उनको हम कंसालिडेशन में लेखपाल बना दिया करते थे, अब वह रिजर्व भी खत्म हो गया और उन में से बहुत से निकाले भी जा चुके हैं। तो वह ट्रेन्ड लोग थे। इसलिये अब हमको ट्रेन्ड लेखपाल नहीं मिल रहे थे। तो इसलिये और भी आवश्यक हो गया था कि इस तरह का परमानेन्ट ट्रेनिंग स्कूल एक खोला जाय। तो इस के लिये दो स्कूल खोल दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब यह चकबन्दी का काम ऐसा है कि इसमें लालच में फंसने की गुंजायश बहुत ज्यादा है और बहुत से किसान नावाकिफ हैं और हर आदमी यह चाहता है कि अपना चक बेहतर हो और अच्छे से अच्छा खेत अपने पास आ जाय। तो इस में इसलिये भ्रष्टाचार करने के लिये बहुत ज्यादा अपार्चुनिटी है जितनी शायद और किसी स्कीम में नहीं है। हर किसान से इसका ताल्लुक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ कोशिश की जाती है कि भ्रष्टाचार न होने पाये, न फैलने पाये। इसी दृष्टि से पिछले वर्ष यानी अप्रैल १९५७ में मैंने सब माननीय मित्रों से यह दरख्वास्त की थी कि अगर उन के पास कोई शिकायत आये तो जरा अपनी तसल्ली कर लें और अगर उनको ही एखलाकी यकीन हो जाय और वह मुझको यह लिखकर भेज दें कि उन्होंने तहकीकात कर ली तो मैं यह प्रिज्यूम कर के कि वाकई उस कर्मचारी की गलती है उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दूंगा और जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि वह ईमानदार है और उसके खिलाफ की गयी शिकायत गलत है उसे नहीं रखा जायगा अध्यक्ष महोदय, इस से ज्यादा गवर्नमेंट के लिये करना नामुमकिन था। राज-कर्मचारी हैं। वह काम कर रहे हैं। बड़े अफसर हैं और उनका कर्त्तव्य है कि भ्रष्टाचार को रोकें, एफीशियेन्सी से, ईमानदारी से काम करायें। अगर फिर भी शिकायत हैं जन-प्रतिनिधियों को तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का एक आफर देना, मैं नहीं समझता कि इस से ज्यादा, और क्या किया जा सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने यह आफर दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि इस आफर का एडवांटेज या इस आफर के फलस्वरूप मेरे पास बहुत कम मित्रों की शिकायतें आयीं।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)---होंगी तभी तो आयेंगी।

श्री चरण सिंह---जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं, भ्रष्टाचार होगा तभी तो शिकायत आयेगी। सही है। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैंने ऐसा आफर किया जो शायद बहुत कम ने किया होगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय बंशीधर जी को, चकबन्दी की कितनी टांगें होती हैं यह शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि उनके जिले में चकबन्दी नहीं हो रही है। हां, क्योंकि उनको कविता करने का शौक है इसलिये हो सकता है कि उन्होंने कोई कविता कर दी हो। मैं पूछना चाहता

[श्री चरणसिंह]

हूं कि जिन सदस्यों के यहां चकबन्दी हो रही है उन्होंने कोई शिकायत लिखकर भेजी हो और मैंने उस पर कोई कार्यवाही न की हो ? इसके बाद बंशीधर जी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रहता ।

अध्यक्ष महोदय, कितनी कार्यवाही की गई वह इस तरह से है । हमारे यहां कुल कंसालिडेशन आफिसर्स १४५ हैं जिनके खिलाफ २२५ शिकायतें आईं । एक आफिसर के खिलाफ कई-कई शिकायतें आईं इसलिये शिकायतों की तादाद बढ़ गई । इन शिकायतों में से १५२ निराधर पाई गईं । ४८ आदमियों को या तो हमने डिसमिस कर दिया या उनको सर्विसेज टर्मिनेट कर दीं और १२६ को या तो हम ने ट्रान्सफर कर दिया या सेन्सर किया । इसी तरह से असिस्टेन्ट कन्सालिडेशन आफिसर्स हैं ७०४ जिनके खिलाफ १,३६३ शिकायतें आईं । इनमें से ९६८ निराधर पाई गईं यानी ७० फीसदी निराधार पाई गईं और ३० फीसदी जो सही पाई गईं उसके फलस्वरूप २०५ आफिसर्स को यानी ७०४ में से २०५ की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई और ५० का या तो ट्रान्सफर किया गया या सेन्सर किया गया । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कुल कन्सालिडेटर्स हैं १,६२० जिनके खिलाफ १,१२३ शिकायतें आईं जिनमें ५६५ सही पाई गईं । इनमें से ३२६ का या तो डिस्मिसल या टर्मिनेशन हुआ, २५२ का ट्रान्सफर या सेन्सर हुआ। इसी तरह से कन्सालिडेशन लेखपाल ७,९१२ हैं जिनके खिलाफ २,९४१ शिकायतें आईं जिनमें ६८१ सही पाई गई, यानी २५ फीसदी सही पाई गईं । इनमें २६२ को ट्रान्सफर या सेन्सर किया गया और २,४२७ को या तो डिस्मिस किया गया या टर्मिनेट किया गया । अध्यक्ष महोदय, यह आखिरी फीगर कुछ गलत मालूम होती है इसलिये बाद में मालूम करके इसको सही कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून के इम्पलीमेंन्टेशन का सवाल है वह मैंने आपकी इजाजत से सदन के सामने रखा, उसका विवरण बताया । अब जहां तक लैंड रिकार्ड्स का ताल्लुक है कि वे अच्छी प्रकार मेनटेन किये जायं और गलतियां दुरुस्त की जायं उसके सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो किया है वह यह कि कुछ तो जैसे जो लैंड रिकार्ड्स का स्टाफ है उस के सिलसिले में मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं । प्रमोशन आदि के सम्बन्ध में, स्ट्रेन्थ बढ़ाने-घटाने के सम्बन्ध में, ट्रेनिंग के सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने इस वर्ष किया है उसको बताना चाहता हूं । डिमार्केशन रिकार्ड सर्वे आपरेशन्स , सेटिलमेन्ट आपरेशन्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, जितने कानूनगो हमारे यहां हैं उनके लिये यह तय किया गया है कि आगे से एक तिहाई डायरेक्टली रिक्रूट किये जायेंगे, एक तिहाई लेखपालों में से प्रमोशन पायेंगे और एक तिहाई कंसोलिडेटर्स और सर्वे अमीनों में से प्रमोशन पायेंगे । अब तक कन्सोलिडेटर्स और सर्वे अमीनों में से कानूनगो बनाये जाने का कानून नहीं था ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सर्वे का काम काफी चल रहा है और सेटिलमेन्ट जो कुमायूं में चल रहा है तथा कन्सोलिडेशन के कामों के लिये ट्रेन्ड अमीनों की आवश्यकता है, जो सर्वे के काम को जानते हों । पहले तो तकसीम के केसेज बहुत चला करते थे और जब जमींदारी थी तो सेटिलमेंट का काम चला ही करता था, इसलिये तब तो ऐसा स्टाफ रिजर्व में रहा ही करता था और जरूरत के वक्त गवर्नमेंट को अवेलेबिल हो जाय, लेकिन अब वह चीज खत्म हो गयी उसका नतीजा यह हुआ कि ट्रेन्ड आफीसर्स भी नहीं मिल रहे हैं । अब जो आफीसर्स चकबन्दी में काम कर रहे हैं वे अच्छे एस० डी० ओ० और कलेक्टर साबित होंगे । पुराने आफिसरों में २-३ आफीसर्स रह गये हैं, मौजूदा रेवेन्यू सेक्रेटरी भी उनमें से एक हैं, जिनको सेटिलमेंट आपरेशन्स का तजुर्बा है । इस समय मैं लोअर स्टाफ की बात कह रहा हूं । इसलिये रामपुर का जो कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें २०० सर्वे अमीनों को ट्रेंड करने का इन्तजाम किया जा रहा है, तीन बैचेज में ६०-६० और ७०-७० की तादाद में । उनको ९ महीने ट्रेनिंग मिलेगी ।

इसके अलावा एक और बात माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं, जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं की, वह यह है कि पिछले वर्ष जनवरी, १९५८ से यह किया गया था, इसके आर्डर सं

दिसम्बर, १९५७ में भेज दिये गये थे। जिनके द्वारा सब माननीय सदस्यों को यह अधिकार दिया गया था कि अपने-अपने हल्कों के अन्दर वे खराब से खराब ५ गांवों को चुन लें, जहां कि लैंड रिकार्ड्स में खराबी हो तथा वहां के तहसीलदार या कलेक्टर के साथ वे वहां जा सकते हैं। मैं जिनकी पीछे से आवाज सुन रहा हूं उनके जिले में भी गये थे। हर विधायक को इसकी इत्तला दी गयी थी। हो सकता है कि किसी को किसी वजह से न मिली हो या कहीं मिसप्लेस हो गयी हो। दूसरी बात यह है कि मैंने बजट के वक्त भी कह दिया था और सवालों के जवाब में भी कह दिया था कि ऐसी स्कीम है। लेकिन इस स्कीम का कुल ६७ एम० एल० ए० ने फायदा उठाया केवल १७ प्रतिशत ने। १३ गांवों की पड़ताल हुई और औसत ३ गांवों का पड़ा। ५ गांवों में हर एक को जाने का अधिकार था लेकिन कोई दो गांवों में गये, कोई एक गांव में गया और कुछ लोग ५ गांवों में भी गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो गलतियां पकड़ी गयीं उन गलतियों का औसत सुन लीजिये। मैप की १.५ परसेंट, खतौनी की ७ परसेंट और खसरे की ९.६ परसेंट गलतियां पाई गईं। इन गलतियों के बारे में जो हमारे आफिसर हैं और बहुत एक्सपर्ट तथा तजुर्बेकार हैं, उन्होंने कहा कि इतने परसेंटेज की गलतियां यह साबित करती हैं कि रेकर्ड्स का रिजनेबिल और सेटिसफैक्टरी मेंटिनेंस है। कम से कम यह इतना साबित तो करती है कि जितनी लेखपाल के खिलाफ हम लोगों को शिकायतें हैं वे सही नहीं हैं। हम लोग बहुत जल्दी जेनरलाइज कर देते हैं, यही हमारी शिकायत रहती है। तो अब इसके खिलाफ भी कुछ दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जब हमारी तरफ से आफर किया गया कि कोई ५ गांव आप चुन लें तो जिन मित्रों ने गांव चुने होंगे वे कुदरतन ऐसे गांव चुने होंगे जिनको वे वर्स्ट समझते होंगे अपने इलाके में। तो जो वर्स्ट २१३ गांव थे जिनमें हमारे दोस्त तहसीलदार और एस० डी० ओज० के साथ गये तो गलतियों का यह एवरेज उन्होंने पाया। मैं आपसे टांग डिमान्ड नहीं करता हूं लेकिन आप मेरी यह मदद करें कि उन गरीब लेखपालों पर आगे को कुछ मेहरबानी रखी जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में पहले कुछ लोग चोरी करते थे। मेरे एक ताऊ थे जो दूसरी बिरादरी के थे लेकिन हम उनको ताऊजी कहा करते थे। उन्होंने भी दो-चार बार चोरी की थी और वह चोरी भी कैटिल लिफ्टिंग की। यह आज से ५० साल पहले की बात है। वह हम लोगों को यह बतलाया करते थे कि भैया चोरी के लिये बाकायदा ट्रेनिंग लोगों को दी जाया करती थी। पहले जमाने में ऐसा समझा जाता था कि उस घर में शादी नहीं होती थी जो पक्का चोर साबित न हो। कुछ लोगों में यह था। मैंने उनसे पूछा कि कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग यह दी जाती थी कि अगर पुलिस पकड़ ले और मरम्मत खूब करे तो भी बकरी की चार टांग न बताओ, तीन टांग ही आखिर तक कहते रहो, जिससे यह समझा जाय कि वह पक्का चोर हो गया। तभी शादी की जा सकती थी। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से मेरे दोस्त बकरी की तीन टांग ही बतायेंगे, चार नहीं बता सकते। मैं क्या करूं इसके लिये। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि २१३ वर्स्ट गांव जिनमें ६७ एम० एल० ए० गये और मिस्टेक का एवरेज यह पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, अब रहा यह कि आगे को यह स्कीम रखी गयी है कि नहीं रखी गयी है। उसके मुताल्लिक मुझे एक बात कहनी है। एक जिले का यह तजुर्बा हुआ लेकिन मैं जिले का नाम नहीं लूंगा और उस मित्र का भी नाम नहीं लूंगा। वे इधर के बैठने वाले नहीं हैं, उधर के ही बैठने वाले हैं, इतना अता पता बतला देता हूं। तो वह जब गांव में गये और जिस ढंग से गलतियां देखीं, ढंग सही रहा होगा, तो मुझ पर और कुछ हमारे अफसरान पर यह असर पड़ा कि पोलिटिकल कंसिडरेशंस आ रहे हैं इसमें। लिहाजा बोर्ड ने यह एडवाइस किया गवर्नमेंट को आगे को कि यह स्कीम बन्द की जाय। अब हमने इस पर यह तय किया है आगे को कि जो मित्र खुद जाना चाहते हों, किसी गांव की परताल और रेकार्ड गलत समझते हैं, लेखपाल

[श्री चरणसिंह]

को बहुत निकम्मा समझते हैं तो एस० डी० ओ० या कलेक्टर को यह लिख कर भेज दें कि फलां गांव में वे एस० डी० ओ० या तहसीलदार के साथ परताल के लिये जाना चाहते हैं। उनको वह मौका दिया जायगा और वे इससे फायदा उठायें।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह तारीख कैसे तय होगी?

श्री चरणसिंह—तारीख वह तय करेंगे कि फलां तारीख को जायंगे। यह नहीं हो सकता कि आप विधान सभा में बैठे रहें और जब तक विधान सभा की मीटिंग खत्म न हो जाय तब तक परताल न हो। परताल तो होगी ही। उसके लिये तो एक निश्चित समय होता है। आपको दोनों चीजों में एक चीज तलाश करनी होगी। अगर आप वहां हों और आफिसर छुट्टी पर गया हो तो आप को इत्तला मिल जायगी कि फलां तारीख को उस गांव में वह जायंगे।

अब खसरे की कैफियत के खाने में इन्दराज करने का अधिकार लेखपाल को दिया गया है। उसके मुताल्लिक अक्सर शिकायतें आती हैं गलत इन्दराज की। हमने इस सिलसिले में आर्डर्स जारी किये हैं और वे यह कि कानूनगो, लेखपाल ने खसरे की कैफियत के खाने में जो इन्दराज किया, मनकापुर के खेत पर जगमनपुर का नाम लिख दिया, इस तरह की एक लिस्ट वह देता है पर्सन्स कंसर्न्ड को, गांव पंचायत के प्रधान को...

एक सदस्य—नहीं देता है।

श्री चरणसिंह—अगर एक विधायक गांव सभा का प्रधान है और फिर भी ऐसा नहीं होता है तो मैं लेखपाल का ज्यादा कसूर नहीं मानता। क्या वे कानून नहीं समझते, गांव समाज मैनुअल नहीं पढ़ी, जमींदारी अबोलीशन ऐण्ड लैण्ड रिफार्म के रूल्स नहीं पढ़े और शिकायत आज तक मुझसे की नहीं तो कसूर मैं उस लेखपाल का नहीं समझता, अगर लेखपाल अपनी डयूटीज को अन्जाम नहीं देता, जो कि एक बहुत छोटा कर्मचारी है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि लेखपाल गांव के सभापति को अपने पूरे हल्के के इन्दराजों की एक लिस्ट देता है और एक लिस्ट देता है कानूनगो को। कानूनगो को यह आर्डर दिया है कि मौके पर जाय। पहले भी जाता था। पहले वह कुछ परसेंटेज इन्दराजों को वेरिफाई करता था। अब मौके पर वह उनको करेक्ट कर देता था और कुछ करेक्ट नहीं करता था जिनको कि करेक्ट करने का उसे अधिकार नहीं था। इन सबकी एक लिस्ट तहसीलदार को भेजने का हुक्म है और फिर तहसीलदार उस लिस्ट पर कार्यवाही करेगा। उसमें जो आर्डर्स थे वे साफ नहीं थे और इस तरह की इंट्रीज आगे को फालो अप नहीं हो पाती थीं। और जो जमींदारी अबोलीशन और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के जरिये लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के एक रेलीवेंट सेक्शन की तरमीम की गई है उसके मातहत, यानी सेक्शन तरमीम हो चुका है अब उसके हम स्पेसिफिक रूल्स पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जो सेक्शन तरमीम हुआ मैं बताना चाहता हूं वह यह कि अब तक जो म्यूटेशन के केसेज थे, दाखिल खारिज के, दो तरह से होते थे, एक तो ट्रांसफर से और दूसरे विरासत का जब सवाल पैदा हो तो लाखों केसेज हर साल सूबे में होते हैं। एक-एक तहसील में २, २ हजार की तादाद पहुंच जाती है, पहले इतने केसेज नहीं होते थे। लेकिन जब से जमींदारी का अबोलीशन हुआ तो ५,००,००० केसेज सारे सूबे में हर साल होते हैं और २,००० केसेज का औसत एक तहसील में पड़ता है। अब अकेला तहसीलदार क्या करे। तो हमने कानून में यह तरमीम की कि अनकन्टेस्टेड म्यूटेशन के जो केसेज हैं, ऐन्ट्री तो लेखपाल सब के बारे में करेगा, कानूनगो जायगा और लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी को बुलायेगा और उनके सामने अनकन्टेस्टेड केसेज को तय कर देगा। लिहाजा जो काम तहसील में फाइल अप हो जाता था वह खत्म हो जायगा। अब उसके इस्ट्रक्शन्स बनाने में जरा कठिनाई हो रही है उसको हम बना रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, हरसाल कहीं न कहीं सर्वे आफ रिकार्ड का काम चलता रहता है। तो यह जो साल बीत रहा है उसमें १५ जिलों में सर्वे आफ रिकार्ड का काम किया गया, मेरठ बरेली, अलीगढ़, बहराइच, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, देवरिया, हरदोई, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, गोंडा, बुलन्दशहर और शाहजहांपुर। इनमें से ३ जिलों में काम खत्म हो जायगा शेष १२ जिलों में चलता रहेगा। और अगले साल ५ नये जिले लिये जा रहे हैं, पूरे जिले नहीं, उनकी कुछ पौकेट्स, अधिकतर नदी के आसपास। मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, जालौन, आजमगढ़, बिजनौर, बुलन्दशहर और देवरिया में यह काम खत्म हो जायगा। १,७०१ गांवों में यह आपरेशन्स चल रहे थे।

अधिष्ठाता महोदय, जो हमारा कुमायूं डिवीजन है इसके रिकार्ड्स बहुत बहुत खराब हैं ४० साल, ५० साल, ८० साल के, और इस बीच में जितने भी म्यूटेशन्स हुए हैं उसी कागज पर लिखे गये जिनको कीड़े खा गये। तो वहां का सही ऐग्रीकल्चर स्टेट आफ एफेयर्स क्या है वह मालूम नहीं होता था और हमारे देश में जहां अधिकतर लोग खेती करते हैं कितनी जमीन किसके पास है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या फसल बोता है, किस फसल में कौन सी जिन्स बोयी थी, क्या उसकी पैदावार हुई यह सब बिना लैण्ड रिकार्ड्स के सही हुए पता नहीं चल सकता और कोई स्कीम भी नहीं बन सकती है। जमीन किस किस्म की है, कितनी इर्रीगेटेड है, कितनी अनइर्रीगेटेड है, इसका कुछ अन्दाज ही नहीं लगता। तो दो तरह की एजेन्सीज कहलाती हैं, एक रिपोर्टिंग एजेन्सी और दूसरी नान-रिपोर्टिंग एजेन्सी। कुमाऊं का एरिया नान-रिपोर्टिंग एजेन्सी कहलाता है। अब प्लानिंग कमीशन भी जो प्लान बनाता है वह भी इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बनाता है। तो इसलिये अगर एक सही तस्वीर हमारे सामने हो तो स्कीम बनाने में आसानी होती है और दूसरे जमींदारी अबोलीशन या लैण्ड रिफार्म्स करने में वहां आसानी होती है। इसके लिये यह जरूरी था कि कुमाऊं के रेकार्ड्स ठीक किये जाते, और वह किये जा रहे हैं। अब वहां जमीनें दो प्रकार की हैं। एक तो मेजर्ड और दूसरी अनमेजर्ड यानी नाप और बेनाप कहलाती हैं। अब १६,१०,००० एकड़ जमीन ऐसी है नाप और बेनाप जिसका सर्वे हो चुका है और जिस पर ५३,३२,००० रुपया अब तक खर्च हो चुका है। यह काम अभी जारी है। तहसील नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, चमौली, पौड़ी, टेहरी और प्रतापनगर और इनमें से जो चार पहली हैं उनमें सर्वे का काम कम्प्लीट हो चुका है।

अधिष्ठाता महोदय, जौनसार बाबर का जो इलाका है वहां के सिलसिले में हम एक अधिनियम पास कर चुके थे लेकिन उसका इम्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत छोटा इलाका है करीब ७०,००० एकड़ कुल जमीन है। उसमें कुछ रिकर्ड और सर्वे का काम बाकी था वह कर रहे हैं। ३१ मार्च तक पूरा हो जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, इस सिलसिले में एक बात अरबन एरिया जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में कह रहा हूं। उस ऐक्ट में यह लिखा हुआ है कि ऐग्रीकल्चरल एरिया का डिमार्केशन हो जायगा नान एग्रीकल्चरल एरिया से तब उसके बाद ही उसका निफाज वहां हो सकता है। उसके लिये बड़ा ट्रेन्ड स्टाफ चाहिये था और बहुत बड़ा स्टाफ चाहिये था। उतना हमारे पास स्टाफ नहीं था, न तादाद में और न उस तरह की उनकी ट्रेनिंग थी। इसलिये हमने शुरू में ८२ अरबन एरियाज में यह काम शुरू किया जिनमें २६ म्यूनिसिपैलिटीज, ५५ टाउन एरियाज और १ नोटीफाइड एरिया थी। अब १४१ अरबन एरियाज में उसको करने का विचार है जिनमें २७ म्यूनिसिपैलिटीज, १२२ टाउन एरियाज और २ नोटीफाइड एरियाज हैं और जो आर्डर्स इन एरियाज के आफिसर्स के होंगे उनकी एक अपील गालिबन कमिश्नर के यहां रखी गयी है। जब अपील तय हो जाय और फाइनल डिमार्केशन हो जायगा तब वहां लैंड रिफार्म हो सकेगा और जमींदारी अबालिशन हो सकेगा।

[श्री चरणसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, अब मालगुजारी की वसूलयाबी की बात मैं बता देना चाहता हूं। उनकी मालगुजारी की वसूलयाबी के लिये हमारे यहां कलेक्शन नायब तहसीलदार भी है और कलेक्शन अमीन्स भी हैं। जब जमींदारी अबालिशन की बात चल रही थी तो जो मेरे इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स उधर बैठ रहे हैं और उनके जो प्रिडेसेसर्स थे उनकी तरफ से एक बड़ा भारी आर्गुमेंट यह दिया जाया करता था कि जब मालगुजारी सीधे वसूल करेगी गवर्नमेंट तब पता पड़ेगा। यही मतलब था कि जब गवर्नमेंट को कठिनाइयां आयेंगी तब वह इंटरमीडियरीज की याद करेगी कि हम कितने बड़े खादिम थे स्टेट के जो किसानों के डिस्कंटेंट को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और बहुत थोड़े जमींदारों से सरकार का वास्ता पड़ता है। अब करोड़ों आदमियों से वास्ता पड़ता है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और हमारे एप्रिहैन्शंस कहां तक सच साबित हो रहे हैं?

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) सहकारी खेती हो रही है।

श्री चरणसिंह---उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। वह इसी से साबित हो जायगा कि ९४, ९५ किसानों की फैमिलीज अपने सूबे में हैं जिनके कई होल्डिंग्ज हैं और कई-कई छोटे-छोटे किसानों के पास तो कई-कई होल्डिंग्ज हैं और एक किस्म की दो तीन गांवों में होल्डिंग्ज हैं। तो मतलब यह है कि १ करोड़ से ज्यादा यूनिट्स हैं, २ करोड़ के लगभग जिनसे हमारे स्टाफ को डील करना पड़ता है। अब जहां हजारों आदमी इस काम पर लगे हुये हैं वहां कुछ गलतियां तो हो ही सकती हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि उन गलतियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां कलेक्शन्स अमीन हैं वह ज्यादातर मिडिल पास हैं। क्यों उनकी शिकायत आती है इसकी उसका कारण यह है कि हमने मिडिल पास लोगों को रखा है और वेतन देते हैं बहुत ज्यादा। ८५ रुपये से शुरू होते हैं और अब ९५-१०० रुपया वह पाते हैं। वह अब डरते हैं कि जरा भी गलती हो गई तो हटा दिये जायंगे क्योंकि हम ने शुरू में सख्ती बहुत ज्यादा की। जब-जब हम कहीं मीटिंग वगैरह में जाते थे और लोगों से मिलते थे तो कहते थे कि अगर कहीं भी किसी को शिकायत हो तो हमें बतायें, बेईमानी की या और किसी तरह की। ज्यादा शिकायतें नहीं आईं, सिर्फ मेरठ और एटा में लोगों ने कहा कि फलां-फलां के खिलाफ शिकायत है। हमने फौरन कलेक्टर से कहा कि अगर सही शिकायतें हैं तो उन लोगों की सर्विसेज फौरन टर्मिनेट कर दो। लेकिन अब जब हमें तसल्ली हो गई कि इस तरह की गलतियां अब नहीं हो रही हैं तो अब हमने कहना भी छोड़ दिया, अब निहायत ईमानदारी से लोग अपना काम कर रहे हैं। वैसे भी सूखा हो जाय तब, बाढ़ आ जाय तब, गरीबी तो है ही उनको काम करना होता है, वसूलयाबी का काम भी बहुत कड़वा तो है ही मुश्किल भी है, उस की वजह से किसी को शिकायत हो तो बात दूसरी है, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे यह कहते हुये यहां खुशी होती है कि इन लोगों ने अपने काम को निहायत ईमानदारी के साथ अन्जाम दिया है।

अब सवाल यह है कि इन लोगों को स्थायी किया जाय। ४०० के करीब नायब तहसीलदार कलेक्शन के हैं जो मालगुजारी और आबपाशी दोनों वसूल करते हैं, पंचायत का टैक्स वसूल न हो तो वह काम भी इन्हीं को करना होता है, एग्रीकल्चर सीड स्टोर के ड्यूज भी अगर वसूल न हों तो वह भी यही वसूल करते हैं, इसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटी के डयूज वसूल न हों तो यही वसूल करते हैं, सेन्ट्रल एक्साइज की ड्यूटी भी इन्हीं को वसूल करना होती है और कास्ट आफ कन्सालिडेशन भी इन्हीं को वसूल करना होती है। इनमें से कोई काम भी ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन में खत्म हो जायगा और कम से कम फोरसीएबिल फ्यूचर में तो मालूम नहीं होता कि यह खत्म हो जायगा या कोई और एजेंसी इसको कर सकेगी। वैसे आइडियल तो अच्छा मालूम होता है कि गांव पंचायतें वसूली करें लेकिन इन चुनी हुई बाडीज के लिये कर का लगान भी मुश्किल है और वसूल करना तो और भी मुश्किल है। असेसमेंट में कोई बात नहीं है, अपीलेबिल है लेकिन बाद में उसका वसूल करना मुश्किल है। वैसे पंचायतें

मालगुजारी और आबपाशी भी वसूल कर सकती हैं, आइडियल हमारा हो सकता है लेकिन जब तक कि हमारे यहां डेमोक्रेसी की जिम्मेदारियों का आइडिया भी साथ-साथ डेवलप नहीं होता तब तक इन चीजों को लाने में देर लगेगी। इस लिये इस स्टाफ को हटाने का सवाल नहीं है। इस मसले पर विचार हो रहा है कि क्या किया जाय, अगर परमानेंट करते हैं और उनको इन्टेगरेट कर देते हैं रेगुलर तहसीलदारों से तो प्रोमोशन वगैरह की बहुत सी बातें पैदा होंगी, इन सब चीजों पर विचार हो रहा है जब तक यह सब फाइनेलाइज न हो जाय तब तक रुकना पड़ेगा, लेकिन हम एक तिहाई कलेक्शन नायब तहसीलदारों को स्थायी कर रहे हैं। वेतन तो बहुत अच्छा है ही और अमीनों को इनीशियेटिव बना रहे हैं, इसलिये आगे को जो जगहें खाली होंगी तो इन कलेक्शन अमीनों को प्रोमोशन दिया जायगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कम से कम जो ३ साल तक काम कर चुके हैं और हाई स्कूल पास हैं, जो बहुत कम हैं क्योंकि ९९.५ प्रतिशत मिडिल पास हैं और उन्हीं से काम अच्छा चल रहा है।

अब १३६५ फसलों की मालगुजारी की वसूलयाबी जो ३०सितम्बर, सन् ५८ तक हुई उसके फिगर्स मैं देता हूं। मालगुजारी जो काबिल वसूलयाबी थी वह थी २०,६७,६६,००० रुपया और वसूल हुई १९,४७,८९,००० रुपया, आबपाशी वसूल होनी थी ७,६६,२४,००० रुपया और वसूल हुई ७,५३,७१,००० रुपया, तकाबी वसूल करनी थी, ३,६५,६०,००० रुपया और वसूल हुई १,८९,५०,००० रुपया, आबपाशी और मालगुजारी की वसूली सैटिसफैक्टरी हुई। यह जो तकाबी है, यह ५० परसेंट वसूल हुई है, लेकिन इसमें हमारे स्टाफ का दोष नहीं है। इसमें हमने ही यहां से मुल्तवी किया होगा या वहां की मजबूरियां देख कर मौके के कलेक्टर ने। हम किसी एक जिले की करते नहीं हैं, जनरल आर्डर भले ही कई जिलों के लिए जाय, लेकिन कलेक्टर को अधिकार है कि अगर जरूरी समझे तो मुल्तवी कर दे। तो इन दिनों में चूंकि आर्थिक अवस्था हमारे किसानों की बहुत अच्छी नहीं रही और तकाबी बहुत बड़ी रकम में दी गई है तो ३६६ लाख में से १,४९,५०,००० वसूल हुई, यानी ५० परसेंट वसूल हुई।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से दोहराना चाहता हूं कि हमारे यहां कलेक्शन के काम का खर्चा जो है वह शायद लोएस्ट है--साढ़े ४ परसेंट। अभी एक मुलहक़ राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर से बात हुई तो उनके यहां १३ परसेंट था। पंचायतें अगर वसूल कर लें तो बड़ी आदर्श स्थिति हो, लेकिन कर नहीं पा रही हैं। जमींदारी अबालीशन ऐंड लैण्ड्स रिफार्म ऐक्ट की दफा २७५ या २७६ के मुताबिक कलेक्टर अगर किसी गांव पंचायत को समझता है कि फैक्शन फ्री है, ईमानदार लोग हैं तो उसको अधिकार दे सकता है मालगुजारी वसूल करने का। तो इस वर्ष २७९ को यह काम सुपुर्द किया गया था। वसूल करना था ९,३२,४६६ रुपये और वसूल कर पाये ७,६८,००० रुपये। यानी ८० परसेंट से कम, जबकि और जगह ९९ परसेंट का औसत है। तो अब हमने कमिश्नर्स को कहा है कि कोशिश यह करो कि हर तहसील में कम से कम एक परसेंट गांवों में गांव पंचायत अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें और लोगों से बातचीत करें, स्टडी करें कि क्या कठिनाई है इसको लेने में और अगर उनके कोई सुझाव आयें तो उन पर विचार करें।

इसी मालगुजारी के सिलसिले में बतलाना चाहता हूं कि लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स की क्या रफ्तार है। आंकड़े यह हैं अधिष्ठाता महोदय, कि अब तक जो फाइनल असेसमेंट हुआ है इस टैक्स का वह है ६६,७०,००० रुपया। कुछ पेंडिंग है, उजरदारियां चल रही हैं। यह १३६५ फसली का है। १३६६ फसली के आंकड़े अभी मंगाये नहीं, क्योंकि वह जारी है। तो इसमें से १३,३८,००० की वसूली हुई है, बहुत थोड़ा है। रिट्स चल रहे हैं बड़े बड़े लोगों के। वसूलयाबी में यों भी देर हुई कि नया काम था, स्टाफ थोड़ा और आपको याद होगा कि आप लोगों ने ४ इंस्टालमेंट मुकर्रर कर रखे हैं, तो एकदम वसूल भी नहीं हो सकता। जैसे ही इंस्टालमेंट का समय आता है, वसूली होती है। अगर नहीं होगी तो अगर मेरी

[श्री चरणसिंह]

स्मरण शक्ति धोखा नहीं देती है उसके लिये साढ़े १२ परसेंट पेनाल्टी है, तो वसूल हो ही जायगा। पेनाल्टी से बचने के लिये अपने वक्त पर देंगे। १७,५९८ टोटल असेसीज हैं और १४,२६२ पर टैक्स फाइनलाइज हुआ है। १,२२३ के मामले पेंडिंग हैं और जिनकी उजरदारी पूर्णतया मंजूर हो गयी है उनकी संख्या २,११३ है। तो १७,५९८ में से २,११३ निकाल दें तो १५,४८५ असेसी हुए। इनमें से १,२२३ के केसेज अन्डर कंसीडरेशन हैं। अधिष्ठाता महोदय, ये आंकड़े मैंने लार्ज लैन्ड होल्डिंग टैक्स के सिलसिले में बतालाये।

मालगुजारी के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे अफसरान का खयाल यह था कि जितनी मालगुजारी सही तौर पर हमको मिलनी चाहिये वह पूरी मिल नहीं पा रही है, इसमें लीकेजेज हैं। तो हमने दो पायलट स्कीम्स चलायीं ६ जिलों के अन्दर, मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद, सीतापुर, बस्ती और वाराणसी में। एक स्कीम तो यह कि लैन्ड रेकार्ड से यह पता लगे कि यह मालगुजारी ठीक असेस हुई या नहीं। मसलन जमींदारी एबालिशन कम्पेन्सेशन स्टेटमेंट्स जो थे उनसे पता लग सकता था कि सीर की जो जमीन है उसमें से कितनी भूमिधरी में गयी और कितनी सीरदारी में गयी और भूमिधरी और सीरदारी की जब मालगुजारी अलग अलग असेस की गयी तो ठीक की गयी या नहीं। दूसरी स्कीम यह कि गांव में मौके पर जा कर देखा जाय। मसलन बाग है, वह रेंट ऐंड रेवेन्यू से फ्री था। कायदा यह था और अब भी है कि अगर बाग न रहे और ऐग्रीकल्चरल क्राप्स बोई जाने लगे तो उस पर मालगुजारी पड़ने लगेगी।

श्री अधिष्ठाता—(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर) आप इजाजत लेकर कोई प्रश्न पूछें।

श्री चरणसिंह—लेकिन हर जिले में करीब करीब ऐसा हो रहा है कि कागज में बाग लिखा हुआ है लेकिन मौके पर हो रही है खेती और मालगुजारी नहीं दी जा रही है। पर यह एलूवियन और डेलूवियन केसेज की जमीन निकल आयी दरिया से, एक आदमी के कब्जे में है और उस पर असेस नहीं हुई मालगुजारी। इसमें कुछ हमारे अफसरान का ज्यादा दोष नहीं था, दोष हमारा था। पहले असेसमेंट पांच साला हुआ करता था, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हमने हर साल कर दिया। इससे उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ गया, वे नहीं कर सके। तो इसमें भी मालगुजारी बच जाती थी।

तीसरा एक काफी अच्छा सोर्स जिसमें लीकेज होता था यह था कि अगर कोई भूमिधर गांव छोड़ कर चला गया और उसकी जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा हो गया और तीन साल तक कब्जा रहा, तो ट्रेसपासर में उसका हक हो गया। अब कागजात में नाम किसी का है और मौके पर कब्जा किसी और का है, तो उससे भी मालगुजारी नहीं वसूल कर सकते और जिससे होनी चाहिये वह गायब है।

अब हमने जो ये दोनों पायलट स्कीम्स ६ जिलों में चलायीं तो पहली अप्रैल से इस स्कीम के मातहत हर जगह पड़ताल कह लो, इन्वेस्टीगेशन कह लो, वह होगा और हमारा अनुमान यह है कि ५०,००,००० रुपया सालना मालगुजारी बढ़ जायगी। यानी यह उनसे लिया जायगा कि जिनको कानून के मातहत देना चाहिये लेकिन बच जाते हैं। और यह अनुमान हमारा है कि इस तरह की २ साल की मालगुजारी बकाया है और कहीं कहीं तो ६-६ साल की देनी पड़ेगी। तो इसके लिये हमने आर्डर दे दिया है कि ६ साल की मालगुजारी काश्तकार इकट्ठा नहीं दे सकेंगे लिहाजा किस्तवार वसूल की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत सा समय ले लिया। बस अब केवल एक बात ही कहना है और वह डिस्ट्रिक्ट गजेटियर की है। हमारे यहां जो उनका रिवीजन हुआ था वह १९११ में हुआ था। तब से दुनिया बदल गई है, हम इसे फिर से लिख रहे हैं। १९५५ से कोशिश है। इससे पहले भी बहुत दिनों से थी लेकिन तजुर्बेकार आफिसर मिले जो लिटरेरी

कैलिवर का हो, यह बड़ा मुश्किल था क्योंकि आफिसर्स की वैसे भी कमी हो रही थी । लेकिन हमने इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स के ऊपर डाली और उनको कुछ स्टाफ भी दिया लेकिन वह कामयाब नहीं हुए । फिर हमने एक रिटायर्स आफिसर रखा और एक ऐडवायजरी बोर्ड बनाया जिसमें तजुर्बेकार आफिसर्स हैं । इस बोर्ड के चेयरमैन श्री राम प्रसाद त्रिपाठी हैं जो सागर यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर रह चुके हैं । वह पेड आफिसर हैं । इसके अलावा हिन्दी समिति की भी जिम्मेदारी है और एक और जिम्मेदारी है । एडीटर एक रिटायर्ड आई० ए० एस० आफिसर हैं । हमने बजाय इसके कि जिलों से मैटीरियल मंगायें, एक तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और दूसरे जो मैटीरियल आया वह तसल्लीबख्श नहीं था, लिहाजा हमने यहां स्टाफ रखा और यहां से मैटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उसका एक्जामिनेशन होता है । अब तक लखनऊ जिले का गजेटियर लिखा जा चुका है । हमने इसका ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, उनके यहां भी स्कीम है और वह ४० प्रतिशत रुपया देने को कहते हैं । उन्होंने उसकी बहुत तारीफ करके उसको वापस भेजा है । अब उसका फाइनल रिवीजन हो गया है और वह अंडर प्रिन्ट है । बाराबंकी, सीतापुर और फैजाबाद का लिखा जा रहा है । उन्नाव और रायबरेली का मैटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कानपुर का क्या हो रहा है ?

श्री खजानसिंह चौधरी---उन्नाव का क्या हो रहा है ?

श्री चरणसिंह---उन्नाव का मैटीरियल इकट्ठा, किया जा रहा है । अधिष्ठाता महोदय, अब मैं अपना कथन समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी है । मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पेश करता हूं कि:--

"संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।" कमी करने का उद्देश्य नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । मालगुजारी की वसूली, कागजातदेही की दुरस्ती और मुर्रत्तब करने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं के सुपुर्द करना ।

अधिष्ठाता महोदय, जिस अनुदान पर आज चर्चा माननीय सदन के अन्दर हो रही है । यह अनुदान और यह विभाग प्रत्येक हुकूमत के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण होता है । यह वह विभाग है जिसका संबंध देश की और प्रदेश की कम से कम ९०-९५ प्रतिशत जनता से है और जनता के दैनिक जीवन से संबंध रखता है । वैसे प्रत्येक सरकार के दो विभाग ऐसे हैं जिनका प्रदेश की अधिकांश जनता से संबंध रहता है । एक पुलिस और दूसरा माल विभाग है । मान्यवर, आज पुलिस के सिलसिले में कुछ कहने की बात नहीं । आज माल के सिलसिले में अनुदान पेश है । उस सिलसिले में ही मैं अपने विचार इस कटौती द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा । मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है जिसका संबंध इस प्रदेश के झोपड़ी में रहने वाले प्रत्येक किसान से है । माननीय मंत्री जी ने अभी सदन के सामने इस बात की चर्चा की कि इस विभाग का सबसे बड़ा काम जो इस वक्त हो रहा है वह चकबन्दी का काम है । इसमें कोई शक नहीं कि चकबन्दी का काम इस वक्त जो हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण काम है ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव के सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रखेंगे । आपका विषय यह है-मालगुजारी की वसूली, कागजात देही की दुरुस्ती और मुर्रत्तब करने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं के सुपुर्द करना । इसी विषय पर आप सीमित रहेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दे दी है कि यह सब कटौती के प्रस्ताव मूव माने जायंगे ।

श्री अधिष्ठाता---कटौती का प्रस्ताव पेश होने के बाद, अन्य प्रस्ताव पेश हुए माने जायंगे और इस कटौती के प्रस्ताव में चकबन्दी नहीं है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर । मान्यवर, यह ऐसी बात है कि अगर एक कटमोशन मूव हुआ है और जब कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है कि बकिया प्रस्ताव पेश हुए मान लिये जायंगे और एक मूव कर दिया गया है .तो ऐसी परिस्थिति में जो स्पीकर्स हैं उनके लिये यह कि हर सबजेक्ट पर नहीं बोल सकते हैं, यह न्याय संगत नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता---जब यह कटौती का प्रस्ताव पेश हो जायगा तो और जितने भी प्रस्ताव हैं वह पेश हुए मान लिये जायंगे । उन पर बहस हो सकती है लेकिन जिन्होंने उसको पेश किया है उनका सब्जेक्ट मैटर वही रहेगा जो कटौती के प्रस्ताव में हैं । दूसरे सदस्यों के लिये वह सब विषय हैं ।

श्री होरीलाल यादव---मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं चाहता तो यही था कि आप मुझे सब पर बात कहने की इजाजत देते । लेकिन अगर आपने मुझे महदूद ही कर दिया है तो मैं उसी सीमा के अन्दर बोलूंगा । मान्यवर, जो इस विभाग की नीति है वह जो हमारी पहले की घोषणाएं थीं उनके प्रतिकूल मालूम पड़ती है । इसके पहले कांग्रेस ने कई बार इस बात को दोहराया था कि आजादी होने पर जो हमारी वसूलयाबी होगी वह गांव पंचायतों के सुपुर्द की जायगी और उस वसूलयाबी का एक हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जायगा । आज यह कहा जाता है कि जब गांव पंचायतें अपना टैक्स नहीं वसूल कर पाती हैं तो मालगुजारी कैसे वसूल कर पायेंगी । उनको इस लायक कि वह वसूलयाबी का काम मजबूती के साथ चला सकें, बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है । मैं यह चाहता हूं कि वसूलयाबी का काम गांव पंचायतों के सुपुर्द किया जाय और उसका एक हिस्सा उनको भी अपने खर्चा के लिये दिया जाय तो गांव पंचायतों की नींव मजबूत होगी और वह अपने कार्य का संपादन ज्यादा सफलता से कर सकेंगी । मान्यवर, मैं समझता हूं कि कागज दुरुस्ती का सवाल भी एक बड़ा सवाल है । माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि बहुत कम गलतियां हैं । मैं मान्यवर, अपने जिले की मिसाल रखना चाहता हूं । एक प्रश्न मैंने इसी माननीय सदन के अन्दर किया था कि जो हमारे यहां छिबरामऊ में चकबन्दी हो रही है उसके दरमियान कितनी गलतियां मिलीं या उनको दुरुस्त करने में क्या खर्चा पड़ा । तो मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था कि करीब ३३ परसेंट उसका खर्चा पड़ता है कागज की दुरुस्ती कराने के सिलसिले पर । इस मुहकमे के बहुत एफिशियेंसी के साथ काम करने की भी बात माननीय मंत्री जी ने कही । मान्यवर, अभी-अभी मुझे हमारे क्षेत्र से और अन्य साथियों के क्षेत्र से बहुत से पत्र यहां आने पर मिले हैं कि काश्तकारों से पिछले १० वर्ष का जो बकाया लगान, सर्किल रेट से उनका लगान जो कम था, वह वसूल किया जा रहा है । मैंने माननीय मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा हुक्म था, सन् ४८ में जमींदारी खात्मे के समय, मैंने कहा था कि जो काश्तकारान सर्किल रेट से कम पर जमींदारान को नजराना देकर पट्टा करा लेंगे, उनको सर्किल रेट से ही लगान देना पड़ेगा । मान्यवर, १० वर्ष बीत चुका जमींदारी को खत्म हुए और वह कागज की दुरुस्ती आज तक न हो सकी । आज उस मुहकमे को मालूम हो सका कि कागज की दुरुस्ती जरूरी है जो लगान उनसे सर्किल रेट से नहीं लिया जाय वह १० वर्ष का आज उनसे वसूल किया जा रहा है । ऐसी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही और माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में भी किया जा रहा होगा । तो मैं आपके जरिये से मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह दस वर्ष का सर्किल रेट के हिसाब से लगान आज किसान के ऊपर दो-दो तीन-तीन सौ रुपये के करीब पड़ रहा है । उसको एक साथ वसूल करने की कोशिश की जा रही है । यही नहीं, जिन लोगों ने

भूमिधरी का रुपया अदा किया है उनसे उसी सर्किल रेट के लगान के हिसाब से मांगा जा रहा है कि आप भूमिधरी का रुपया अदा कीजिए। कितना बड़ा एफिशियेंसी का काम इस मुहकमें से हुआ है कि १० वर्ष के बाद आज वह लगान उनसे मांगा जा रहा है और भूमिधरी का भी रुपया मांगा जा रहा है और ऐसे वक्त पर जब कि काश्तकार के पास खाने तक के लिये इस महंगाई के जमाने में नहीं है। तो मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह लगान वसूल करना उनके कानून के अन्दर है तो फिर उस लगान को उतनी ही किस्तों में अगले वर्षों में वसूल किया जाय ताकि उन किसानों को कुछ राहत हो सके और उन्हें इसको अदायगी के लिये कर्ज लेना न पड़े।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्यों को जो यह अधिकार दिया गया था कि अपने क्षेत्र में पड़ताल के लिये ५ गांव कोई वह चुन लें, उसमें हाकिम परगना और तहसीलदार उनके साथ जाकर पड़ताल करेंगे, मैं नहीं कह सकता कि और सदस्यों ने क्या किया लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल अपनी माननीय मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं कि सितम्बर, अक्तूबर के महीने में ५ गांवों की लिस्ट मैंने अपनी तहसील की, तहसीलदार के पास भेज दी। उन्होंने कहा कि आगामी रबी की फसल में जब पड़ताल की जायगी तो आपको सूचना देंगे। जब हाकिम परगना का दौरा वहां हुआ तो तहसीलदार ने मुझे लिखा कि यह प्रोग्राम है, आपने इन गांवों की पड़ताल के लिये लिखा है, हाकिम परगना के साथ आप पड़ताल कर लें। उन्हीं दिनों के अन्दर एक-एक दिन मैं उन क्षेत्रों में पहुंचा। मान्यवर मैं आपके जरिये से सदन से कहना चाहता हूं कि हाकिम परगना और तहसीलदार साहब के पास भी बहुत से काम हुआ करते हैं और सब से बड़ा काम उनका यह होता है कि हमारे मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के दौरे बहुत होते हैं। उनके दौरों में उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। जब उन्होंने जो गांवों के दौरे का प्रोग्राम बनाया, किसी मिनिस्टर का दौरा हो गया, दूसरा बहुत जरूरी काम आ गया, वह बेचारे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मिनिस्टरों के दौरों के समय नहीं पहुंचते हैं तो मान्यवर उनको कुछ खमियाजा उठाना पड़ता है। हाजिरी न देना जुर्म है। अगर वे हाजिर न हों तो उन पर जुल्म होता है। तो मैं मान्यवर ३ जगहों पर अपने उन हाकिम परगना साहब के शिड्यूल टाइम पर ३ दिन पहुंचा, लेकिन हाकिम परगना हाकिम साहब वहां पर नहीं आ सके। उनको किसी दूसरी जगह जरूरी काम लग गया। तो फिर मैं यह कहता हूं कि क्या हम माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करें कि जितने दिन हाकिम परगना साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब का दौरा होता रहे बराबर उनके कैम्प पर हाजिर होते रहे कि न मालूम वे कब आ जायं? मेरी मान्य मंत्री जी से अपील है कि उनको इस बात की हिदायत कर दी जाय कि जो उनका प्रोग्राम हो वह उसके मुताबिक वहां पर पहुंच जायं ताकि हम लोगों का काम हर्ज न हो सके और अफसरों का भी काम पूरा हो जाय।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है सरकार ने सहकारी खेती की नीति को अख्तियार किया है और साथ ही सीलिंग का सवाल भी पैदा किया है। मान्यवर, सीलिंग का सवाल बड़े जोर से देहातों में फैल गया है.....

श्री अधिष्ठाता---यह आपकी बहस का विषय नहीं है। मालगुजारी की वसूली, कागजातदेही की दुरुस्ती पर और मुरत्तब करने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं के सुपुर्द करना, यह आपका विषय है।

श्री होरीलाल यादव---सरकार ने अभी तक कानून बनाये हैं, उन कानूनों को विभाग के अन्दर पूरी तरह से लागू करने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। शहरी खेतों की जमींदारी खत्म हुई उसको बहुत समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हो पाया है। मंत्री जी कहते हैं कि हमको ऐसे एक्सपर्ट चाहिये जो शहरों में खेती की जमीन का डिमार्केशन कर सकें। मगर ऐसे उनको नहीं मिल रहे हैं। ३-४ वर्ष उस कानून को पास किये

[श्री होरीलाल यादव]

हुए हो चुका है लेकिन अभी तक उनको एक्सपर्ट नहीं मिले हैं। कहीं पर भी पूर्णतया शहरी जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ है। पहाड़ी इलाके के लिये भी अब जमींदारी विनाश का कानून पेश है। यह भी कई बार सदन में आया और सेलेक्ट कमेटी में गया और उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है। न मालूम वह शहरी और पहाड़ी इलाके की जमींदारी पूर्णतया कब समाप्त होगी।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको पहले भी टोक चुका हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई बात न हो तो आप बाद में उत्तर में कहियेगा।

श्री होरीलाल यादव—एक बात मैं वसूलयाबी के सिलसिले में मान्यवर और कहना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय मन्त्री ने कहा कि वसूलयाबी लगान की बढ़ गई है। मैं आपके जरिये से सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे काश्तकार होते हैं और जिनके पास छोटी-छोटी होल्डिंग्स होती हैं और जिनका लगान कम होता है, मान्यवर, अमीन उनसे एक फसल के बजाय दो फसल का लगान वसूल कर लेते हैं। और इसलिये वह ससूल कर लेते हैं, उन्हें अपनी वसूलियाबी की जो डिमांड होती है, जो कोटा होता है उसे पूरा करने के लिये और अपने अफसरों को यह दिखा देने के लिये कि हमने इतनी वसूलयाबी कर ली, यह तरीका अपनाया जाता है। काश्तकारों को कहा जाता है कि बार-बार पर्ची नहीं काटी जा सकती। एक पर्ची कटने में एक आना लगेगा, दो पर्ची में दो आना लगेगा, इस तरह से वसूलयाबी होती है। तकावी की वसूली छोटे काश्तकारों से उनके बैल कुर्क करके, फर्जी कुर्की कर के की जाती है। तहसीलदार के दस्तखत कराकर गिरफ्तारी के वारंट सादे के सादे अमीन लोग रख लेते हैं, गड्डी उनके पास रहती है और उसे दिखाकर वह बेचारे किसान को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब तहसील नजदीक आने लगती है तो काश्तकार बेचारा येनकेन प्रकारेण कर्जा लेकर या अपना सामान गिरवी रख कर लगान अदा करता है और फिर पर्ची वहीं फट जाती है। कुर्की, गिरफ्तारी का कोई रिकार्ड तहसील में नहीं रहने पाता। अगर अचानक मंत्री जी किसी अमीन को पकड़ लें जो वसूली का अमीन हो तो उस के पास १०, २०, ५० कुर्की की, वारंट की पर्चियां जरूर निकल आयेंगी। पर्ची पर १ आना तो अमीन का दस्तूर सा बन गया है। एक आना फी पर्ची वह वसूल कर लेता है। वह माननीय सदस्यों से या गांव के चलतेपुर्जे आदमियों से यह एक आना वसूल नहीं करता, वह वसूल करता है उन काश्तकारों से जो अपनी बात नहीं कह सकते और मान्यवर, मंत्री जी की तरफ से यह कहा जायगा कि तमाम विरोधी पार्टियों के कार्यकर्त्ता गांवों में काम करते हैं मान्यवर, हर विरोधी पार्टी अपने कार्यकर्त्ता गांवों में अमीनों के पीछे नहीं लगा सकती कि वह देखे कि वसूलयाबी कैसे हो रही है और कैसे नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने अफसरों को हिदायत दें कि छोटे किसानों से जबरिया लगान वसूल करने या इन्डाइरेक्ट दबाव का तरीका एडाप्ट करने की कोशिश न की जाय।

तकावी की वसूली में मान्यवर, एक अजीब घपला हो रहा है। बडे आदमी, जिनके पास ८, १० हजार रुपये की तकावी रहती है वह किसी न किसी के कृपापात्र रहते हैं और क्या मजाल किसी की कि उनकी कुर्की या गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन छोटे काश्तकार से वसूली के समय कुर्की, गिरफ्तारी, डंडा आदि सभी इस्तेमाल किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वसूली के नियमों का एक सा हरएक के साथ व्यवहार किया जाय और हर आदमी से उसी सख्ती के साथ वसूलयाबी की जाय जिस सख्ती से छोटे आदमियों से वसूलयाबी की जाती है। मैं मान्यवर, अपने जिले की बात कहता हूं, बहुत से ऐसे प्रिविलेज क्लास के आदमी हैं कि जिनके पास तकावी है और छोटी नहीं बड़ी रकमों की तकावी दी गयी है।

मान्यवर, उनसे तकावी वसूल करने का पूरा प्रयास नहीं हो रहा है इसलिये कि जब सरकार के मन्त्रीगण इलाकों में पहुंच जाते हैं तो वहां वे उनको घेर लेते हैं और अफसरान उनसे सख्ती से मांगने में हिचकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य इस बात को कह चुके हैं इसलिये इसको फिर न दोहरायें ।

श्री होरीलाल यादव---अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जाय ताकि जनता के अन्दर विश्वास पैदा हो सके कि सरकार किसी की तरफदारी नहीं कर रही है, किसी पार्टी के साथ रियायत नहीं करती है और वह अपना काम बिना किसी डर के कर सके ।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा वसूलियाबी के सिलसिले में एक मिशाल रखना चाहता हूं । इसी माननीय सदन के एक माननीय सदस्य हैं जिन पर कोई बकाया नहीं था फिर भी अमीन ने, उनका तहसील में जो मुआविजा बाकी था उसमें से काटकर डयूज जमा कर लिया । अगर माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो उन माननीय सदस्य का नाम उनके पास भेज दिया जायगा और मुझे उम्मीद है कि इस पर उचित कार्यवाही जरूर की जायेगी ।

अधिष्ठाता महोदय, जहांतक कागजों की दुरुस्ती का सवाल है उसके सिलसिले में जो खर्चा पड़े वह सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये और किसानों से उसके लिये कुछ नहीं लेना चाहिये । अगर दुरुस्ती के लिये कोई मुकदमा दायर करता है तो उसको टिकट लगाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिये । यह तो काम सरकार का है कि वह कागजों को बिलकुल दुरुस्त रखे, जिन्सवार ठीक रहे, खाता लगान ठीक तरह का हो और जो विरासत की खामियां होती हैं, बाप के मरने के बाद बेटे का नाम लिखने का जो सवाल आता है वह ऐसा सवाल है जो कि गांव पंचायतों के जरिये से बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है और इसके लिये किसान को तहसील में मारे-मारे नहीं फिरना चाहिये। आज इस प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले किसानों के हैं जिनके बाप को मरे हुये वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन खाते पर आज भी उनका नाम नहीं आया है । तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेखपाल की नहीं है ? काश्तकार जब कहता है कि हमारा नाम दुरुस्त किया जाय तो उससे तावान लिया जाता है कि तुमने इतने दिन इत्तला नहीं दी । तो जो लेखपाल इलाके पर रहता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह प्रधान के यहां जो कागज रहते हैं उनको देखकर इस बात की इत्तला दे कि फलां आदमी का नाम दुरुस्त किया जाय । इस काम में सहूलियत करने का यही तरीका है कि इसको गांव पंचायतों के सिपुर्द कर दिया जाय कि वह खातेदार के मरने के बाद या हट जाने के बाद उसके वारिस का नाम खाते पर दर्ज करवाये। यह काम पंचायत अदालतों के सिपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसानों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कानूनगो तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, लेखपाल के पास जाना पड़ता है, सभापति के पास जाना पड़ता है, न मालूम कितने देवताओं के पास जाना पड़ता है इस छोटे से काम के लिये । यह कागज में उस उत्तराधिकार को लिखने का काम गांव पंचायतों को दे दें तो किसान का अपने गांव में ही काम हो जायगा और उसे बड़ी सहूलियत होगी ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करने की कृपा करेगा ।

[१ श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह .. सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया की कमी कर दी जाय ।

कुंवर श्रीपाल सिंह तथा राजा वीरेन्द्र शाह .. कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस .. पर चर्चा करने का अभिप्राय है। माल-गुजारी जितनी जमींदारों से सरकार को .. मिलती थी उतनी ही किसानों से ली जाये।

श्री बलदेवसिंह ..
श्री शिवशंकरसिंह ..
श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह
श्री प्रतापबहादुरसिंह
श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह ।

२ श्री राजनारायण तथा श्री रामस्वरूप वर्मा । .. सम्पूर्ण अनुदान क अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
कभी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
अलाभकर जोतों की माफी न करना।

३ श्री झारखंडे राय तथा श्री भीखालाल । .. सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा .. कर एक रुपया कर दी जाय।
कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
भूमि पर हदबन्दी करना।

४ श्री मलिखानसिंह तथा श्री राजेन्द्रसिंह । .. सम्पूर्ण अनुदान के अधीन ५० प्रतिशत .. की कमी कर दी जाय।
.. कमी करने का उद्देश्य---विशेष विषय पर जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। किसानों का लगान आधा होना चाहिये।

५ श्री नारायणदास पासी .. सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।
कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।
प्रदेश में होने वाली चकबन्दी तथा अन्य भूमि-सुधार पर गरीबों की परेशानी पर प्रकाश डालना।]

श्री अधिष्ठाता---अब कटौती के प्रस्तावों पर ही भाषण सीमित रहेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय जमींदारी-उन्मूलन के लिये क्षेत्र तैयार किया जा रहा था और जनता की भावनायें जाग्रत की जा रही थीं, उस समय सत्तारूढ़ दल की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हीं के हक में जमींदारियां समाप्त की जावेंगी और जो कुछ नफा मध्यवर्ती होने के नाते जमींदार उठाते थे वह किसानों को छोड़ा जायगा। पर जमींदारियों का खात्मा होने के समय तक रास्ता बिलकुल बदल गया। किसान बेचारा जहां पहले था वहीं रह गया और जमींदारों को हटाकर उनके स्थान पर जमींदार बन गई हमारी सरकार। किसान से जितनी मालगुजारी वसूल की जाती थी उसमें एक धेला भी कम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जमींदार अबवाब

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये, परन्तु प्रस्तुत किये गये माने गये।

वगैरह कई किस्म की और चीजें दिया करते थे जो जमींदारों के समय में किसानों पर नहीं लगती थीं । बीच के मध्यवर्ती के हटने के बाद सरकार ने उस छोटी सी धनराशि को भी छोड़ने का मोह संवरण नहीं किया । वह भी उन्हीं के सिर पर लाद दिया और अब किसान को अधिक देना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार के कर हैं । अगर उन सारी चीजों को देखा जाय कि उसमें से आज किसान को कितना देना पड़ता है तो वह इतना अधिक हो गया ह कि सोचने के भी बाहर हो चुका है । निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जब जमींदारियां किसानों के हक में समाप्त की गईं हालांकि कानून में शब्द रख लिया गया है कि वे सरकार के हक में समाप्त हुईं-- तो किसानों से यही कह कर उनकी भावनायें जाग्रत की गई थीं कि उनके ही हक में समाप्त की जा रही हैं और यही कह कर वोट लिया गया था। मगर हुआ यह कि उनसे कहा गया कि भाई, तुम्हारी मालगुजारी आधी की जा सकती है मगर उसके लिये सरकार को कुछ नजराना चाहिये और वह है १० गुना लगान । यह वसूल करके लगान कुछ थोड़े से लोगों का आधा किया गया मगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ी । जब बीच से मध्यवर्ती हट गये तो उनका हिस्सा किसान के लिये छोड़ देना चाहिये । यही न्याय और मनुष्यता का और अपनी बात पर कायम रहने का तकाजा है ।

श्रीमन्, माननीय मंत्रीजी ने अपनी वक्तृता में वसूली अमीनों की बड़ी तारीफ की । उन्होंने यहां तक कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वसूली के अमीन वगरह बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं । मानता हूं मैं कि मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट आई होंगी, जो आंकड़े आये होंगे, जो बातें नीचे से कही गई होंगी, उनको देख कर कोई भी मनुष्य यही समझेगा कि वास्तव में अमीन बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं । मगर जो सरकारी आदमी नहीं है, जो गांव में रहने वाला है, जो प्रतिदिन उन अमीनों की संगत में उठने-बैठने वाला है, उससे अगर बातें की जावें तो इस तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आ सकता है । जब जमींदारियां कायम थीं, जमींदारों के जिलेदार, वसूली के अमीन, हर काश्तकार से १ रुपया साल नजराने का लिया करते थे और वह इसलिये कि उनको वक्तन-फवक्तन लकड़ी दे दी या उनके यहां कोई गमी या शादी हुई तो मालगुजारी की वसूली २, ३ साल तक टाल गये । लेकिन आज सरकारी अमीन फी काश्तकार १ रुपया नहीं, बल्कि फी खाता १ रुपया साल ले रहे हैं । एक काश्तकार के पास अगर १० या २५ खाते हैं तो उससे १०, २५ रुपये ही लिये जाते हैं । और सहूलियत उसे क्या देते हैं ? कुछ नहीं । इसके अतिरिक्त एक और तरीका उनके लेने का है । जैसा अभी माननीय होरीलाल जी ने बताया, तहसीलदार के दस्तखती वारन्ट की पर्चियां २०, २० और ३०,३० की तादाद में, अमीन साहेब अपनी जेब में रखते हैं, उनके उपर किसी का नाम नहीं होता है । अमीन साहेब गांव में पहुंचते हैं और चूंकि गांवों में अदायगी की मुश्तर्का जिम्मेदारी हो गई है, इसलिये उन्होंने देखा कि फलां साहेब बड़े तगड़े हैं, उनके पास पैसा है, भले ही वह अपनी मालगुजारी दे चुके हों, उनका नाम वारन्ट पर लिखा और कहा कि आप मालगुजारी दीजिये । उसने कहा कि श्रीमन्, मैं तो दे चुका हूं । वह कहता है कि जिम्मेदारी तो गांव भर की है । पहले गवर्नमेंट का हिस्सा दे दीजिये फिर बातें कीजिये । बेचारे को बैठा लिया । अब बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिये, कर्ज काढ़ कर या अपनी बीबी का जेवर बेंच कर कहीं से ४-५ रुपये लाया, उनको भेंट किये तब जाकर उसका पीछा छूटा । इस प्रकार से एक नहीं ३-३, ४-४ गांव वालों से रुपया वसूल किया जाता है ।

श्रीमन्, लेखपालों के बारे में बड़ी भारी तारीफ हुई, हालांकि यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज माननीय मंत्री जी के मुख से लेखपालों की तारीफ हुई जिनके लिये मशहूर थे कि वे लेखपालों को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, लेकिन वे ही आज तारीफ कर रहे हैं । मेरा अपना यह विचार है कि शायद अब हमारे माननीय मंत्री जी जो

[कुंवर श्रीपालसिंह]

किसान हैं, वह किसानों से थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं, इस कुर्सी का असर उनके उपर भी थोड़ा सा आ गया है, इसलिये लेखपालों का वह विश्वास करने लगे ह । लेखपालों के बारे में मेरे पास कुछ कागजात थे, मैं गलती से भूल आया नहीं तो आपके सामने पेश करता । लेखपालों की कुछ मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं । गांव की वोटर्स लिस्ट लेखपाल ही बनाता है । मैं गांव का रहने वाला हूं, बदकिस्मती से मैं वहां का जमींदार भी था । मैं ही नहीं पिछले ५०० वर्षों से मेरा परिवार वहां वेलनोन था । तो वहां की वोटर्स लिस्ट में मेरी उम्र लिखी हुई है २६ साल, मेरी मां की उम्र लिखी हुई है २१ साल, और मेरी बीबी की उम्र लिखी हुई है ३१ साल । यह हैं लेखपालों के आंकड़े । जिसका नाम जिस जमाने में लिखा गया, उस वक्त उसकी जो उम्र हुई, वही उम्र आज तक चली आ रही है । श्रीमन्, मैंने कुछ रोज पहले उसको देख लिया नहीं तो यहां आ भी न पाता । अगर २६ साल के बजाय २४ साल लिखी हुई होती तो यहां आने का हकदार न होता । मेरी ४१ साल की उम्र लिखी हुई है २६ साल । और सरकार उसके आंकड़ों पर विश्वास करती है । सरकार समझती है कि वह हरिश्चन्द्र का अवतार ह ।

यह कहा गया कि काबिज होने से पहल खाने में जो नाम दर्ज किया जाता है उसमें ग्राम सभापति और पंचायत सेक्रेटरी की सहमति होती है और न मालूम किस-किस की होती है । इस विषय में खरतापपुर गांव, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं । वहां एक बुधनी चमारिन थी लेकिन लेखपाल ने उसको मुर्दा बतला दिया । प्रधान के भी उस पर दस्तखत थे और पंचायत सेक्रेटरी के भी उस पर दस्तखत थे । उन दोनों की मुहर लगने के बाद तहसीलदार साहब के पास वह भेज दिया गया । एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि वह जिन्दा तो थी लेकिन उसको मुर्दा दर्ज कर दिया गया । इस सम्बन्ध में दो लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । मगर प्रधान साहब और सेक्रेटरी साहब बाल बाल बच गये, बिलकुल किनारे निकल गये । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों निकल गये, उसमें भी कुछ राज है लेकिन मैं उसे नहीं कहना चाहता हूं । तो कहने का मतलब यह है कि लेखपाल केवल हरिश्चन्द्र ही नहीं हैं बल्कि धर्मराज भी हैं । वे जब चाहें किसी को जिन्दा कर दें, जिन्दा को मुर्दा कर दें और मुर्दा को जिन्दा कर दें ; उस पर अभी मुकदमा चल रहा है । डी० वाई० एस० पी० कम्पलेंट्स के सामने उसकी जांच की गयी और उनके सामने बुधनी साक्षात पेश की गयी और उन्होंने स्वयं देखा कि बुधनी जिन्दा ह मगर फिर भी कुछ जांच हो रही है प्रधान साहब और सेक्रेटरी साहब की वजह से । लेखपाल तो दोनों उसमें हैं, कहीं लटके हुए हैं ।

श्रीमन्, एक चीज और कही गयी है । मंत्री जी ने यह कहा कि यह शिकायत लोग क्यों नहीं करते हैं । आंकड़े मंत्री जी ने यह पेश किये कि फलां जगह से इतनी शिकायतें आयीं । मैं श्रीमन, उन आदमियों के लिये क्या कहूं जो बेचारे गांव के हैं जिनकी न तो आज तक शिक्षा का प्रबन्ध हो सका और न जिनका खाली बित्ते भर का पेट भरा गया और न जिनके खुले हुए तन ढंके गये, वे बेचारे कहां तक शिकायत करने की हिम्मत कर सकते हैं । जो लोग शिकायत करने की हिम्मत कर भी सकते हैं और शिकायत को भी उनका क्या नतीजा हुआ उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं । मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन साहब थे मगर सरकार इनका पता लगाना चाहे तो लगा सकती है कि कौन साहब थे । एक साहब थे जिनके ऊपर वृहत् जोत कर का मामला चला । जो अधिकारी वृहत् जोत कर के लिये गया उसने उनसे ५०० रु० रिश्वत की मांगी और कहा कि इतना रुपया आप दें तो आपका कर घटा दिया जाय । वे जरा नये किस्म के फुदकते हुए नेता थे, उन्होंने सोचा कि रिश्वत देना बुरा है, इसको हम आगे बढ़ावें । फिर

उसकी शिकायत उन्होंने भारत के उच्चतम अधिकारी तक पहुंचा दी । उसका नतीजा यह हुआ कि पहले उनके ऊपर जो ५,००० रु० वृहत् जोत कर लगा था वह बढ़कर ६५,००० रु० हो गया और उस ६५,००० रु० की वजह से यह नौबत आ गयी है कि उनके घर द्वार भी कुर्क हो जायेंगे । अब जरा सोचें श्रीमन्, कि किसी की हिम्मत शिकायत करने के लिये कैसे बढ़े ? अगर कोई जरा-सा शिकायत करने के लिये अंगरखे में फुदके भी तो उस शिकायत का नतीजा यह है कि ५,००० रु० के ६५,००० रु० कर हो गये और अब उनका कोई पुरसांहाल भी नहीं है। तो इस तरीके से श्रीमन्, शिकायत करना तो बहुत आसान है मगर शिकायत करने के बाद उस शिकायत करने का नतीजा भुगतना एक अलग चीज हो जाती है ।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि लोग शिकायत करें तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी । सरकार जो मौखिक रूप से कहा करती है उस पर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है क्योंकि सरकार ने अपनी साख खो दी । मैं इस बात को कहने के लिये माफ किया जाऊं कि सरकार ने अपनी साख खो दी है । सरकार ने अभी तक जिन बातों के लिये भी वादा किया उनमें से एक को भी पूरा नहीं कर सकी है । जमींदारी तोड़कर भूमिधरी बनी, भूमिधरी तोड़कर चकबन्दी हुई और जब चकबन्दी के बाद नागपुर के अभ्यंकर नगर से जो एक भयंकर प्रस्ताव चला है सामूहिक खेती के लिये, जिसके नाम को सुन कर ही बेचारे किसान थर्रा जाते हैं । मैं उसी दल के लोगों से कहता हूं जिन लोगों ने पदयात्रा की है, उनसे ही अगर अलग-अलग पूछा जाय कि इस सामूहिक खेती के ऊपर उनके क्या विचार हैं तो वे कहेंगे-- भले ही पार्टी में ह्वीप की वजह से, हंटरेआजम के डर की वजह से वहां कह दें कि यह बिलकुल ठीक है, लेकिन वे यही कहते हैं कि इसकी वजह से उनके पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है । अगली मर्तबा आने का कोई ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपनी साख खो दी है।

सरकार यह वायदा करती है कि शिकायत करने वालों की रक्षा सरकार की ओर से की जायगी, लेकिन उसमें विश्वास नहीं रह गया है । सरकार करके दिखलाये कि शिकायत करने वाला जो हो उसकी रक्षा की जाय । जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गयी हो उसके अलावा किसी दूसरे विभाग के जरिये से जांच कराई जाय तो सरकार को पता चल सकता है कि असलियत क्या है । नहीं तो होता क्या है ? लेखपाल साहब के खिलाफ शिकायत की गयी और अन्त में उन्हीं लेखपाल साहब की कही चीज ही मान ली गयी, क्योंकि शिकायत होगी मंत्री जी के यहां । मंत्री जी उसे भेज देंगे सेक्रेटरी साहब के यहां । सेक्रेटरी साहब डायरेक्टर साहब के यहां, डायरेक्टर साहब उसे डिप्टी डायरेक्टर साहब के यहां, डिप्टी डायरेक्टर सी० ओ० के यहां और सी० ओ० ए० सी० ओ० के यहां और एस० सी० ओ० फिर उसे लेखपाल के यहां भेज देंगे और फिर उसी तरह सीढ़ी चढ़ती हुई वह शिकायत मिनिस्टर साहब के यहां आ जायगी । जिसने चोरी की वही जांच करे । हम चोर हैं तो कह दें कि हम चोर हैं तो वह हरिश्चन्द्र नहीं हरिश्चन्द्र के १०, ५ सीढ़ी आगे चला गया ।

एक चीज और निवेदन करनी है । किसानों को बड़ा हक मिल गया । एक हक यह भी मिल गया कि जो पेड़ वह अपने दरवाजे पर लगाया है अगर उसमें से एक दातून के लिये भी टहनी तोड़ ले और ग्राम पंचायत के सभापति की उन पर कृपा दृष्टि न हो तो उसके लिये सजा हो सकती है । यह अतिशयोक्ति या काल्पनिक बात नहीं है । मेरी जो पहले की रियासत थी उसमें एक ब्राह्मण, मौजा कछावरा में रहते थे । उन्होंने अपने दरवाजे पर लगे हुए पेड़ को मकान बनाने के लिये कटवाया । पंचायत के प्रधान साहब से उनकी नहीं पटती थी । वोट देते वक्त हाथ उठाने में गलती से या सही में उनका हाथ दूसरी तरफ उठ गया था । इस-

[कुंवर श्रीपालसिंह]

लिये उन्होंने उनको फांस दिया और उन पर जुर्माना हो गया। अपनी चीज काटने के एवज में उनको जुर्माना देना पड़ा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हक किसानों का उनके घरों पर, खेतों पर, पेड़ों पर होगा लेकिन असलियत यह है जिसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि कैसा हक है।

एक पुस्तिका माननीय मंत्री जी की लिखी हुई है "भूमि व्यवस्था में क्रान्ति"। पेज ६ पर शीर्षक है "ग्राम समाज में निहित सम्पत्ति और उसकी रक्षा"। इसमें वे लिखते हैं कि--"गांवों की सारी भूमि, चरागाह, रास्ते, मार्ग, पोखरे, तालाब, खलिहान, हाट, बाजार ये सब स्थान ग्राम सभा के हो गये"। जिस दिन से जमींदारी खत्म हुई किसान के घर और उसकी जमीन कहने के लिये तो उसके हो गये मगर असलियत यह है कि उसकी जो भी मिल्कियत थी वह भी छिन गयी। कहीं ग्राम सभा उसकी मालिक हो गयी और कहीं कहीं स्वयं सरकार मालिक हो गयी।

यह जो तीसरा कदम जबरदस्त उठाया जा रहा है इसका पैर जमने के बाद जो चौथा कदम उठेगा उसमें किसान देखने काबिल जगह पर पहुंच जायगा। क्योंकि सहकारी खेती तो होगी यह तय है चाहे कोई भी कहे। मुंशी जी ने कहा, रंगा जी ने कहा, राजगोपालाचारी ने कहा, सब ने कहा, इतने बड़े-बड़े लोगों ने कहा लेकिन उसका कोई असर नहीं। होगा वही जो महान् नेता की इच्छा होगी। इसलिये मैं तो यह मान चुका हूं कि कोआपरेटिव फार्मिग होगी और होकर रहेगी चाहे कोई कितना भी कहे। हालांकि वह होगी बिलकुल गलत। उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। नतीजा यह होगा कि गांव का किसान बिलकुल तबाह हो जायगा। साझे की खेती और साझे की औरत कभी रहती नहीं, हमेशा सत्यानाश होता है। साझे की खेती में मैं मिसाल दे सकता हूं। गांव के रहने वाले यहां सभी सदस्य हैं, कुछ लोगों को छोड़ कर जो शहरों से आये हैं, जिनका खाना पीना शहर से चलता होगा, बाकी सब किसान हैं, सब जानते हैं कि जो १० बीघा जमीन अपनी है तो उसमें कितनी खाद, पांस डाली जाती है, वह बरसात के महीने में कै बार जोती जाती है, उसकी बोवाई करते वक्त यह देखा जाता है कि कितना घना बोया गया है और जो साझे की खेती होती है उसमें यह होता है कि अरे फलां साहब जा रहे हैं वह देख लेंगे हम क्यों जायं। इस तरीके से आज भी साझे की खेती में उपज बढ़ती नहीं है। तो नतीजा यह होगा कि अभी तो एक झक्के में सहकारी खेती पर रेलगाड़ी जाकर रुकी है और जब उपज बटेगी तो यह होगा कि उपज बढ़ानी है उस वक्त डंडे का जोर आयेगा और कोआपरेटिव की जगह कलेक्टिव खेती होगी और उसमें जो किसान काम करने नहीं जायंगे तो डेढ़ हाथ वाली फादर लैण्ड की रस्सी रख दी जायगी उनके सिरहाने कि आप आत्म हत्या कर लीजिये। उस हद पर किसान पहुंचने वाला है। अगर किसान के हाथ से ज़मीन गई तो दो ही नतीजे होने वाले हैं या तो किसान ही खत्म होगा या उसके खत्म करने वाले लोग खत्म होंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि पद यात्रा नहीं शीर्ष यात्रा करके भी कोआपरेटिव फार्मिग किसान के सिर पर नहीं लादी जा सकती है। और अगर इसके पूरा करने की कोशिश की गई तो याद रखिये अभी जो १० साल आप चलने वाले थे वह ५ साल में ही खत्म हो जायंगे।

श्रीमन्, अब मैं चकबन्दी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप विषय के बाहर नहीं जायंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, कल यह तै हुआ था कि एक कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे और सब प्रस्तावों को पेश किया हुआ समझा जायेगा। उसके बाद जो लोग बोलेंगे उनको सभी प्रस्तावों के ऊपर बोलने की छूट होगी।

श्री अधिष्ठाता---माननीय नारायणदास पासी जी ने जो चकबन्दी के बारे म कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस विषय पर आप नहीं आ सकते, लेकिन आप रेफरेंस दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)-- श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने अननुमोदन कटौती का प्रस्ताव दिया था उसमें दो विषय लिखे हुए थे, एक अलाभकर जोतों की माफी न करना और दूसरे बिना सीलिंग किये जमीन की चकबन्दी करना। तो मैं समझता था कि इसमें अगर एक विषय पहले आ चुका है तो दूसरा विषय भी आ जायगा। लेकिन वह विषय सदन के सामने नहीं आया। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो दूसरा विषय नहीं आया वह भी डिजायरेबिल था और उसके आने की भी आप अनुमति दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता---नियम १९१ (३) आप स्वयं पढ़ें। उसमें यह शब्द हैं:

"वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायगा,. . . . . "

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं यह कह रहा था कि राजनारायण जी के नाम से था अलाभकर जोतवाला। तो दूसरा सब्जेक्ट जो उसमें रह जाता था मेरे प्रस्ताव के अन्दर उस विषय को अब ले लिया जाय और यह वांछनीय होगा कि लोग उस पर बोलें।

श्री अधिष्ठाता---मैंने यह कहा था कि एक सदस्य एक ही कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस समय आपका एक ही विषय है और दूसरा नहीं आ सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---वह विषय तो राजनारायण जी द्वारा प्रस्तावित करने से उनका विषय हो गया। मेरे प्रस्ताव का दूसरा विषय मेरा मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, मेरे सामने जो विषय है मैं उसी पर चलूंगा। अपने प्रस्ताव के बारे में आप सचिव से बात कर लीजियेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, सचिव की बात तो हम आपसे ही कहेंगे। मेरा निवेदन यह है कि दो विषय मेरे प्रस्ताव में हैं। उनमें से एक तो आप राजनारायण जी ने चूंकि पेश कर दिया है, उसको मानें और दूसरा जो प्रस्ताव का विषय है उसको वांछनीय यही होगा कि मेरे नाम से मान लें। बहस के लिये उनको कठिनाई हो रही है वह भी दूर हो जायगी और बार-बार एक ही बात को लोग नहीं रखेंगे। दूसरी बात भी सदन के सामने आ जायगी।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, आपने जो दो विषय दिये हैं उनमें से मैं एक ही को लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, बात यह है कि हम लोगों ने अलग-अलग कटौती के प्रस्ताव दिये थे, लेकिन विभाग ने उनको एक में मिला लिया। तो राजनारायण जी का एक विषय आया और अब दूसरा विषय जो रामस्वरूप जी का था वह नहीं आ पाया। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि रामस्वरूप वर्मा जी का दूसरा विषय भी ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---जो प्रस्ताव थे उनमें जो विषय एक थे वे मिला दिये गये। अगर विभिन्न होते तो न मिलाये जाते।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, जो मूल प्रस्ताव है उसको देख लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं उसे देख लूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मेरा कहना यही तो है कि जो प्रस्ताव है उसको अभी देखकर फैसला दे दीजिये जिससे लोगों को अपनी-अपनी बातें कहने में सुविधा रहे।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, मैंने व्यवस्था द दी है और वही कायम रहेगी।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी जब माननीय होरीलाल जी यादव ने अपना प्रस्ताव मूव किया था तब आपने दूसरे कटौती के प्रस्तावों के लिये यह व्यवस्था दी थी कि और प्रस्ताव मूव किये गये समझे गये और माननीय सदस्य और जो बोलेंगे वे उन्हीं तक अपने प्रस्तावों को सीमित रखेंगे । तो इसका मतलब यह है कि उन कटौती के प्रस्तावों पर जो माननीय सदस्य बोलेंगे वे उन तमाम बातों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । उनमें एक प्रस्ताव नारायणदास जी पासी का भी है जिसमें है "प्रदेश में होने वाली चकबन्दी तथा अन्य भूमि-सुधार पर गरीबों की परेशानी पर प्रकाश डालना" । तो चकबन्दी पर कटौती का प्रस्ताव आया हुआ समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझ गया । आप कृपा करके बैठिये । नारायणदास जी पासी ने उसे उपस्थित नहीं किया था । जब मैंने नाम पुकारा था तब वह यहां उपस्थित नहीं थे । अगर उनको दिलचस्पी होती तो वे यहां होते और उसको पेश करते । इसलिये मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इसके माने यह है कि जो दूसरे पेश किये हैं उन तक ही सीमित रहना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता---जी हां ।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिये लिखा था उसके लिये मैं यहां मौजूद हूं ।

श्री अधिष्ठाता---जिस वक्त मैंने नाम पुकारा था उस वक्त आप नहीं थे । अगर आपको दिलचस्पी थी तो आप उपस्थित रहते और उसको पेश करते ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---मैं उनके प्रस्ताव पर अगर नहीं आता हूं तो भी चूंकि माननीय मंत्री ने कुछ थोड़ा सा प्रकाश चकबन्दी पर डाला था इसलिये मैं भी कुछ थोड़ा सा चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । श्रीमन्, मंत्री जी ने यह फरमाया कि सरकार की अब यह पालिसी हो चुकी है कि आइन्दा जहां कहीं चकबन्दी होगी वहां अधिक से अधिक एक ही चक बनाये जाने का प्रयत्न किया जायगा । बड़ा सुन्दर है । इससे कौन इन्कार कर सकता है । चकबन्दी के माने तो यही है । यही हम चाहते भी हैं । मगर मैं यह पूछना चाहता हूं उन बदकिस्मत किसानों के बारे में जिनके ऊपर चकबन्दी का पहाड़ आपकी इस घोषणा के पहले टूट चुका है और जिनकी परानी ६, ६ की १४, १४ चकें बन चुकी हैं, जिनके घर भी दूसरों के चकों में पहुंच चुके हैं और जिनको जमीन के स्थान पर कहीं हाथी के डुबाव के ताल मिल गये हैं।

उन बेचारे बदकिस्मत किसानों के बारे में क्या होगा इस पर माननीय मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला । क्या वह बतायेंगे कि जहां पर चकबन्दी हो चुकी है और इस तरह के चक बन चुके हैं कि लोगों को चार-चार चकों की जगह ६-६, ८-८ और १०-१० चक बन चुके हैं, वहां पर उन चकों को फिर से सुधारने की व्यवस्था की जायगी और अगर की जायगी तो इस उलटफेर में जो खर्च होगा वह उन बेचारे गरीबों को बरदाश्त करना होगा या सरकार देगी ?

अब मैं थोड़ी सी बात सीलिंग के बारे में भी निवेदन करूंगा । मैंने पहले ही एक दिन निवेदन किया था कि इस सीलिंग का फल क्या होगा । अगर बराबर जमीन बांटी जाती है जैसा कि प्रस्ताव है कि सीलिंग करके बची हुई जमीन भूमिहीनों को दी जायगी, तो जमीन बचेगी तभी जब कि सीलिंग बहुत कम पर लगाई जायगी और फिर अगर बराबर बांटना है तो डेढ़ एकड़ फी आदमी पड़ेगी और अगर सरकारी आंकड़ों से भी देखा जाय तो उस भूमि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से १०० रुपया साल से अधिक आय न होगी । इसके माने तो यह हुए कि यह सीलिंग गरीबी की मोहर होगी । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी सदस्य के स्पष्टीकरण में या बजट के जवाब में कहा था कि समाजवाद के माने यह नहीं है कि गरीबी को गारंटी हो पर मैं समझता हूं कि उसके माने यह हो रहे हैं कि सब के धोती कुरते उतार लिये जायं और लंगोटी बंधवा दी जाय । मतलब यह है कि हम सीलिंग के विरोध में नहीं ह, हम भी चाहते हैं कि वह हो लेकिन वह बेचारे भूखे या आधा पेट खाने वाले किसानों पर ही न लादी जाय, आज गन्ने के दाम बढ़ाने में सरकार हिचकती है लेकिन चीनी के दाम घटाने की नहीं सोचती । शुगर मिलों के मालिकों के बड़े-बड़े पेट होते जाते हैं, जिसमें मय खेत के किसान और गन्ना समाया जा रहा है, उनके पेट की भी सीलिंग की जाय । कानपुर की जो बड़ी बड़ी कपड़े की मिलें हैं जिनके मालिक २ आना गज लागत का कपड़ा बनाकर और उसे डेढ़ रुपया गज बेच कर राष्ट्रपति से लेकर गरीब किसान तक से रुपया घसीट रहे हैं, उनकी आय पर सीलिंग होना चाहिये ।

सरकारी नौकरियों में भी यही हाल है, एक तरफ तो बेचारे ३० रुपया पाने वाले मामूली नलकूप आपरेटर हैं या अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले सिपाही ह जिनको ३०-३५ रुपया वेतन मिलता है और दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठने वाले बड़े-बड़े अफसर हैं जिनको ३,००० या ४,००० वेतन मिलता है । इन बड़े वेतनों को भी कम किया जाय और सीलिंग बड़ी आय पर की जाय । आज ही चेयर से रूलिंग हुई है कि मंत्री और सदस्य सब बराबर हैं । गोविन्द सिंह जी बिष्ट के कहने पर माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि वित्त मंत्री जी भी सदन के सदस्य हैं और वह भी सदन के सदस्य हैं । इसलिये सदस्यों और मंत्रियों के वेतन में कोई भेद न हो और मंत्रियों के वेतन पर भी सीलिंग की जाय । होता यह है कि जमींदारों के यहां जब जड़ावर और घमावर के नाम से गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे तो उसमें होता क्या था कि मैनेजर या ऊंचे अधिकारी होते थे उनको तो शेरवानी बनवा दी जाती थी और जो हलवाहा होता था उसको एक फतुही बनवा दी जाती थी और समझ लिया जाता था कि हम बिलकुल न्याय कर रहे हैं, जो जिस काबिल है उसको वह दे रहे हैं । तो हमारी सरकार आजकल जमींदार हो गयी है । मिल-मालिक जो हैं उनको छूट है कि चाहे जितना कमा लें शहर में रह कर, चाहे जिसके पेट को काट लें, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है । मगर गांव के रहने वाले बेचारे किसान के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि तुम्हारी आमदनी १०० रुपये साल से अधिक नहीं होगी । भूखों मरो, अगर तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो नहरे सरकार ने खोल दी हैं , पानी पीकर जिन्दा रहो, मगर जमीन नहीं रख सकते हो, आमदनी नहीं बढ़ा सकते हो । यह कहां का न्याय है ? श्रीमन् सीलिंग हो तो हर जगह की हो । गांव की हो, शहर की हो, नगरों की हो, हमें कोई विरोध नहीं है, मगर एक ही तबके के उपर सीलिंग हो, गांव वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्हीं को वोट लेने के लिए इन मिल वालों से नोट लेते हैं, उसकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस वोट के लिए नोट मिलते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी सीलिंग करते है, नोट वाले को नहीं करते डरते हैं ।

मैं अन्त में आपके प्रति आधार प्रकट करता हूं तथा उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी सहष्णुता के साथ मेरी टूटी-फूटी बातें सुनी और मैं मंत्री जी का अति ही आभारी होऊंगा अगर वह मेरी इतनी सी बात मान लें कि सीलिंग की लपेट में उन बड़े पेट वालों को भी ले लें ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय नारायणदास पासी जी, मैंने उस वक्त आपको पुकारा था, उस वक्त आप नहीं थे । आप अगर चाहें तो आपका प्रस्ताव ले लिया जाय और आप उस पर भाषण दे सकेंगे और वह इसमें शामिल कर लिया जायगा ।

(श्री नारायणदास पासी के उठने पर)

[श्री अधिष्ठाता---]

आप बैठ जाइये । अभी आपका नम्बर नहीं है । मैंने आपकी शंका का समाधान कर दिया । आपका प्रस्ताव पेश हो गया समझा जायगा, पेश करने की जरूरत नहीं है ।

श्री भीखालाल---अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान को पेश करते हुए माननीय माल मंत्री जो ने भाषण दिया उसको मैंने बड़े गौर से सुना । उन्होंने पिछले साल इस विभाग के अन्दर जो काम हुए हैं उनका ब्योरा दिया और अगले साल आइन्दा जो काम किये जाने वाले हैं उसके लिए एक रोशनी डाली ।

(श्री दीनदयालु शर्मा द्वारा अध्यक्षासन तथा श्री भीखालाल के बीच से होकर गुजरने पर)

श्री अधिष्ठाता---माननीय शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हो तो इस तरह बीच में से नहीं गुजरना चाहिये, अगर आवश्यक हो तो बाहर से जाना चाहिये ।

माननीय भीखालाल जी भाषण जारी रखें ।

श्री भीखालाल---अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय माल मंत्री जी ने भाषण में आइंदा जो कुछ थोड़ा सा काम इस विभाग के जरिये से होने वाला है उस पर रोशनी डाली । लेकिन आज जो केवल हमारे प्रान्त का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की चर्चा का जो विषय बन रहा है उसकी बाबत हमारे माल मंत्री महोदय ने अपने भाषण में चर्चा नहीं की , जरा भी जिक्र नहीं किया और वह विषय है जमीन की हदबन्दी और सहकारी खेती ।

जहां तक जमीन की हदबन्दी के विषय की गम्भीरता का प्रश्न है उस पर ज्यादा विवाद करने की या कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर खुद कांग्रेस ने महसूस किया है और उसने अपने नागपुर के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया है कि जमीन की हदबन्दी होनी चाहिये । लेकिन इसका इस बजट अनुदान में किसी किस्म का प्राविजन न करना एक ताज्जुब की बात मालूम होती है । जैसे प्रस्ताव के अन्दर यह कहा गया है कि सन् १९५९ में इस कानून का बन जाना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि इस अनुदान में इस विषय का होना बहुत ही आवश्यक था । मैंने जैसा आम वादविवाद के समय भी कहा था, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह विषय अब ज्यादा दिन टाला नहीं जा सकता है । मैं तो समझता हूं कि सरकार और खासतौर से माननीय माल मंत्री जो इसको जानबूझ कर टालना चाहते हैं क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जो आज तक हदबन्दी और सहकारी खेती के बहुत ही कट्टर विरोधी रहे हैं और अब चूंकि कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिया है लेकिन फिर भी यह चीज उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है इसलिये जानबूझ कर इसको टालना चाहते हैं । इसलिये हमारी यह मांग है और कम्युनिस्ट पार्टी की यह मांग है कि उस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी अमल में लाने का प्रयास करना चाहिये ।

अब प्रश्न उठता है कि जब हदबन्दी लागू हो, उसका कानून बने और अमल में आये तो क्या उसके साथ-साथ चकबन्दी का लागू रहना, उसका चलना उचित होगा या नहीं । मैंने जैसा पेश्तर भी जिक्र किया था, आज करीब १३ हजार गांवों में चकबन्दी हो रही है और बहुत से गांवों में चकबन्दी मुकम्मिल भी हो गयी है । हदबन्दी लागू होने के बाद जब चकों से जमीनें निकाली जायंगी तो फिर उलट-पलट होगी और चकबन्दी का कोई महत्व नहीं रह जायगा । इसलिये चकबन्दी का लागू रहना इस समय बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, इसमें समय और पैसे का अपव्यय है । अब तक सरकार ने करीब पौने चार करोड़ रुपया खर्च किया है और इस बजट में भी १ करोड़ ६० लाख रुपये का प्राविजन चकबन्दी के लिये किया गया है । मैं समझता हूं कि यह रुपया बिल्कुल बर्बाद होगा जब कि हदबन्दी का प्रस्ताव पास हो गया है । इसलिये

चकबन्दी को फौरन ही रोकना अनिवार्य हो गया है और हदबन्दी का कानून बनना जरूरी है हमारे माल मंत्री जी कह सकते हैं कि हम चकबन्दी को अगर रोकें तो इतना बड़ा स्टाफ कहां ले जायं। जरूरत इस बात की है कि हदबन्दी से पहले कागजात की दुरुस्ती होनी चाहिये जैसे चकबन्दी के पेश्तर भी होता है। इसलिये जब तक कि हदबन्दी का कानून नहीं बनता है इस पूरे अमले को उस काम में लगाया जा सकता है और कागजात की दुरुस्ती करायी जा सकती है।

दूसरी जरूरत है कि जैसे जमींदारी खात्मे के वक्त किसी आर्डिनेन्स के जरिये किसानों की बेदखलियां नहीं रोकी गयी थी उसी तरह से अगर हदबन्दी के नाम पर किसी आर्डिनेन्स के जरिये से ट्रांसफर और बंटवारे नहीं रोके जाते हैं तो धड़ाधड़ बंटवारे होंगे, ट्रांसफर्स होंगे। और हदबन्दी का जब कानून बनेगा तो जरा भी जमीन नहीं निकलेगी और अगर यही नीयत है सरकार की, जैसा जाहिर होता है तो मैं समझता हूं कि हदबन्दी कानून को ही बिलकुल लुञ्ज पुञ्ज बनाना चाहते हैं। इसलिये आर्डिनेन्स के जरिये से बड़ी जोतों के बटवारे और ट्रांसफर्स फौरन रोकने चाहिये और जमींदारी खात्मे के बाद अब तक जितने ट्रांसफर्स हुए हैं उनकी भी परीक्षा करनी चाहिये और अगर कोई ट्रांसफर या बंटवारा इस नीयत से किया गया है क्योंकि हदबन्दी की मांग बहुत पुरानी है और धनी किसान और वे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं वे बहुत दूर की सोचते हैं, उन्होंने ऐसे ट्रांसफर और बटवारे कर रखे हैं जिससे हदबन्दी कानून बेकार हो जायं, तो वे कैन्सिल किये जाने चाहिये। दूसरी जरूरत यह भी है कि जमींदारी खत्म होने के बाद बहुत सी बंजर और परती जमीन के पट्टे हुए हैं। कायदा तो यह है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाय। लेकिन कानून की अवहेलना हुई है जिसके पास ज्यादा भूमि है उनको ही जमीन दी गयी है। इसलिये नये पट्टों की जांच होने की अत्यन्त आवश्यकता है और अगर कानून की अवहेलना हुई है तो उनको भी खारिज करने की कार्यवाही की जाय और इस काम में चकबन्दी का पूरा स्टाफ लगाया जा सकता है। इसलिये हमारी मांग है कि चकबन्दी फौरन रोकी जाय और एक आर्डिनेन्स के जरिये बटवारे और ट्रांसफर्स रोक दिये जायं। पूरे स्टाफ को कागजात की दुरुस्ती में लगा दिया जाय ताकि इस कानून हदबन्दी के आने से पहले सारे कागजात दुरुस्त हो जायं।

चकबन्दी की शिकायतों की चर्चा भी आई और माल मंत्री जी ने पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा होती है लेकिन माननीय सदस्य कोई शिकायत मंत्री जी के पास नहीं भेजते हैं वर्ना वह किसी भी अधिकारी को बरखास्त कर सकते हैं। मैं माल मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह उन्नाव गये थे तो एक सभा जमका में की थी और पड़री के किसानों का एक मेमोरेंडम दिया था और उन्होंने दिखाया था कि नम्बरान का रकबा नक्शे में है और जो मौके पर दिया गया है उसमें फर्क है। हम भी मौके पर गये और हमने पैमाइश की और पाया कि अगर कागजात में रकबा डेढ़ बीघे दर्ज है लेकिन मौके पर एक बीघे ही पाया गया। हमने लिखित शिकायत दी और मैंने मंत्री जी से कहा कि इसकी जांच कराइये। लेकिन आज तक जांच नहीं हुई और न कोई बरखास्त किया गया और दावा यह किया जाता है कि सदस्य शिकायत नहीं भेजते। माल-मंत्री जी कह सकते हैं कि मैंने चकबन्दी संचालक कपूर साहब को भेजी था। लेकिन मैं कहता हूं कि वह मौके पर नहीं गये और पड़री गांव से दो मील दूर ही रह गये और वहीं से लिख दिया कि कोई गलती नहीं है। वहां मौके पर जांच क्यों नहीं की गयी ?

अधिष्ठाता महोदय, कागजात दुरुस्ती के बाबत कहा गया है कि सदन के सदस्यों से जांच पड़ताल करने के लिये कहा गया तो केवल डेढ़ प्रतिशत ही गल्तियां निकलीं और लेखपालों की बड़ी प्रशंसा की गयी और माल मंत्री जी ने किस्सा भी सुनाया। उनके पास बहुत से आंकड़े रहते हैं और जब जैसा मौका होता है वैसे आंकड़े वह पेश कर देते हैं। जब चकबन्दी के स्टाफ की तारीफ करते हैं तो कह देते हैं कि इतनी सारी गल्तियां दुरुस्त की

[श्री भीखालाल]

और जब लेखपालों की तारीफ करनी होती है तो कहते हैं कि सिर्फ डेढ़ प्रतिशत गल्तियां ही निकली उनका स्टाफ ट्रेंड है चाहे बकरी के तीन कान कहें, चाहे चार कान कहें। अंत में मैं यह मांग करूंगा कि चकबन्दी रोककर हदबन्दी कानून बनाया जाय, चकबन्दी का पूरा स्टाफ कागजात दुरुस्ती में लगाया जाय और आर्डिनेंस के जरिये बटवारे और ट्रांसफर्स रोके जायं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोलने के लिये दस मिनट का समय कर दिया जाय ताकि काफी लोग बोल सकें।

श्री अधिष्ठाता---मेरा खयाल यह है कि यह सर्व सम्मति से मान्य है कि बोलने के लिये दस मिनट का समय हो क्योंकि काफी सदस्य बोलने वाले हैं और सबको समय मिल जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, इसमें प्रतिबन्ध यह रहे कि यदि किसी माननीय सदस्य को आवश्यकता हो तो श्री अध्यक्ष थोड़ा समय और दे सकें।

श्री अधिष्ठाता---हां, वह तो है। दो एक मिनट मैं बढ़ा सकता हूं।

श्री नारायणदास पासी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस ने जब पूज्य बापू के नेतृत्व में इस देश को आजाद किया तो दो-तीन महत्वपूर्ण कदम ऐसे उठाये जो हमारे देश में हमेशा स्वर्णाक्षरों से लिखे जायेंगे। पहला कदम तो उन्होंने जमींदारी एबालिशन कानून बना कर उठाया और दूसरा कदम जो उन्होंने उठाया कि हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। यह हमारा लक्ष्य है। इस पर पंच वर्षीय योजनाएं बन रही हैं। तीसरा कदम सहकारी खेती का उठाया जा रहा है जिससे हमारे देश की गरीबी और बेकारी दूर होगी। इसी लक्ष्य को लेकर हम अपने विषय पर प्रकाश डालेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, आप भूले नहीं होंगे जिस समय हम संघर्ष कर रहे थे तो आज जो जमींदार पूंजीपति और राजा आये हुए हैं वह कांग्रेस संघर्ष के विरोधी थे अब गरीब का नाम लेकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। हमेशा उनकी यही हालत रही है। जितने सरमायादार, पूंजीपति और शोषक होते हैं, वे नाम लेते हैं गरीबों का और फायदा उठाना चाहते हैं अपना। अधिष्ठाता महोदय, यह तो जमींदार और ताल्लुकेदार शोषक हैं, जिन्होंने १८५७ के गदर में गद्दारी की थी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पीठ में छुरा भोंका और विदेशियों का साथ दिया था देशभक्तों की मुफ्त में जमीन व जायदाद अंग्रेजों की वफादारी में पाये हैं, ये अधिकतर वही हैं। सन् १९५० में जिस समय जमींदारी एबालिशन कानून बना था उस समय हमारे प्रदेश में जमींदारी क्षेत्र की कुल जमीन ४,३९,६९,३८६ एकड़ थी और इस प्रदेश में छोटे बड़े जो जमींदार थे वह २०,१६,७८३ थे। उनके पास कुल ७१,२७,३०० एकड़ जमीन थी। इसमें केवल १०,८६,०८१, एकड़ लगान पर उठी हुई थी। बाकी उनके कब्जे में थी। इसके अलावा बाग और ऊसर, बंजर उनके पास थे। ये सरकार को ६,८०,६९,९८० रुपया लगान देते थे। जमींदारी एबालिशन के बाद करोड़ों रुपया उनको जमींदारी हक के लिये मुआवजा दिया गया। उसके बाद उनको पुनर्वासन अनुदान दिया गया। इसके बाद इनकी सीर पर बिना दस गुना दिये हुए भूमिधरी का अधिकार प्राप्त करा दिया गया। सीर का लगान भी इनका पुराना ही रहा और जो ग्राम समाज के प्रधान हो गये तो जो ऊसर बंजर जमीन गांव समाज में थी, गांव समाज का मैनुअल की धारा १९८ के खिलाफ, सारी ऊसर बंजर जमीन अपने घर वालों को अथवा मित्रों को पट्टे करा कर दे दी। इससे गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो है बिलकुल हताश होता रहा और बेबस व बेकार हो गया। किसानों ने जो उनकी मौरूसी काश्तकर की मालगुजारी थी उस पर दस गुना देकर के अपने खून पानी के पैसे को सरकार

में इकट्ठा किया और इनको मुआवजा में दिया। शिकमी काश्तकारान जो थे उन्होंने पंद्रह गुना देकर के भूमिधरी का अधिकार प्राप्त किया। इस तरह श्रीमन्, यहां का किसान जो है वह इनके लिये बहुत कुछ करता रहा है। तो श्रीमन्, भूमिधर जो बने थे हमारे प्रदेश में उनकी तादाद ३८,०४,३३४ थी और इनके पास १,४६,०६,८०५ एकड़ जमीन है जो कुल का ३३·२२ प्रतिशत होता है। वह किसान जिन्होंने भूमिधरी के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन दस गुना जमा नहीं किया था मगर उनका लगान आधा हो गया, वह १,०८,११४ एकड़ जमीन पर हैं कि कुल का जो ·२४ प्रतिशत है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव पर भी कुछ विचार व्यक्त करें।

श्री नारायणदास पासी---मैं उसी पर आ रहा हूं।

राज्य में जोत कुल १,२२,७८,२८९ थी जिनमें ४,१३,१६,४८० एकड़ बटी थी इनमें ३ एकड़ से कम अलाभकर जोतें २,६७,३८४ थी जिन पर १,२८,७३,१९३ एकड़ भूमि थी आगे सीरदार की भूमि जो थी श्रीमन्, वह २,९०,७०,४३१ एकड़ थी। असामी श्रीमन्, जो थे उनके पास १,६३,९२४ एकड़ जमीन थी। जो बिना हक के काबिज थे उनके पास २,००२१ एकड़ जमीन थी। अब श्रीमन्, देखेंगे हम जब एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम इस प्रदेश में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि चाहे हम नियोजन का काम लें, चाहे अधिक उत्पादन का काम लें, चाहे कोई भी सुधार का काम लें जब तक हमारे प्रदेश की आर्थिक इकाई व्यक्तियों की नहीं हो जाती है अलाभकर जोत की लगान माफी व भूमि वितरण नहीं होता। तब तक आखीर वह तरक्की कैसे कर सकता है? उसको तकावी क्या घर पर मिलेगी? इस तरह न उसकी हालत सुधर सकती है और न वह ऊंचा उठ सकता है। इसलिये सरकार ने यह कोशिश की कि भूमि सुधार हो। यह जो बीच में शिकमियों को अधिकार दिये गये सीरदारी के तो उसमें यह हुआ कि ४४,००,००० के करीब शिकमी हमारे प्रदेश में थे, उनको सीरदारी के अधिकार दिये गये। लेकिन इन जमींदारों ने, अधिष्ठाता महोदय, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए।

श्री अधिष्ठाता---आपके दो मिनट हैं।

श्री नारायणदास पासी---तो श्रीमन्, मैं क्या कह पाऊंगा? श्रीमन्, इन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर दबाव डालकर के लेखपालों से लेखों को कटवाकर के जो शिकमी सीरदार होने वाले थे उसमें ३९ प्रतिशत को नहीं होने दिया। ६१ प्रतिशत श्रीमन्, किसी प्रकार हो पाये और इस ६१ प्रतिशत में अब जो है लगान देते हैं किसान सरकार को और इन बहुत लोगों के खेतों को जबरदस्त लोगों ने छीन लिया है।

श्रीमन्, चकबन्दी जब आयी, मैं कहना चाहता हूं हमारे गरीब किसानों के साथ में कितना अत्याचार हुआ है, वह बिलकुल बेजबान और बेकस हैं, इसकी मिसाल मैं फैजाबाद जिले से देना चाहता हूं। अभी हमारे यहां ७ फरवरी को डाइरेक्टर साहब, असिस्टेंट डाइरेक्टर गये हुए थे फैजाबाद में। वहां पर हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने, एम० एल० एज०, एम० पीज० ने सबने पूछा जांचा ७ फरवरी को मीटिंग हुई। यह तय हुआ कि चकबन्दी देखने के लिये सब से अच्छे कच्चे रास्ते के दो गांव ले लिये जायं। तो मेरे क्षेत्र में रामपुर ग्रंट और अंगेथुवा ग्राम में चकबन्दी हो रही है। उसमें श्रीमन्, हमारे जिले के सब अधिकारी और जयराम जी एम० एल० ए० और राजाराम जी एम० पी० और सारे कांग्रेस कार्यकर्त्ता वहां थे। रामपुर ग्रंट में यह हुआ कि वहां ऐसी गल्तियां मिलीं कि क्या कहा जाय। यह बहुत ही दुखियारा गांव है। उस पर किस्म-किस्म की विपत्ति आती रही है और वहीं पर श्रीमन्, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब की स्त्री की ४०-५० बीघे जमीन है। वहां पर श्रीमन्, बहुत गल्तियां पायी गयी। इस हालत में चकबन्दी की गयी थी कि डाइरेक्टर महोदय, ने कहा कि गांव क्वेश हो जाय।

[श्री नारायणदास पासी]

अंगेथुवा ग्राम में भी यही हालत थी। लेकिन वहां पर चकों पर नये कब्जे दे दिये गये। इसके बाद वहां पर चकबन्दी के डाइरेक्टर साहब गये थे। वहां पर इतनी गलती निकली कि सी० ओ० को रोक देना पड़ा। जांच करनी पड़ी। फिर भी सैकड़ों गल्तियां वहां पर निकली। भूमि सुधारों से भी जो कि सब गरीबों के खिलाफ वह हुआ। इन जमींदारों ने तमाम गरीब लोगों को सता कर उनकी जबान बन्द कर दी और अपने को फायदे में रखा और अपना फायदा उठाया। मैं उनका समर्थन करता हूं।

(श्री रमेशचन्द्र शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा---आपने वही क्रम रखा है जिस क्रम से प्रस्ताव आये हैं।

श्री अधिष्ठाता---सब को समय मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जिनके कटौती के प्रस्ताव नहीं है उनको भी समय मिले।

***श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं सब से पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया जो हमारे क्षेत्र के किसानों से पूरा संबंध रखता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं ६,१८,१३,५०० रुपया जिस अनुदान के लिये मांगा गया है मंत्री महोदय के द्वारा, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, लेकिन समय की कमी की वजह से थोड़े से सुझाव अपने जिले के लिये देना चाहता हूं। लगान की वसूली का कायदा जो है उसमें माननीय माल मंत्री को थोड़ी सी तरमीम करनी है। ऐसी तरमीम करनी है जिससे सब गरीब लोगों का लाभ हो। उसकी वसूली का तरीका, माननीय मंत्री महोदय ने कई बार कहा था, कि गांव सभा के प्रधान के द्वारा किया जायगा। मैं उनसे आशा करूंगा कि एक बार गांव सभा के प्रधान को इसकी वसूली देकर उनका पता लगा लेना चाहिये।

दूसरी बात कागज के संबंध म है। कागज म कुछ गलती है। उन गल्तियों को मैंने इस तरह से देखा कि हमारे जिले मे, हमारे क्षेत्र में बरना, बसुई, अरसी, सई, पीली, गोमती, गड़ई नम्बर १ और गड़ई नम्बर २ और छोटे-छोटे नाले हैं। उनके कारण उन गांवों की जमीन ८० फीसदी तक, ५० फीसदी तक कटकर नदी या नाले में चली गयी है, लेकिन वह जमीन पुराने कागज में ज्यों की त्यों बनी हुई है और लगान भी उन खेतों पर, उनकी जमीन पर उसी ढंग से वसूल होता है जैसे कि पहले पुराने ढंग से होता था। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसी जमीनों की एन्क्वायरी करें और उसी तरह से लेखपाल के कागज में उन काश्तकारों के लगान कम कर दिये जायं जिनकी जमीन नदी या नालों में बहकर चली गयी है। मैं आपसे बताऊं कि एक दर्दनाक घटना मैंने देखी अपने रोज के दौरे में। तहसील मडियाहूं में गांव निगेसरा एक है जहां पर ६०, ७० किसान रहते हैं। वह गांव बसुई नदी के किनारे पर आबाद है। वहां पर उस गांव में ३ हिस्से जमीन यानी ७५ फीसदी लोगों की जमीन बसुई नदी में बहकर चली गई है। उस गांव के किसान एक एक दाने के लिये मर रहे हैं। उनके वहां पैदा कुछ भी होता नहीं है। खरीफ की फसल भी कुछ पैदा नहीं होती है। रबी के लिये उनके पास जमीन नहीं रह गयी है। उनकी सारी जमीन कट गई है और बसुई नदी में बहकर चली गयी है और कुछ बसुई के नाले ने ले ली है।

हमारे क्षेत्र में बरना नदी के आस-पास ३५ गांव ऐसे हैं जहां पर उनकी जमीन ६० फीसदी ४० फीसदी और २५ फीसदी नदी और नाले में है और लगान उनके खेतों पर बराबर बना हुआ है। इस तरह से उन खेतों पर भी लगान कम करना है। एक बात मैं आपको यह भी बताऊं कि वसूली के सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय ने कई बार कहा है। मैं उनकी पुरानी बात की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जमीन जो वसूली करते हैं, मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहता हूं कि वह वसूली ठीक है, सही वसूली करते हैं और यह जो कहा जाता है कि नजराना लेते हैं यह तो बहुत कम है, हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन मैं आप से बतलाऊं कि जब पटवारियों के हाथ से कागज लेखपालों के हाथ में आये उस समय पता नहीं, पटवारियों की गलती से या लेखपालों की अयोग्यता की वजह से कागज ऐसे गलत हो गये कि कहीं १३ का ६३ लिख गया, कहीं १३ का ३ लिख गया, कहीं १३ की जगह ६५ लिख गया। मेरे क्षेत्र में एक मुकदमा २ साल तक चला जिसमें ३ का ६३ लिखा हुआ था और अमीन पुराने कागजों को लेकर ही वसूली करने जाते हैं। उसी के आधार पर किसान को लगान देना पड़ता है नहीं तो कुर्की होती है। अब तो किसान के आनाकानी करने पर पुलिस भी जाती है। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये, ताकि किसान को मालूम हो कि हमारा लगान किस तरह वसूल हो रहा है। वह जाने कि हमारा अधिकार है राज्य करने का। कागज जो हैं, वह सही हैं या गलत। हमको कितना लगान देना है आदि बातों का उसको भान होना चाहिये और कुछ न कुछ सुविधा इस दिशा में उसको मिलनी चाहिये।

इसके अलावा किसानों को कहीं-कहीं जो छूट दी जाती है उसका तरीका इस तरह का बनाना चाहिये कि जहां कहीं भी मालूम हो कि किसान का खेत कट गया या उस पर काफी तकलीफ पड़ी या दैवी प्रकोप हुआ, बाढ़ आ गयी, सूखा पड़ गया, तो उसका कागज सही बनाना चाहिये, और जल्दी बनाना चाहिये ताकि किसान को समय से मालूम हो सके कि कितनी छूट मिलने वाली है। छूट की बात उसको मालूम होने नहीं पाती और वसूल-याबी हो जाती है। तो इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से अपनी तरफ से प्रार्थना करूंगा कि व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि किसान को मालूम हो कि हम उचित ढंग से उचित लगान दे रहे हैं और उसका तरीका सही है।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अधिष्ठाता जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पहली बात है मालगुजारी की। जब इस सूबे में जमींदारी कायम थी तो सरकार उनसे ७ करोड़ रुपया मालगुजारी लेती थी और आज वह २२ करोड़ रुपया काश्तकार से वसूलती है। कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद किसानों से उतना ही लगान वसूल किया जायगा जितनी कि जमींदारों से मालगुजारी वसल की जाती है। तो मेरी मांग है कि सरकार जितनी मालगुजारी जमींदारों से लेती थी . . . .

श्री चरणसिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वायदा कब किया था कि जमींदारों से जितनी मालगुजारी लेते हैं काश्तकारों से उतनी ही लेंगे।

श्री बालकराम--मैं एक दफा पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूं और अभी भी देना चाहता हूं आप यह न समझें कि मैं एक नया कांग्रेसी हूं या सोशलिस्ट हूं। मेरा तो खयाल यह है कि आप के पहले का कांग्रेसी हूं।

श्री चरणसिंह--यह जवाब है मेरे सवाल का?

श्री बालकराम--जो हां। और एक दफा नहीं हजारों दफा हम वालेंटियरों से यह नार लगवाये गये कि अंग्रेजों के जाने के बाद किसानों से उतनी ही मालगुजारी ली जायगी जितनी कि जमींदारों से ली जाती है। अगर मैं यह समझता कि माल मंत्री जी से बहस करनी पड़ेगी तो मैं उन कागजात को अपने पास रखता और दिखा देता।

श्री अधिष्ठाता--फिर दिखा दीजियेगा।

श्री बालकराम--जो हां, मैं दिखा दूंगा...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—आप जवाब दीजिये मेरे द्वारा, रोष में न आइये।

श्री बालकराम—मंत्री जी दारुलशफा में आयें, मैं दिखा दूंगा। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने और आपके जरिये सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिये मंत्री जी की बात ही मान लें कि कभी वायदा नहीं किया था कांग्रेस ने लेकिन समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये तो आपका यह फर्ज हो जाता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के किसानों से —जैसा कि आपने अभी अपनी स्पीच में बताया कि ९५ लाख खानदान किसानों के इस उत्तर प्रदेश में है और एक खानदान पर अगर ५ आदमी लगा लें तो करीब-करीब ५ करोड़, पौने पांच करोड़ किसान होते हैं—अगर मालगुजारी के मुताबिक लें तो सिर्फ १० करोड़ का घाटा सरकार को होता है जब कि आप अलाभकर जोतों से लगान माफ कर दें। २२ करोड़ में १० करोड़ का घाटा होगा और १२ करोड़ आपको मिलेंगे जो कि फिर भी ७ करोड़ से ५ करोड़ ज्यादा ही होंगे। इसलिये मेरी मांग है कि जमीन का लगान जो है जो कि जमीन का टैक्स होता है वह २२ करोड़ के बजाय ७ करोड़ किसानों से लिया जाय और अलाभकर जोतों से लगान माफ किया जाय। इससे ५ करोड़ किसानों में ६० फीसदी किसानों को फायदा होगा और यह ३ करोड़ किसान आपकी एक कलम से फायदा उठा जायंगे और फिर मैं समझता हूं कि आपको वे उम्र भर इस कुर्सी पर बनाये रखेंगे।

दूसरी बात वसूलयाबी की है। मंत्री जी ने अपनी स्पीच में अमीनों और पटवारियों की बहुत तारीफ की। इसमें शक नहीं कि कुछ अमीन ऐसे जरूर हैं जो तारीफ के काबिल हैं लेकिन यहां बैठे बैठे आपको सब काबिल तारीफ मालूम होते हैं और वह इसलिये कि कुंजड़ी अपने बैर कभी खट्टे नहीं बतलाती। कोई मिनिस्टर अपने मुहकमे के किसी छोट से छोटे कर्मचारी को कभी बुरा नहीं बतलाता इसलिये अगर आप भी अच्छे बतलाते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हैं बतलाना आपको चाहिये, लकिन आप यह देखें कि मैं यह सबूत दे सकता हूं...

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य "आप" के बजाय 'मंत्री जी' कहें तो ठीक होगा।

श्री बालकराम—तो मैं सबूत दे सकता हूं कि अमीनों के पास तहसीलदार के दस्तखती वारन्ट होते हैं जिन पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती जिस पर किसी भी किसान का नाम लिखकर अमीन गिरफ्तार कर लेता है। किसानों को मुर्गा बनाया जाता है और उनसे वसूलियाबी की जाती है जिनके घर में खाने-पीने को नहीं है, लेकिन उनके घर अमीन नहीं जाते वारन्ट लेकर जो कि देने के काबिल हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक अमीन ने जाकर १०—१२ काश्तकार, जिनको खाने के लिये मुश्किल से एक वक्त रोटी मिलती थी, उनके नाम दस्तखती वारन्ट में भर कर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जैसे तैसे उन किसानों ने कर्जपात लेकर लगान चुकाया और उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे शिकायत की कि बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा अमीन साहब से कि गरीबों पर क्यों वारन्ट जारी किया जिनके पास खाने को नहीं था, उनको जारी करते जिनके पास पैसा था, जो दे सकते थे, मेरे नाम वारन्ट जारी करते हालांकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पास एक बिसुआ भी भूमि नहीं है और न घरवार है—मेरी मंशा यह है कि उन लोगों से वारन्ट के जरिये वसूल करते जिनके पास पैसा था तो उन्होंने कहा कि आइन्दा इसका खयाल रखेंगे।

दूसरे, मंत्री महोदय ने पटवारियों की तारीफ की। पटवारियों की तारीख तो जब मालूम हो जब आप तहसील में इस बात की जांच करायें कि पटवारियों के गलत इन्दराज पर कितने मुकदमे हर साल हर तहसील में चलते हैं तब पता चले कि पटवारी क्या-क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लेखपाल गलती करे उसे दंड दिया जाय। लेखपाल ने गलती भी की और मुकदमा जैसा भी फैसल हो जाय लेकिन लेखपाल सिर्फ यह कह कर छूट जाता है कि साहब गलती हो गई। अगर गलती हो गयी तो उसको उसकी सजा मिलना चाहिये और फिर लेखपाल गलती नहीं किया करेंगे।

तीसरी बात चकबन्दी या सीलिंग के सिलसिले में है। सीलिंग आप करना चाहते हैं, करें मुझे कोई इनकार नहीं है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं--"घरबार है न पास हमारे, न माल व जर--हमसे खिलाफ होके जमाना करेगा क्या"। सीलिंग आप करें लेकिन जैसी सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि जिस वक्त आप सीलिंग करें तो यह सोचकर करें कि एक हल बैल से एक काश्तकार बिला किसी दूसरे की मदद से जितनी जमीन जोत सकता है उतनी सीलिंग पर करें और यह आप स्कीम बना दें कि तीन गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यानी जितना एक हल बैल वाला आदमी जोत सकता है, उसके तीन गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ऐसी सूरत में मंत्री जी ने जो तारीफ की वह तो ठीक ही है लेकिन पासी जी ने जो तारीफ की उससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उससे मैं केवल यही समझा कि अगर वे तारीफ न करते तो क्या करते क्योंकि उन बेचारों को खतरा होगा कि सन् १९६२ में टिकट में खतरा न पड़ जाय।

एक बात यह भी कही गयी कि बजाय अमीनों के वसूली पंचायतों से करायी जाय। कम से कम मंत्री जी इस बात की जांच करा लें। आप कहते हैं कि थोड़ा कम वसूल होता है, लेकिन मेरा खयाल है कि अगर यह काम आप पंचायतों को देंगे तो पूरा वसूल हो जायगा, लेकिन सूरत यह है, जैसी कि सोशलिस्ट पार्टी की मांग है, जितना भी लगान या आबपाशी के लगान की वसूली हो उसका एक चौथाई हिस्सा गांव वालों को दिया जाय, ताकि वे अपने गांव की रोशनी, स्कूल, सड़कें और पंचायत घरों आदि का प्रबन्ध कर सकें। मेरा खयाल है कि पंचायत बहुत आसानी से वसूल कर सकती हैं बशर्ते कि आप उनको हिस्सा दें। इससे आपका वह रुपया जो कि चपरासियों और अमीनों पर व्यय होता है, बच जायगा।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन कर रहा हूं। अभी इस अनुदान पर काफी विवाद हुआ है, लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कुछ जरूरी बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तो लगान की वसूली का ढंग कुछ ऐसा होना चाहिये कि खरीफ की लगान खरीफ की फसल के बाद ही वसूल हो जाय, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे यहां ओला पड़ा है, उसका असर यह हुआ है कि खरीफ की फसल तो बहुत दिन हुए घर गयी लगान अब वसूल हो रहा है आगे आने वाले रबी की फसल बरबाद हो गयी। अब किसान यह सोचता है कि खरीफ का भी लगान दे या न दें। अगर सरकार से कहा जाता है कि लगान मुल्तवी कर दो तो उत्तर मिलता है कि खरीफ की फसल तो हो गयी थी, उसका लगान तो देना ही चाहिये, लेकिन ओलों के पड़ने से रबी की फसल सब बरबाद हो गयी है। हमारे यहां कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां केवल रबी होती है और वह सारी की सारी बरबाद हो गयी आज ही मुझे यह खबर मिली है कि लगान की वसूली पूरी धूमधाम पर है। इसलिये मैं चाहूंगा कि खरीफ की फसल की लगान खरीफ के बाद ही वसूल कर लिया जाय तो अच्छा होगा। फिर आपत्ति आने पर न यह कठिनाई होगी और न जबरदस्ती वसूल करने की नौबत आयेगी वह भी उस हालत में जब कि किसान देने से मजबूर हो जाय। यह कायदे की बात है कि खरीफ का लगान उनको देना चाहिये, लेकिन ऐसी आफत के समय में वे लगान दें या घर का काम संभालें। इसलिये मेरा सुझाव है कि खरीफ का लगान खरीफ की फसल के बाद ही वसूल कर लिया जाय, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि आपत्ति पर सभी वसूली रोकी जाय। दूसरी बात यह है कि लगान वसूली के जो अमीन हैं उनकी माननीय मंत्री जी ने तारीफ की, मैं भी तारीफ करता हूं कि सब अमीन ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुधा ऐसा देखा गया है कि दैवी आपत्तियों के वक्त जो छूट होती है उसका ऐसा ढंग है कि छूट का पर्चा लगान का कागज बनाने में लेखपाल जो हैं कुछ भ्रष्टाचार का सहारा

[श्री राजकुमार शर्मा]

लेता है और जिन किसानों के यहां नुकसान कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है उनके लिये तो छूट लिख देता है और जिनको छूट होनी चाहिये उनको नहीं लिखते। एक तो दिक्कत किसानों को यह होती है कि ऐसे मौके पर कांग्रेस वाले भी जाते हैं, समाजवादी भी जाते हैं, यानी हर पार्टी के लोग जाते हैं, आफिसरान भी जाते हैं और देख आते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और किसानों को इत्मीनान हो जाता है कि अब तो सब देख ही गये हैं, हमारी तो छूट हो ही जायगी, लेकिन छट का कागज लेखपाल बनाता है और यह निश्चित बात है कि कागज बनाते वक्त वह कुछ लेता है।

छूट की पर्ची की दूसरी बात यह है कि जब लगान लेने के लिये अमीन जाता है तो किसान को मालूम तो रहता नहीं है कि हमको छूट हुई कि नहीं हुई और अगर हुई तो कितनी हुई, अब अमीन कहता है कि अगर तुम हमको कुछ दो तो हम तुमको छूट दे दें। लिहाजा किसान सोचता है कि अमीन के हाथ में ही छूट है इसलिये लेखपाल के बाद जो कुछ और लेना देना हो सकता है उसे लेकर ही अमीन उसको छूट की पर्ची देता है। इस प्रकार सरकार की ओर से जो छूट किसानों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी चकबन्दी के बारे में लेखपालों की गलती केवल २५ परसेंट बतलायी। मेरा खयाल है कि लेखपाल की गलती सेंट परसेंट से ऊपर भी कही जाय तो असम्भव नहीं होगा। इसलिये कि माननीय मंत्री जी न एकबारगी पटवारियों को निकाला तो कुछ थोड़ी कठिनाई आ गयी कि पूरी की पूरी जगह कैसे भरी जाय। तो जो लोग जैसे भी आये सब को रखना पड़ा। कोई लेखपाल काबिल है, कोई नाकाबिल है। यहां राज्यपाल और लेखपाल का एक तरह का सम्पुट है। माननीय मंत्री जी का एक कानून हो गया है कि लेखपाल का सीधा सम्बन्ध एस० डी० ओ० से ही है। वही उसे मुअत्तल करे या रखे। तहसीलदार से उसे कोई मतलब नहीं है। अब जब एस० डी० ओ० को लिये हुए लेखपाल घूमता है, यहां तक कि कुछ लेखपाल एक एस० डी० ओ० का ट्रांसफर रोकने के लिये यहां पक आये थे। अब आप सोचें कि जो लेखपाल एस० डी० ओ० का ट्रांसफर रोकने के लिये यहां तक आ सकता है वहां का तहसीलदार और नायब तहसीलदार उसका क्या कर सकता है और क्या शासन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां लेखपालों का राज्य है और वे अनुशासनहीन हैं वह इसलिये कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखा गया है कि वह उन पर नियंत्रण कर सक। इसलिये म प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी तहसील चुनार की तरफ ध्यान दें। हमारे यहां की तहसील के परगना किरियात में पदुलहा, धनैता, मझरा गांव है जिनका आधा रकबा गंगा में बह गया, लेकिन लगान की वसूली ज्यों की त्यों है नहर की पड़ी हुई और सड़कों में पड़ी भूमि १० साल हो गय, लकिन अभी तक लगान में छूट नहीं हो सकी। तो वहां भी लगान में छूट होनी चाहिये। हमारे यहां शिवपुर, धरमरपुर गांव की जमीन सालों से बालू से पटी हुई है, लेकिन आज तक किसानों की लगान में कोई छूट नहीं हुई जो अवश्य होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास ह कि माननीय मंत्री जी उन त्रुटियों को जो मैंने बतलायी हैं, दूर करने की दया करेंगे।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, जब देश स्वतन्त्र हुआ था तो सरकार ने कहा था कि जितनी जल्दी हो जमींदारी खत्म करके किसान को किसान की भूमि का मालिक बनायेगी। जमींदारी समाप्त हुई, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं हो सका। किसान तब मालिक बनाया जाय जब वह १० गुना लगान दे और उधर जमींदार जिन्हें समाप्त किया गया था वे अपनी जमीन का बिना १० गुना जमा किये ही मालिक बनाये जाते हैं। इस प्रकार सरकार का यह नारा कि किसान को किसान की भूमि का मालिक बनाया जायगा जमींदारी उन्मूलन के बाद अब तक पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, आज गरीब किसान कितनी मुसीबतों में अपने दिन काट रहा है, ऐसा मालूम होता है सरकार को उसका कुछ पता नहीं है। हमारे मंत्री जी जो वस्तुतः बड़े कुशल हैं और जिनके काम की छाप हमारे हृदय पर है लेकिन उन्होंने अपनी मशीनरी की ऐसी तारीफ़ की, लेखपालों के बारे कहा कि माननीय साथी जो चुन कर आये हैं वे उन पर रहम करें और जितनी भी शिकायतें आयीं उनमें से करीब डेढ़ परसेंट ऐसी पायी गईं जिनका होना स्वाभाविक है। श्रीमन्, बहुत सी ऐसी शिकायतें होती हैं जो प्रत्यक्ष वहां देखन से मिलती हैं और बहुत सी शिकायतें तो मंत्री जी के पास कागज के आते आते बीच ही में ठीक हो कर आती हैं। इसका प्रैक्टिकल अनुभव वहां के निवासी कर सकते हैं और इसके लिये श्रीमन्, मंत्री जी कोई दूसरा ही रास्ता खोजें तब ठीक प्रकार से काम चल सकता है।

हमारे प्रदेश में खेती का लगान देश के अन्य प्रदेशों से कई गुना अधिक है। मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ४ रु० ६ आ० ८ पाई फी एकड़ है, पंजाब में जहां की खेती अधिक उपजाऊ है, १ रु० १ आ० ६ पाई फी एकड़, बिहार में १ रु० ६ पाई, राजस्थान में १३ आना ६ पाई, और आसाम में २ रु० ६ आ० ८ पाई। इसके अलावा भी हमारे प्रदेश के किसान के ऊपर इतने टैक्स बढ़ गये हैं, परेशानियां आ गई हैं लेकिन उसकी सुविधा का कोई खयाल हमारी सरकार ने नहीं किया।

श्री चरण सिंह--- क्या मैं जान सकता हूं कि यह आंकड़े आप कहां से दे रहे हैं?

श्री भूवनेशभूषण शर्मा---केन्द्रीय सरकार के टैक्सेशन इनक्वायरी आयोग की रिपोर्ट से।

श्री चरणसिंह---वह मालगुजारी के आंकड़े हैं, रेंट के आंकड़े नहीं हैं। मैं इसके मुताल्लिक हाउस में पहले भी दो बार कह चुका हूं कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में आंकड़े सब सूबों के दे रखे हैं। तो जिन सूबों में जमींदारी खत्म नहीं हुई थी वह आंकड़े माल्गुजारी के हैं, लेकिन हमारे यहां १९५२ में ही जमींदारी खत्म हो चुकी थी इसलिये हमारे यहां के आंकड़े रेंट के हैं। दोनों को कैसे आप कम्पेयर कर रहे हैं?

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---श्रीमन्, हमारी सरकार इस प्रकार नये-नये तरीके, नये-नये कानून तो ला रही है, लेकिन किसान के लिये अब तक कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अब तक जमींन की हदबन्दी नहीं की। भारतीय जनसंघ सदैव से कहता आया है कि सरकार को अपनी स्पष्ट नीति करनी चाहिये। बड़ी-बड़ी जमीनें जिन लोगों के पास हैं उनको उसी हद तक सीमित करना चाहिये। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई कानून हमारी सरकार नहीं लायी।]

चकबन्दी चल रही है। उसमें किस प्रकार का गोलमाल होता है और उससे किसान कितना परेशान होता है यह तो वहां के निवासी ही जानते हैं और मंत्री जी भी उससे परिचित हैं। एक तरफ चकबन्दी चले रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रस्ताव किया है कि अब सहकारी खेती करायी जाय। यह तो हैं लेकिन हदबन्दी की माननीय मंत्री जी घोषणा नहीं कर सके। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब की बार माननीय मंत्री जी इस प्रकार का कानून अवश्य लायेंगे कि किसानों की जो जमीन है उसकी हदबन्दी की जायगी और जो बची हुई जमीन होगी वह खेतिहर मजदूरों को या जिनके पास एक या दो या चार एकड़ जमीन है उनको बांट दी जायगी।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

किसान के लगान को भी आधा नहीं किया गया है। चाहिये तो यह था कि सरकार उनका लगान आधा करती। वह नहीं किया गया। जब जमींदारी समाप्त की गयी थी उस समय जो जमींदारी के लिये जो जमींदारों को मुआविजा दिया गया था वह किसानों पर नहीं लादा जाना चाहिये था, लेकिन सरकार ने बजाय अपने ऊपर लेने के किसानों पर उसको लाद दिया। उनसे कहा गया कि १० गुना देने के बाद तुम ४० वर्ष तक आधा देना। लेकिन अगर ठीक से देखा जाय तो १० गुना नहीं किसान को तो ११ गुना देना पड़ा क्योंकि अगर वही रुपया कहीं वह जमा करता तो उससे उसको प्राफिट हो सकता था। लेकिन वह भोलाभाला किसान जिसके ऊपर यह सदन कायम है जिनके ऊपर ये बड़े-बड़े नौकर कायम हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देहात के अन्दर रहने वाला किसान आज पिसता चला जाता है और सरकार का ध्यान नगरों की तरफ सदैव टिका रहता है।

श्रीमन्, जमींदारी अबालिशन विभाग है। इसमें कितने ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उनको स्थायी करने की सोच रहे हैं। श्रीमन्, कितने व्यक्ति हैं जिनकी उम्रें बढ़ गयीं, २५ साल से अधिक हो गये, किसी जगह लिये नहीं जा सकते, लेकिन आज उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है।

अलाभकर जोतों के किसानों से कोई लगान नहीं लेना चाहिये, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी। सरकार को चाहिये कि अधिक से अधिक सुविधायें किसानों को देने के लिये और बैल वगैरह खरीदने के लिये या और प्रकार से उनको सुविधायें देती। उनको सुविधायें न देकर के आज आप सीलिंग करना चाहते हैं, इधर चकबन्दी करके उधर कोआपरेटिव फार्मिंग चलाना चाहते हैं, लेकिन ठीक प्रकार हदबन्दी करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करते। इसकी तरफ ध्यान दीजिये।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। इस बजट पर हमारे प्रदेश के काश्तकारों का जीवन निर्भर है जिनके लिये सरकार सब कुछ कर रही है।

आज संसार में तीन चीजों के लिये झगड़े होते हैं, जर, जोरू और जमीन। यह हमारे भारत में ही नहीं होते बल्कि भारत के बाहर के लोग भी इनसे परेशान हैं।

अब मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सूखा पड़ा। सूखा की जांच के लिये तहसीलदार साहब गये। सौ बीघे को वह देखते हैं जहां धान, मकई, ज्वार और जड़हन होती है, और २५ बीघे को देख कर औसत लगाते हैं। कहीं अगर धान नहीं हुआ है तो भी उन खेतों का लगान माफ नहीं होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिनके खेतों में पैदावार न हो उनका लगान माफ होना चाहिये, क्योंकि अगर पैदावार न हुई हो तो लगान कहां से दें। हमारे यहां यह हुआ कि धान की फसल में गन्धी लग गयी और उससे फसल बरबाद हो गई और जानवर तक उसके पयाल को नहीं खा सके।

माननीय मंत्री जी ने बड़ी तारीफ की लेखपालों की और उस तारीफ को सुनकर मुझे हैरत हुई। आज देहात में जाइये और देखिये क्या हालत है? सन्त बिनोवा भावे हमारे जिले में आये और भूमिदान में जो जमीन मिली थी उसे भूमिहीनों में वितरित किया गया। लेकिन पटवारी नम्बर देने में उन गरीबों से रुपया मांगने लगा। पहले पटवारी २ रुपये लेता था तब खेत का नम्बर देता था, लेकिन आज लेखपाल ५ रुपये से कम नहीं लेता है तब जाकर नम्बर देता है। जिसको आज वहां भूमिदान में जमीन मिली हो और बांटने को गरीब किसान को दी गयी हो तो वह बेचारा पटवारी महोदय के लिये ५० या २५ रुपये कहां से लायेगा, जब कि उसको केवल ३, ५ बीघा जमीन मिली है। आज आपके लेखपाल ने जो आतंक मचा रखा है, जो अन्धेर मचा रखा है वह पटवारी के जमाने में नहीं था।

आज हर जगह जमीन के सम्बन्ध में झगड़ा मचा हुआ है। आज अगर लेखपाल का इन्दराज बन्द कर दिया जाय तो सारा झगड़ा खत्म हो जाय। किसान पढ़ा लिखा कम है। वे अपना-अपना खेत जोत रहे हैं लेकिन कैफियत का खाना छोड़ दिया जाता है। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कैफियत के खाने में भूतपूर्व जमींदार तथा ग्राम के गुंडों ने अपना नाम लिखा लिया और फिर लाठी के जोर से उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। वह रोता, चिल्लाता रह जाता है।

अधिष्ठाता महोदय, आज हाउस में माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश करते समय अपने ग्राम के एक व्यक्ति का हाल बतलाया कि किस प्रकार लोग चोरी करते थे और यह भी बताया कि कुछ चोर जातियां थीं, जिनमें चोरी करने के बाद ही शादी ब्याह होती थी। मैं भी उसी चोर जाति में से हूं। उस जाति को समाज बरवार जाति कहता है। इस जाति पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट लागू किया और उसको बसाने के लिये यह ऐक्ट लागू किया गया १८९० में डिप्टी गनी मोहम्मद ने बरवारों को आबाद कराया। जमीन बैल, मकान सरकार ने दिये। अंग्रेजों ने इस जाति को बसाने के लिये हर सम्भव उपाय किया। पढ़ाई-लिखाई के लिये वजीफा मिलता था और अदालत में प्रार्थना-पत्रों पर स्टाम्प नहीं लगता था। उस जाति का एक महकमा कायम किया जिसमें , जिलेदार और एस० डी० ओ० होते थे और इस तरह से उसकी निगरानी होती थी। गांधी जी की कृपा से हमारा उद्धार हुआ और उद्धार होकर आगे बढ़ने की कोशिश की गयी। केन्द्रीय सरकार इसके लिये लाखों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन आज जब मंत्री महोदय ने उस पद को संभाला तो उन्होंने उस बरवार मुहकमे को खत्म कर दिया और उस मुहकमे को खत्म करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे कहते हैं "टके सेर भाजी टके सेर खाजा"। आज हालत यह हो गयी है कि एक-एक बीघा जमीन हमारे पास से चली जा रही है कैफियत के खाने में औरों का नाम लिख-लिख फरके। काश्तकार हम शिकमी होते थे। हमें सीरदार बना दिया और सीरदार ही नहीं बना दिया आज उस जाति का यह हाल है कि उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब श्री जहूरुल हसन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस पर विचार होगा। मैं चाहता हूं कि यह किसान जो है उसका . इस तरह से काम हो जिससे जिन परिवारों की जमीन छिन गयी है वह मिल जाय, वरना जमीन किसी के पास नहीं रह जायगी।

अब जमीन का बटवारा होने जा रहा है। हमारी जो जोतें है अलाभकर उनका लगान माफ कर दिया जाय इसका मैं विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि आर्डिनेंस निकाल कर शीघ्र ही जमीन की बिक्री या दूसरे के नाम पट्टा करना रोक दिया जाय ताकि भूमिहीन लोग जमीन के बटवारे से फायदा उठा सकें। ऐसा न हो कि जमीन के बटवारा होने से भूमिहीनों को कोई फायदा न हो जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन हुआ और उससे किसानों को उसी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ जैसे गंगा का पानी हिमालय से आया और समुद्र में गिर गया। इधर नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस जन होने के नाते अनुशासन में रहने की वजह से जो हुक्म होगा उसे माना ही जायगा, लेकिन सहकारी खेती इस प्रदेश में पनप नहीं सकती जब दो भाइयों में साझे की खेती नहीं हो सकती तो पूरे समाज में कैसे हो सकती है ?

चुनाव के दौरान मैं मौदहा गया था। वहां बांदा व हमीरपुर जिलों में कुछ ग्राम भूमिदान में मिले हैं। वहां किसानों से मालूम हुआ कि मेहनत वे करते हैं लेकिन जब अन्न व धन का बंटवारा करने के लिये लोग बैठते हैं तो बड़े लोगों के लड़के की शादी में इतना और लड़की की शादी में इतना देना होता है। इसी तरह से मृत्यु और पढ़ाई लिखाई पर भी उन्हें देना पड़ता है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनको इस प्रकार कुछ नहीं मिलता। तो कहीं सहकारी खेती में भी यह चीज न आ जाय जिससे हमारा रहा सहा भी चला जाय। इसलिये मुझे यह डर है कि इस सहकारिता के नाम पर हम सब मिट जायंगे।

[श्री गंगाप्रसाद]

अन्त में मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि वे अपने विभाग में हरिजनों की सर्विस पर ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी और रिजर्वेशन का पूरा पालन किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस परिश्रम और लगन के साथ माननीय राजस्व मंत्री कई वर्षों से भूमि सुधार की योजना में तत्पर हैं, अगर सही मानों में इस सम्बन्ध में सदन की राय से काम लिया गया होता तो उनको आज इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की ऐसी बातें सुनने को न मिलतीं।

श्रीमन्, एक तरफ इतने बड़े-बड़े कानून बनते चले जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ राजस्व मंत्री जी के विभाग की तरफ से जो पुस्तिका बंटी हुई है "उत्तर प्रदेश---आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" इसे जरा वे देखें। इसमें यही दिया हुआ है कि कितने एकड़ जमीन ५७ में बोई गयी और कितनी ५८ में बोई गयी, कितनी उपज ५७ में हुई और कितनी ५८ में हुई---ये सारे आंकड़े इसमें दिये हुए हैं। इसको अगर गहराई से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि सरकार की जो नीति है और देहात के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य में जमीन आसमान का फर्क है। लेखपाल, कुर्क अमीन क्या करता है? कब्जे की पड़ताल किस तरह से होती है? इस सम्बन्ध में मेरे कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है क्योंकि गंगा प्रसाद जी तथा अन्य बहुत से माननीय सदस्यों ने इतनी साफ बात बतलाई है लेखपालों के सम्बन्ध में जिसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि लेखपालों के व्यवहार में और काम में बड़ा अन्तर है। मैं गंगा प्रसाद जी की बातों से सहमत हूं। पटवारी का सवाल जिस वक्त आया था उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि पटवारी की जगह लेखपाल जो नियुक्त हुए हैं उनको लेखपाल मत कहिये, पेटपाल कहिये। पहले जमाने में पटवारी २ रुपये इन्तखाब के लेता था आज लेखपाल उसी काम के लिये २०, २५ रुपये लेता है। फिर आप देखेंगे श्रीमन्, कि लेखपाल के जिम्मे इतना अधिक काम है कि सही तरीके से वह उसे कर नहीं पाता है। काम सही भी करना चाहते हों तो वह कर नहीं पाते, उनके जिम्मे पड़ताल से लेकर किस घर में कितने पशु हैं---सभी रिपोर्ट उसी से मांगी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो खेत नदियों में विलीन हो गये हैं उनकी मालगुजारी माफ होती है और ऐसा सरकारी नियम है लेकिन मुझे मालूम है कि लेखपाल केवल उन्हीं खेतों की पड़ताल दरियाबुर्द करके लिखता है जिन खेतों के मालिकों से वह कुछ पा जाता है। कल ऐसा ही सवाल था सन् १३६४ फसली में खेत दरियाबुर्द हुये और बलिया के रहने वाले बेचारे किसानों को मालूम नहीं हुआ कि कब लेखपाल पड़ताल करके ले गया, अगर वह खुश करते तो उनके खेत दरियाबुर्द लिखे जाते और मालगुजारी माफ हो जाती। जैसा कि माननीय रमेशचन्द्र शर्मा जी ने भी कहा है कि घोसी और सगड़ी तहसीलों में लाखों एकड़ जमीन दरियाबुर्द हो गई है और नदियों की धारा में जमीन कट जाती है लेकिन बेचारे किसानों को मालगुजारी देनी पड़ती है। जिस किसान की जमीन दरियाबुर्द हो गई उससे उस खेत की मालगुजारी वसूल की जा रही है, इससे ज्यादा और क्या ज्यादती हो सकती है, उन खेतों की मालगुजारी वसूल होती है जिनमें नहर और बांध बने हैं।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वह लेखपाल को यह अधिकार देना चाहते हैं कि जिसके नाम मालगुजारी लिखी है उसका नाम काट दे और दूसरे का लिख दे। जिसकी जमीन कट गई उसका फर्ज था कि वह कलेक्टर को दरखास्त देता। यह भी अधिकार आप देना चाहते हैं लेखपाल को तो सोचिये कितना जुल्म काश्तकारों पर होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कल का सवाल मेरे टेबिल पर है। मैं कहूंगा कि आपके यहां तो किसान वंचित रह जाता है सुविधाओं के पाने से। कलेक्टर के यहां क्या, मंत्री जी के यहां भी कोई दरख्वास्त दे तो जांच करने भेजा जाता है सर्किल कानूनगो को। मैं खुद अपनी जानकारी से कहता हूं कि आपके यहां किसान दरख्वास्त देते हैं लेखपाल और कानूनगो पड़ताल करते हैं

और गलत पड़ताल करने पर उन पर कोई ऐक्शन नहीं होता। मैं उनको इतने बड़े अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जो अधिकार आपने उनको दिये हैं उनका बड़ी कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये। सरकारी आदेश है कि नया इन्दराज (पड़ताल) किया जाय वह लाल रोशनाई से और उसकी नकल प्रधान को दी जाय। मैं जानना चाहूंगा अपने उन माननीय सदस्यों से जिनका सम्बन्ध गांवों से है कि कितने लेखपाल गांव के प्रधानों को नये इन्दराजों की नकल देते हैं। जो लेखपाल नियम के अनुसार गांव प्रधानों को नकल न दे उसको मुअत्तल किया जाना चाहिये, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस जुर्म में कितने तहसीलदारों ने कितने लेखपालों को मुअत्तल किया है? एक भी नहीं हुआ है। हमारी जानकारी है कि गांव सभाओं से इस तरह के प्रस्ताव भी पास हुये और कलेक्टर के यहां लिखा गया कि नये इन्दराजों की नकल लेखपाल नहीं देते लेकिन फिर भी किसी लेखपाल का आज तक बाल बांका नहीं हुआ। पटवारी के बूते पर ही सारी सरकार की मशीनरी चलती है। हमारे यहां के देहात नदी के किनारे बसे हैं और बरसात के जमाने में सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, उसकी जांच लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, परगना हाकिम और कलेक्टर सब करते हैं और अगर चाहते हैं तो कमिश्नर भी करते हैं। इस साल भी वहां बाढ़ आई और उसकी रिपोर्ट लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक गई। देहात के किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि डिवीजनल कमिश्नर गोरखपुर भी जांच करने आ रहे हैं, हमें भी अधिकारियों ने नहीं बताया। किसानों ने बताया कि वह आ रहे हैं, हम ठीक समय पर वहां पहुंचे और कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। कलेक्टर से लेकर लेखपाल तक की रिपोर्ट है कि फसल अच्छी है, खेत में पैदावार हुई है, यह लोग गलत कहते हैं, हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे थे। मैंने कमिश्नर से कहा कि चलिये घूमें। ५-६ मील तक उनको घुमाया और कमिश्नर, गोरखपुर ने लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक की जितनी रिपोर्ट थी उसको गलत कहा और हमारी और जनता की राय का समर्थन किया। मैं जानना चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्री से कि अगर कमिश्नर नहीं गये होते तो क्या वहां के किसानों की मालगुजारी में छूट हो जाती? नहीं हो सकती थी। मैं सरकार से आपके द्वारा कहूंगा कि आप लेखपाल पर और कानूनगो पर इतना भरोसा मत कीजिये वरना जिस ईमानदारी से परिवर्तन करना चाहते हैं भूमि में, वह होने वाला नहीं है।

एक निवेदन और करूंगा मालगुजारी के सम्बन्ध में। अपने प्रदेश में मालगुजारी बे तरीके से है। कौन खेत अच्छा है कौन खराब है, किसमें पैदावार कितनी होती है, एक साल में कितनी होती है, मालगुजारी की वसूली में इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे खेत हैं कि जिनकी मालियत अच्छी है, पैदावार अच्छी होती है, सोने के खेत कहे जा सकते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो हर साल नदी में पानी में डूबे रहते हैं, फिर भी उनकी मालगुजारी उन खेतों से ज्यादा है। मैंने एक मर्तबा राजस्व मंत्री से निवेदन किया था तो उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल है, होने वाला नहीं है। जमींदारी टूटने के बाद अपने प्रदेश के किसानों को यह आशा थी कि हमारे खेत जिनकी मालगुजारी ज्यादा लगती है वह कम होगी, जिनमें पैदावार नहीं होती है उसमें छूट होगी, उसका सपना बहुत दूर चला गया। सीरदार के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सन् ५२ में जो ऐक्ट बना उसकी धारा ४ के अनुसार आजमगढ़ में लाखों नम्बर किसानों को खेत मिले लेकिन सेशन कोर्ट से सब बेदखल कर दिये गये। मैं भूलता नहीं हूं। वह किसान जिसको माल मंत्री जी कहा करते थे कि जब यह ऐक्ट पास हो जायगा तो जो गरीब से गरीब किसान है उसको इससे लाभ होने वाला है। राजस्व मंत्री जी के पास तालिका होगी, मैं जानना चाहूंगा कि आज पाये हुए खेत कितने बच गये हैं? आपने किसानों को अकिंचन कहा था, आज उनसे मालगुजारी कितनी वसूल हो रही है? भूमिधर, जो पुराने जमींदार थे, उनसे कितनी वसूल की जा रही है और पुराने काश्तकार जो भूमिधर बने उनसे कितनी वसूल की जा रही है और जो अकिंचन था, जो सीरदार बना उससे सर्किल रेट से दूनी मालगुजारी वसूल की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन में गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तरीय प्रदेश के किसानों को यह गर्व है कि उन्हें एक ऐसा राजस्व मंत्री मिला है जिन्होंने शिकमियों को पुनराधिकार दे दिये। १९५६-५७ का समय बांध दिया कि उसके अन्दर जितने नाम दर्ज होंगे वह पूरे किसान होंगे और जो ट्रेसपासर्स थे, जिनका भूमि पर अतिक्रमण था, अनधिकृत रूप से जो काबिज थे उनको भी पूर्ण अधिकार दे दिया गया। अधिवासियों को पूर्ण अधिकार दे दिया गया। जितनी समस्यायें किसानों के बारे में सोची गयी हैं वह सम्पूर्ण देश में किसी भी प्रदेश में ऐसी समस्यायें नहीं सोची गयीं। मैं तो कह सकता हूं कि कभी भी यह ट्रेसपासर्स को अधिकार कहीं नहीं दिया गया, वह हमारे राजस्व मंत्री ने दिया है। मैं चाटुकारिता के वाक्य नहीं कह रहा हूं। जिनको जानकारी प्राप्त करना हो वह कर लें। दो तीन मास से सिंचाई और विद्युत् विभाग में जो भूकम्प आया हुआ है कि जो बड़े से बड़े अधिकारी दफ्तर छोड़कर घर चले गये हैं और कितने सस्पेंडेड हैं, इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिये और ऐसी अवस्था में यह कहना .....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहूंगा कि क्या कोई माननीय सदस्य जो आज प्रस्तावित अनुदान है उस पर विवाद करते समय दूसरे विभागों में जो अच्छे-बुरे काम हो रहे हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं जिससे इसका बिलकुल, इस अनुदान से, कोई सम्बन्ध न हो ?

श्री अधिष्ठाता---वह रेफ्रेंस दे सकते हैं। वह यह बताना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने इस विभाग में सुधार किया तो उसमें भी करेंगे।

श्री उग्रसेन---वह तो केवल तारीफ की भूमिका थी।

श्री अधिष्ठाता---थोड़ा रेफ़रेंस देते हुये इसी विषय पर कहें।

श्री रामलखन मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, मैं एक धार्मिक विचार का प्राणी हूं और आचार्य मनु ने लिखा है कि जब सभा में जाओ तो हृदय में जो बात हो उसको अवश्य कहना चाहिये। उस उद्देश्य से मैंने बात कही। मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि मैं किसी स्वप्न लोक में हूं। ऐसी बात कही जाती है कि जिसका न सिर है न पांव। चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो वर्त्तमान डायरेक्टोरेट है, चाहे उसके ऊपर कपूर साहब रहे हों चाहे साही साहब रहे हों इतना बड़ा भूकम्प उसमें लाये हैं जिसके कारण नौजवान कर्मचारी जो यूनिवर्सिटी से आये हैं और वहां कार्य करते हैं वे एक तरह से घबड़ा से गये हैं। श्रीमन्, १३,००० गांवों में चकबन्दी हो रही है और १,४०,००,००० से ऊपर कुल गाटे हैं जिनमें से २४ लाख गाटों का परीक्षणकाल हमारे यहां हो रहा है। चकबन्दी समाप्त हो रही है। चकबन्दी के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के बारे में जितने भी प्रार्थना-पत्र वहां दिये जाते हैं उन पर वहां पूरा विचार हुआ है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि माननीय कपूर साहब तो केवल फर्जी जांच करके लिख देते थे। इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं उनके साथ रहा हूं, वे इस विचार के नहीं थे और चकबन्दी के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी सेवायें की हैं।

अब मैं थोड़ा-सा कुछ सुझाव के तौर पर मंत्री जी से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि वर्तमान कमिश्नर का विचार है कि चकबन्दी के अन्तर्गत केवल एक चक बना दिया जाय। बात ठीक है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें भी नीचे के कर्मचारी भ्रष्टाचार करेंगे। तीन, चार किस्म की जमीनें होती हैं। यदि अधिकारियों को आदेश दे दिया गया और किसानों की राय न ली गयी तो उनके खराब खेतों को एक चक में कर दिया जायगा और वहां के पूंजीवादी गरीब किसानों पर अत्याचार करेंगे। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि तीन महीने के अन्दर राज्य चकबन्दी कमेटी की बैठक हुआ करेगी। यदि

वह बैठक होती तो अपने इस विचार को मैं उसके सामने रखता लेकिन ६ मास व्यतीत हो गये और एक भी मीटिंग उस कमेटी की नहीं हुई । चकबन्दी में स्वार्थ का युद्ध होता है इसलिये हमें बहुत सोच समझ कर नियम बनाना चाहिये ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

दूसरी बात चकबन्दी के सम्बन्ध में यह है कि चकबन्दी के जो दो प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं बिलारी और शिवगढ़ में ये आदर्श रूप में चल रहे हैं । बिलारी कैम्प में देख चुका हूं, बहुत सुन्दर है । लेकिन वहां पर केवल ४०० चकबन्दी लेखपालों का प्रशिक्षण हो रहा है । यह संख्या तो एक जिले के लिये भी पर्याप्त नहीं है । इसके लिये कम से कम १३-१४ प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिये वरना जैसे ए० सी० ओ० को दस रोज की ट्रेनिंग के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है और वह अमीनी का काम करने लगता है उसी तरह से इसमें भी होगा । इसलिये १३-१४ प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिये और उनमें पर्याप्त संख्या लेखपालों की होनी चाहिये । अकेले हमारे जिला बस्ती में ही कम से कम ४०० से ऊपर लेखपाल चाहिये । वहां ४० ए० सी० ओज० और ७ सी० ओज० हैं । ६ तहसीलें हैं और यह संख्या एक जिले के लिये भी पर्याप्त नहीं है । श्रीमन्, इसके बाद मैं अब ए० सी० ओज० की ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहूंगा । वह यह है कि जो हमारे ए० सी० ओज० का आजकल शिक्षण होता है वह पर्याप्त नहीं है । इसलिये श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि उनके शिक्षण कार्यकाल को बढ़ाया जाय । उनका शिक्षण कम से कम ६ महीने का होना चाहिये । दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे ए० सी० ओज० को भूमि के वर्गीकरण का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये । आजकल उनकी शिक्षा पूर्णरूप से नहीं हो पाती है और उनका शिक्षण अधूरा ही रह जाता है और उनसे यह काम लिया जाता है । इसलिये मैं कहूंगा कि उनका शिक्षण पूर्ण रूपेण होने की आवश्यकता है । सी० ओज० और ए० सी० ओज० को मिल कर काम करना होता है । उनके लिये ४ महीने की जो ट्रेनिंग रखी गयी है वह पर्याप्त नहीं है । वह बढ़कर कम से कम ६ महीने की होनी चाहिये । सी० ओ० के लिये भी चाहिये कि जमीन के वर्गीकरण की उसको भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाय । जब उसकी ट्रेनिंग पूर्ण रूपेण होगी तभी वह मौके पर जाकर उचित और ठीक निर्णय दे सकता है ।

यद्यपि वर्तमान कानून में सी० ओ० को ब्लाक फार्मेशन का अधिकार दिया गया है लेकिन पूंजीपति उनको करने नहीं देते हैं और वह किसानों को अपने प्रभाव में लाकर सी०ओ० के सामने मौन कर देते हैं और वह किसानों की ओर से स्वीकृति-पत्र ले लेते हैं । ऐसी बहुत सी कठिनाइयां हमारे सी० ओज० के सामने आती हैं ।

श्रीमन्, इसी प्रकार से हमारी चकबन्दी में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और उनको हमें दूर करना है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और यद्यपि वह किसान परिवार के ही हैं फिर भी दौरा करते समय उनको चाहिये कि वह डाक बंगले में निवास न किया करें बल्कि उनको अब ग्रामवास करना चाहिये । वैसे उनका जन्म गांव में ही हुआ है लेकिन फिर भी अधिकार प्राप्त अवस्था में प्रजा के सम्बन्ध में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये उनको गांव में जाना चाहिये । यह बड़े दुख की बात है कि आजकल हमारे मंत्रीगण नगरों में ही रह जाते हैं । उनको गांवों में भी जाना चाहिये और वहां की दशा को स्वयं देखना चाहिये । मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बहुत समय से गांवों को तिरस्कृत सा कर दिया गया है यह ग्रामीण शब्द तिरस्कार के रूप में प्रयोग होता है । आज वह अज्ञानी समझे जाते हैं । यदि हमारे भगवान रामचन्द्र जी को बनवास न हुआ होता, उनको बन में न जाना पड़ता तो उनको भी वह शिक्षा न मिल पाती । हमारे कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा था और हमारे धार्मिक लोग भगवान कृष्ण को नट नागर कहते हैं ।

(लालबत्ती होने पर) मैं २ मिनट और चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---२ मिनट के लिये तो यह है ही ।

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्रियों को अब नगरों को छोड़कर गांवों म जाना चाहिये और वहां की दशा को देखना चाहिये । आजकल लेखपालों की बहुत शिकायतें आती ह लेकिन म समझता हूं कि वह सब निराधार हैं । हम यहां जो बैठे हैं तो वह सैद्धान्तिक औषधि ही कर सकत हैं । लेकिन यह काम गांवों में करना चाहिये । हम तो सारे प्रदेश को एक दृष्टिकोण से ही देख सकते ह । सीलिंग की बात है तो वह उत्तर प्रदेश में साढ़े १२ एकड़ या ३० एकड़ निर्धारित करने की बात है लेकिन दिल्ली की ओर से जो बात आ रही है ३,६०० रुपये की आमदनी की तो उससे तो हमारी सीलिंग की परिधि बढ़ जायगी और वह ५० एकड़ भी हो सकती है । इसलिये मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं ।

जहां तक सहकारी खेती की बात है तो यह ऐसी बात नहीं है कि भारतीय संस्कृति में ऐसी बात नहीं है । एक मंत्र इस प्रकार है कि .—

"सहनाववतु सहनौभुनक्तु, सहवीर्य कर्वावहै ।
तेजस्विना वधीतमस्तु, माविद्विषा वहे । । "

कहने का तात्पर्य यह है कि साथ-साथ आओ, साथ-साथ भोजन करो, साथ-साथ श्रम करो, तेजस्वी बनो और स्वार्थी मत बनो । हमारी भावना ऊंची होनी चाहिये । इस समय हम सहकारी खेती कर सकते हैं यद्यपि कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—अध्यक्ष महोदय, जमींदारी तो खत्म हो गई लेकिन किसान का लगान बदस्तूर चला आता है । लगान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसकी वसूलयाबी में किसान के ऊपर और ज्यादा सख्ती हो गई है । जमींदार के जमाने में किसान से लगान वसूल करने में ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाती थी । लगान २-२ वर्ष बकाया पड़ा रहता था । लेकिन आज के जमाने में इस सरकार के टाइम में किसान पर अगर एक रुपया भी बाकी रह जाता है तो वारंट के जरिये हवालात जाना पड़ता है । उसमें किसान का बड़ा अपमान होता है । पहले जितनी मालगुजारी ली जाती थी उससे अब कई गुना लगान सरकार किसान से वसूल करती है । सरकार ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है और इससे किसान का बड़ा अहित किया है । किसान से उतना ही लगान लेना चाहिये जितनी मालगुजारी पहले जमींदार से ली जाती थी । जमीनों पर लगान एक रेट से वसूल नहीं किया जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि लगान के सब रेट एक कर दिया जाय । भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी कई किस्म के किसान कर दिये गये हैं । जब एक सरकार है तो सब किसान भी एक ही प्रकार के होने चाहिये । लगान वसूल करने में सख्ती बरती जाती है । लगान वसूली में गरीब किसान से एक आना फी रसीद लिया जाता है । यह आम तौर से शिकायत है ।

जमींदारी खत्म हो गयी लेकिन टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, पहाड़ी इलाका अभी तक उसका शिकार बना हुआ है । श्रीमन्, यही नहीं बहुत से मुकदमों पर अमलदरामद करने के लिये हुक्म हो जाता है लेकिन वर्षों तक वे पड़े रहते हैं । अमलदरामद नहीं होता है । काश्तकार मर गया लेकिन वारिस का नाम ५-५ वर्ष तक नहीं चढ़ाया जाता है । १३५९ फसली के काश्तकारों में बहुत से ऐसे खाते हैं जिन काश्तकारों को अब तक १३५९ फसली के कानून के मुताबिक अधिकार नहीं दिया गया है । किसानों की हालत आज दिन व दिन खराब होती जा रही है । इसको संभालने के लिये चकबन्दी की बहुत आवश्यकता है लेकिन सीलिंग पहले कर दी जाय । बाद में चकबन्दी की जाय, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होगा । सीलिंग का एक वसूल बनाया जाय । गोहानी जमीन एक काश्तकार को ५ एकड़ से ज्यादा न दी जाय । दूमट और मटियार जमीन ६० बीघे से ज्यादा न दी जाय और भूड़ २० एकड़ से ज्यादा न दी जाय । गांव पंचायतों में खतौनी और खसरे की नकल रखी जानी चाहिये जिससे वे किसान अपना इंदराज देख सकें । गांव पंचायतों को लगान वसूल करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिये । माननीय मंत्री ने यह फरमाया कि अगर पंचायतें अपना टैक्स नहीं वसूल कर पाती हैं तो लगान कैसे वसूल कर पायगी ? मेरा निवेदन यह है कि यह बात गलत है । लगान लोग इसलिये

जल्दी दे देते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक जमीन से है । वह सोचते हैं कि अगर लगान नहीं देंगे तो कहीं बेदखल न हो जायं । यह भय हमेशा बना रहेगा और वह अपना लगान हमेशा अदा करते रहेंगे । गांव पंचायत जो लगान वसूल कर उसका ८० प्रतिशत उसी गांव पंचायत को छोड़ दिया जाय जिससे उस गांव की बहबूदी होगी । वहां की सड़कें और कुएं आदि बनाने के काम में आयेगा ।

एक कानून बना करके जो किसी भूमि पर ३ साल से काबिज है उसको उस जमीन का अख्तियार दिलाया जाय वरना अगर सीलिंग हो जायगी तो उनका अधिकार नहीं मिल पायेगा । श्रीमान्, चकबन्दी जो की गई है उसमें यह खयाल रक्खा जाय. . . . . .

श्री अध्यक्ष—आपका भाषण सुनाई नहीं दे रहा है । आप चकबन्दी को भी श्रीमान् कह रहे हैं । श्रीमती कहिये तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री भूपकिशोर—श्रीमन्, सीलिंग जरूर की जाय और जल्दी से जल्दी की जाय । साथ ही साथ पूंजीपतियों और सरमायेदारों की आमदनी पर भी सीलिंग किया जाना चाहिये । बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर भी सीलिंग की जानी चाहिये । अगर इनके ऊपर सीलिंग नहीं की जायगी तो एक तरफ पक्षपात होगा । सरकार को चाहिये कि जितने बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले आदमी हैं उनकी तनख्वाह के लिमिटेशन बहुत जल्दी कर दें । श्रीमान, किसानों पर लिमिटेशन करें तो बड़े बड़े सरमायेदारों और मिल ओनरों पर सीलिंग करना बहुत आवश्यक है ।

श्रीमान्, मुझे एक और शिकायत है । गांव पंचायतें बड़ी सख्ती गांव निवासियों के साथ कर रही हैं । यहां तक देखा गया है कि कुछ मिट्टी भी अगर कोई स्त्री लेने जाती है तो उसका भी कहीं-कहीं गांव पंचायतों ने चालान कर दिया है । इसको खत्म करने के लिये जल्दी से जल्दी जी० ओ० भेजा जाय कि ऐसे चालान न किये जायं ताकि गांव वालों को मिट्टी वगैरह लेने में सुविधा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—अब अगर समाप्त हो गया हो तो पैरों को कष्ट मत दीजिये ज्यादा ।

श्री भूपकिशोर—मैं इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुदान ह और इस पर तरह तरह की विचारधाराय लोगों न प्रकट की हैं । यह सही है कि भ्रष्टाचार यदि समाज में है तो उसका दर्शन हमें सरकारी कामों में भी मिलेगा । लेकिन अब आप इस पर भी गौर कीजिये कि जिस व्यक्ति के सुपुर्द यह विभाग है उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कितना परिश्रम किया है और यदि ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द यह विभाग न होता तो भ्रष्टाचार अपनी किस सीमा पर होता, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है । इसलिये अच्छा काम करने वाले को तो उस तरफ से बधाई मिलनी ही चाहिये ।

श्रीमन्, आपके द्वारा एक समस्या की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ग्राम समाज जिनकी तादाद लगभग ७०,००० के ऊपर होगी और जो अपनी जगह पर जमीन को उठाने के लिये स्वतंत्र हैं उनसे जो मुसीबत पैदा हुई है किसानों को उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कल ड्रेनेज के मामले पर विचार हुआ था, मेरा कहना यह है कि ७० हजार ग्राम समाज अपने यहां जमीनों को उठाती हैं और यदि आप एक ग्राम समाज में एक ऐसे स्थान को मान लें कि उसको उसने उठाया होगा जिस पर पीछे के १०-२० गांवों का पानी बह कर जाता हो और उसने उसको उठा दिया तो पानी के निकास में एक रुकावट पैदा हो जाती है ।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

यदि ७० हजार स्थान इस तरह के प्रदेश में बन जांय तो अपने आप ही पानी की एक समस्या खड़ी हो जाती है । तो इस वजह से ड्रेनेज बनने चाहिये और इस पानी के निकास की तरफ भी ध्यान दिया जाय । इस तरह से भी इसको सोचा जाय कि वह इस तरह की समस्या बन गई है जिससे आज गांव की जमीन जलमग्न होती है और कृषि की पैदावार पर उसका असर पड़ता है और फिर लगान में छूट मांगी जाती है और लगान में भी आप छूट देते हैं तो लाखों रुपये का नुकसान इससे होता है । मेरी प्रार्थना है कि ग्राम समाजों पर नियंत्रण करने के लिये पी० सी० एस० का एक व्यक्ति प्रत्येक जिलेवार मुकर्रर करे और वह ग्राम समाजों का निरीक्षण करे और यदि इस तरह के गलत काम ग्राम समाजों ने अपने-अपने स्वार्थ हित में कर रखे हैं जिससे जनता का अहित हो रहा है तो उस पर कुछ न कुछ रोक लगनी चाहिये । यह मेरा सुझाव है ।

सहकारी खेती के बारे में भी बहुत सी बातें यहां पर कही गईं । उस विषय पर मैं लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन जब मैं "गरीबों को मदद मिले" यह नारा सुनता हूं उनसे जिन्होंने अभी तक गरीबों का शोषण किया है तो मेरा जी जरूर चाहता है कि उस पर भी कुछ अपने विचार प्रकट करूं । श्रीमन्, सहकारी खेती अच्छी हो या बुरी यह तो परीक्षण होगा ही और अपने आप यदि वह चीज अच्छी होगी तो जाहिर होकर रहेगी, लेकिन मैं आपके द्वारा उस विचार को व्यक्त करना चाहता हूं जिसके सिलसिले में हम इस सदन में सुनते हैं कि अपने आप ही सरकार का नियंत्रण अपने ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं । उदाहरण के तौर पर उस तरफ के बैठने वाले भाई इससे इन्कार नहीं करेंगे कि उन्होंने गांव के अन्दर वह फिजां पैदा कर दी है जिस फिजां के तहत में आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करने लगा है कि हमें कुछ नहीं करना है । सरकार को ही सब कुछ करना है । यदि यह भावना जोर पकड़ी और सरकार ही सब कुछ करे इस विचारधारा को लेकर चले और गांव वालों ने इसको मान लिया तो फिर वे ही सरकार का नियंत्रण अपने ऊपर लाने के भागीदार होंगे । इस तरफ के बैठने वाले भाइयों में भी ऐसे हैं । मैं इसको छिपाता नहीं हूं । उनको भी वोट का लालच है । उनसे भी उनके निर्वाचन क्षेत्र का वोटर यदि कुछ कहता है तो हम साफ जबाव नहीं देते । हमको इस बात का डर है कि हमारे इन भाइयों को वोट नहीं मिलेगा । उस तरफ बैठने वालों का तो यह पेशा ही है चाहे जिस तरह से हो असन्तोष बढ़ायें और उस असन्तोष को बढ़ाकर सरकार की कुर्सी पर कब्जा कर लें । इन विचारों के तहत में ही आज यह नारा बुलन्द हो रहा है कि यह सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण बैठाने वाली है । इस बात को आप ईमानदारी से सोचें और विचार करें । यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि सहकारी खेती न हो तब यह मानना पड़ेगा कि आप इसके विषय में अपनी शंका रखते हैं । यदि कोई योजना इस विषय में यहां पर चलाई भी गई तो उसमें आपका विरोध होगा कि आप सहकारी व्यवस्था को यहां पर नहीं चाहते हैं ।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि हम अपने कर्त्तव्य में सजग नहीं हुये तो इससे हमारा नुकसान होगा और धीरे-धीरे सरकार का नियंत्रण बढ़ता चला जायगा । एक सज्जन ने यह कहा कि बरवारी प्रथा सरकार ने समाप्त कर दिया तो बुरा किया । क्या हमेशा जरायम पेशा करने वालों के साथ रियायत जारी रखना सरकार के लिये अच्छी बात होती ? यदि जरायम पेशा को मिटाना है और बरवारी प्रथा को मिटाना है और उनको ऊंचे उठाना है तो क्या इस चीज को कायम रखना उचित है ? यदि वह फिर भी इसको कायम रखना चाहते हैं तो मैं अधिक नहीं कहता....

श्री गंगाप्रसाद---मैं यह कह रहा था कि बरवारी प्रथा खत्म कर दी जाय ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत इस दिशा में जिले से आये उसकी जांच जरूर कराई जाय लेकिन मेरी प्रार्थना इस जांच के मामले में यह है कि उसमें और अधिक तत्परता दिखाने की आवश्यकता है । यदि इस ओर

तत्परता दिखाई गई तो भ्रष्टाचार बिलकुल ही उन्मूलित हो जायगा और विभाग में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा क्योंकि इस सिलसिले में मैं यह बयान भी कर देना उचित समझता हूं कि जिस व्यक्ति के सुपुर्द यह विभाग है उनके सुपुर्द ट्रान्सपोर्ट था और अब नहर का विभाग है। आप देखें कि ट्रान्सपोर्ट के कई कर्मचारी मेरे पास आये और यह कहने लगे कि चौधरी साहब के हाथ से यह विभाग कब निकलने वाला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग पर उनका कितना कंट्रोल है और यदि इसी तरह का कंट्रोल मंत्रियों में से हर व्यक्ति अपने विभाग पर करने लगे, अपने कामों पर करने लगे तो मैं समझता हूं कि किसी को भ्रष्टाचार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह स्वयं ही समाप्त हो जायगा। इस कथन के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव क समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत संक्षप में अपनी बात निवदन करनी है। माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान मैं इस प्रदेश के रेवेन्यू ला की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। क्योंकि इसीलिये यह समय मैंने पाया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सन् १९५२ में जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पास हुआ उसके बाद से लेकर १९५८ तक जितने अमेंडमेंट, जितनी तरमीमें जमींदारी एबालिशन ऐक्ट और उसके रूल्स में हुईं उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू ला बिलकुल अनिश्चित हो गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में इस कदर ज्यादा मुकदमेबाजी हुई कि आज भी ८ साल के तजुर्बे के बाद भी जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट या उसके अन्तर्गत जो रूल्स हैं उनमें इतनी ज्यादा कंट्रोबर्सीज, झगड़े हाईकोर्ट और बोर्ड आफ रेवेन्यू के बीच जुडिशियल आफिसर्स के सामने आते रहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता और नतीजा यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश का किसान मुकदमेबाजी के सिलसिले में अपना लाखों करोड़ों रुपया व्यय किया करता है। अभी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में तरमीम हुई थी लेकिन आज भी वह परिस्थिति साफ नहीं हो सकी है कि जो सिविल कोर्ट से मुकदमे रेवेन्यू कोर्ट में भेज दिये गये थे या रेवेन्यू कोर्ट से सिविल कोर्ट में भेज दिये गये थे वह मुकदमे किस कोर्ट में चला करेंगे। नतीजा यह होता है कि अगर कोई किसान ३ बीघे का मुकदमा लड़ना चाहता है तो इस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के रेफरेंस में उसे ५, ५ साल तक लड़ना पड़ता है और २, ४ या ५ हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। तो रेवेन्यू ला को आज स्टैबलाइज होने की जरूरत है। यह सरकार का काम होना चाहिये। पहले हमेशा इस समस्या पर विचार किया गया और देश के जो मनीषी और विचारक थे उन्होंने इस पर विचार किया और सरकार को इसका जाती तजुर्बा हुआ। आज की परिस्थिति यह है कि आज भी रेवन्यू ला की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि कल रेवेन्यू ला में कौन सी तरमीम आ जायगी।

एक बात और निवेदन कर दूं। इसका दूसरा नतीजा यह हुआ कि कानून की पोजीशन चूंकि साफ नहीं रही इस वजह से लिटीगेशन बराबर बढ़ता चला गया। पहले यहां के लोगों ने इस बात का स्वागत किया कि एक ही जगह सब मुकदम होने लगें और सभी माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी अपनी बात कही, राय जाहिर की। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आखिर इस रेवेन्यू से जुडीशियरी से मतलब क्या? यह तो कुछ समझ में आता ह कि जुडीशियल आफिसर की स्टेज पर रेवेन्यू के मुकदमें हों, लेकिन ऐडीशनल कमिश्नर जगह जगह मौजूद हैं। उनकी वजह से जो जमीन की बाबत मुकदमे लड़ते हैं उनके सामने बड़ा भारी खर्च आता है। हर जिले में सिविल जज मौजूद हैं। कोई वजह नहीं है कि जुडिशियम आफिसर्स के यहां फैसलों की सिविल जजेज के यहां अपील न हो। या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां ही यह फैसले करने की व्यवस्था क्यों न कर दी जाय। अगर यह कर दिया जाय तो मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो जमीन की बाबत मुकदमे लड़ते हैं, उनका २,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

४ करोड़ रुपया जरूर बच जायगा। रेवेन्यू जुडिशियरी के किसी जमाने में यह बात मानी जाती थी कि एक सिविल कोर्ट डिवीजन में है और नीचे के स्तर पर कुछ जुडिशियल आफिसर्स हुआ करें और फिर रेवेन्यू बोर्ड हुआ करे। मेरा खयाल यह है कि जिले के स्तर के अलावा हायर स्टेज पर जुडिशियरी की जरूरत नहीं है। और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में उस तरह की तरमीम लानी अत्यन्त आवश्यक है। मैं विश्वास दिलाता हूं मन्त्री महोदय को, अपने रोज-मर्रा के तजुर्बे की बिना पर कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह से बहुत बड़ा लाभ होगा।

दूसरी बात श्रीमन, लैंड रिकार्ड्स की बाबत कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के लैंड रिकार्ड्स बावजूद आन्दोलनों के, बावजूद इस बात के कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास हो गया, ग्राम समाज मैनुअल बन गई, इन सब बातों के बावजूद भी आज अत्यन्त शोचनीय अवस्था में हैं। जो आंकड़े मन्त्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, यह जो सन् १९५८ की "एक्टिविटीज आफ दि रेवेन्यू डिपार्टमेंट" है, उससे मालूम हुआ कि १७ फीसदी विधायकों ने अपने क्षेत्र में देखा, पड़ताल किया और १० फीसदी गल्तियां देखीं। तो १७ फीसदी और वह भी अपने क्षेत्र में केवल ५ गांवों में पड़ताल की और किसी एक निश्चित स्थान पर केवल ५० नम्बर देखे तो उससे यह मालूम हुआ। कागजात की दुरुस्ती के सिलसिले में खतौनी के इन्दराज के कोई माने नहीं हुआ करते। खतौनी तो टाइटिल कागज हुआ करता है। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि १० फीसदी इन्दराजात गलत हैं तो इसके माने यह हुये, अगर किसी गांव में ५०० खाते हैं जो उसमें ५० खातों के मुताल्लिक इन्दराज गलत हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह फीगर आती है। आज इन आन्दोलनों के बावजूद, ग्राम समाज की मैनुअल के बावजूद ५० फीसदी इन्दराजात गलत है, इसलिये इन कागजात को दुरुस्त करने की बड़ी भारी जरूरत है। अगर यह कह दिया जाय कि लेखपाल के जरिये से कागजात दुरुस्त होंगे तो यह किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगा। लेखपालों के भ्रष्टाचार की बाबत कई माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन मैं मन्त्री जी की जानकारी के लिये एक नये तरह की बात पेश करना चाहता हूं और वह यह कि लेखपाल साहब जमीन जुटाये हुये हैं, वे ग्राम समाज की परती जमीन को जोत दिया करते हैं और कागजात में बदस्तूर वह परती लिखी रहती है और लगान भी वसूल किया करते हैं। ऐसे लेखपाल साहब एक दो फसलों में ३,००० रुपये वसूल करते हैं और कागजात खसरा खतौनी में बराबर वह परती लिखी होती है। और जब कोई लगान देने से गुरेज करता है तब लेखपाल महोदय ११५ सी की रिपोर्ट करते हैं वरना बराबर पुराने जमींदारों की तरह उसको हथियाये रहते हैं। इसके उदाहरण मेरे जिले में मौजूद हैं और हर जगहों पर मौजूद हैं इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेखपालों का जो यह नये तरह का भ्रष्टाचार है इसका कोई चेक नहीं हो सकता, इसका केवल श्रीमन्, एक चेक हो सकता है कि लेखपाल के कागजों में खासतौर से खसरा और खतौनी की ३ कापीज बनी चाहिए। एक कापी लेखपाल के पास हो, एक कापी ग्राम समाज में हो और एक कापी तहसील में हो। और अगर कोई अमेंडमेंट खसरे में खाना कैफियत या किसी दूसरे खाने में कराना हो तो वह तरमीम ग्राम समाज में आफिशल तरीके से तहसील में भेजी जाय तभी उसका इलाज हो सकता है वरना कभी इस बात का पता ही नहीं चल पायेगा कि पटवारी ने खसरे में "ए" कर दिया या "बी" कर दिया या किसी को साझीदार कर दिया, कोई पता नहीं चल पायेगा। लेकिन ग्राम समाज से भेजने पर जो वाकई फैवट होगा फौरन उसका पता चल जायेगा। और फिर लेखपाल भी डर की वजह से फर्जी इन्दराज नहीं करेगा।

इसी सिसिले में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि तकावी लेने जब लोग तहसील में जाते हैं तो तहसील वाले कहते हैं कि लेखपाल से लिखाकर लावो कि इतनी जमीन है। तो जब खतौनी की नकल तहसील में भी मौजूद है तो फिर यह जो गांव में परेशानी उठानी पड़ती है, बार बार लेखपाल के पास जाना पड़ता है, वह तहसील में ही मिल जायगी और तकावी के सिलसिले में कोई दिक्कत नहीं हुआ करेगी।

श्री चरणसिंह—मैं एक बात साफ कर दूं कि आज गांव के सभापति को यह अधिकार है कि जो किसान चाहे उसको वह एक्सट्रक्ट दिलवा दे लेखपाल से ८ आन अदा करने पर और अगर १५ दिन के अन्दर उसको नकल न मिले तो उसकी शिकायत की जा सकती है। अगर गांव के सभापति इस बात का फायदा नहीं उठाते तो उसके लिये क्या किया जाय।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के लेखपाल अपने आप को सभापति का आफिसर समझते हैं। ग्राम समाज की कमेंटी के सिलसिले में वह सभापति से सारा का सारा कागज छीन लेता है। प्रोसीडिंग अपने आप लिखा करता है। अगर लेखपाल सभापति की शिकायत कर दे तो डिप्टी साहब को अख्तियार दे दिया गया है ग्राम समाज मैनुअल में और पंचायत राज्य ऐक्ट में भी, कि उसे डिसमिस कर दे। ऐसी सूरत में आज ग्राम समाज और ग्राम सभा के सभापति की बड़ी जिल्लत है, वह लेखपाल के मातहत बना दिया गया है। कानून में इस तरह का विधान मौजूद है जैसा कि मंत्री जी कहते हैं मगर रोजमर्रा होता क्या है? रोजमर्रा के लिये जरूरी है कि ग्राम समाज के सभापति को अधिकार होना चाहिये कि अगर वह किसी लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट करदे तो लेखपाल फौरन सस्पेंड हो। ऐसी सूरत में जरूर सही तरीके से इन्तखाब मिल सकता है।

मंत्री जी की जानकारी के लिये एक बात और निवेदन कर दूं। लेखपाल हुआ करता है ग्राम समाज का सेक्रेटरी। मैं एलानिया कहना चाहता हूं कि ११५–सी के मुकदमें जितने चलते हैं उनमें ९९फीसदी ग्राम समाज के सेक्रेट्ररी लेखपाल के दस्तखत से चला करते हैं और ग्राम समाज में उनका रेफ्रेंस भी नहीं होता। ग्राम समाज ११५–सी के मुकदमें में कोई भाग नहीं लिया करता बल्कि यह अधिकार लेखपाल को है। नतीजा यह होता है कि ग्राम समाज के सभापति और सदस्यों को उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। २०० और १००, १०० रिपोर्ट लेखपाल तहसील में जाकर एक बार में कर आता है। होना यह चाहिये कि ११५–सी का मुकदमा तब तक नहीं चलेगा कि ग्रामसमाज का सभापति लेखपाल की रिपोर्ट को काउन्टर-साइन न करदे। यह बात जरूरी है कि ग्रामसमाज में इस बात का रेजोल्यूशन होना चाहिये।

लैंड रेवेन्यू की वसूली के बारे में मेरा सुझाव है कि इस तरह का विधान होने से कि अगर कोई कास्तकार अपनी मालगुजारी स्वयं जाकर ग्रामसमाज में जमा करदें तो उसे एक निश्चित छूट दी जायगी, मैं अपने जिले के लिये, झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर के लिए कह सकता हूं कि ९० फीसदी मालगुजारी ग्रामसमाज में जमा हो जाया करेगी। मैं अमीन की तारीफ या बुराई करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मगर एक व्यवस्था का प्रश्न है और अगर ऐसा हो जायगा तो ग्रामसमाज के पास धन भी आ जावेगा। किसान को भी सुविधा होगी। बाजार में अपना अनाज बेच आकर वह ग्रामसमाज में अपना रुपया जमा करके रसीद ले सकता है। वह उस जिल्लत और परेशानी से बच सकता है जो कि अमीन साहब के जरिये उसके बैल वगैरह कुर्क होकर होती है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और मौजूदा अनुदान के समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस समय भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विषय में बहुत सी बातें कही गयीं। वास्तव में इसका हमारी खाद्य समस्या से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। हमारी सरकार ने पहले से ही यह विचार किया है कि वास्तव में जो खेतों को जोतने वाला है उन्हीं को खेत मिलें, उसी आधार पर शिकमियों का कानून बनाया गया है लेकिन उस स्कीम का फायदा बहुत कम लोगों को मिल पाया है। उसका कारण यह था कि बहुत से लोगों ने चालाकी से उनकी खेती निकाल ली। आजकल हालत यह है कि लोग न तो शिकमियों को खेत देते हैं और न अधाई पर ही देते हैं और न स्वयं ही खेत जोतते बोते हैं। अगर उनके पास ५० एकड़ है तो केवल १०–२० बीघा जोतते हैं और बाकी भूमि इसी प्रकार बेकार पड़ी रहती है। इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय

[श्री माताप्रसाद]

पैदावार में बड़ी क्षति पहुंच रही है। इन्ही सब बातों पर बिचार करके योजना आयोग ने यह विचार किया कि भूमि की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय। जो वास्तव में खेती कर सकते हैं वही खेती के हकदार हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका बहुत विरोध किया।

इस समय हमारे दुर्भाग्य से कुंवर श्रीपालसिंह जी यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने भूमि की सीलिगं के विषय में यह बताया कि सभी लोगों के पास १-१/४ एकड़ भूमि ही रह जायगी और लोगों की आमदनी केवल १०० रुपया वार्षिक होगी। शायद उन्होंने सीलिंग की परिभाषा को समझने में गलती की। सीलिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास एक निश्चित सीमा से ऊपर जमीन है वह लेकर दूसरे बेजमीन लोगों को दे दी जायगी जो पैदा करते हैं लेकिन जिनके पास कोई जमीन नहीं है। हमारे देश में बार-बार खेतिहर मजदूरों का प्रश्न उठता रहा है। उनको यह जमीन दी जायगी। जहां तक सरकार का प्रश्न है तथा दूसरी पार्टियों का सम्बन्ध है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही नहीं जनसंघ पार्टी भी सीलिंग के फेवर में है। केवल मतभेद यह है कि उसकी मात्रा कितनी हो। जनसंघ का यह मत है कि ३० एकड़ हो। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसके बारे में कहा कि हमारे प्रदेश में कई किस्म की जमीन है इसलिये उसकी अवस्था के लिहाज से हर जगह अलग-अलग सीलिंग मुकर्रर की जायगी। इसलिये पैदावार में वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि जमीन की सीलिंग की जाय।

दूसरी बात यह है कि लोगों ने कहा कि भूमि के रिकार्डस में बहुत गड़बड़ी है फिर से ठीक किये जायं। हमार जौनपुर जिले में रिकार्ड्स १८८४ ई० के हैं, वहां तो बहुत ही ज्यादा गड़-बड़ी है। कहीं पर मकान बना हुआ है और कहीं लिखा हुआ है खेत, कहीं कुआं लिखा हुआ है वहां है बाग और कहीं पर रास्ता लिखा हुआ है तो वहां खेत जोता जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां के रिकार्ड्स को दुरुस्त करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाय। इन रिकार्ड्स की गड़-बड़ी का ही कारण है कि वहां पर बहुत मुकदमेंबाजी चल रही है और जब तक यह रिकार्डस् ठीक नहीं होंगे मुकदमेबाजी चलती ही रहेगी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में भी जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी हो रही है, उसके सम्बन्ध में दो बातें कह देना चाहता हूं। यों तो पहले चकबन्दी में जितनी गड़बड़ी थी वह अब बहुत थोड़ी सी रह गयी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शाहगंज में बड़े गांव के पास गौसपुर एक गांव है, वहां की चकबन्दी में वहां के ए० सी० ओ० ने बड़ी गड़बड़ी की ह। वहां ३, ४ काश्तकारों ने पहले से अपना चक बना रखा था लेकिन ए० सी० ओ० ने उस चक को गड़बड़ कर दिया। एक कुआं और एक हरिजन का बना हुआ मकान उसने दूसरे के चक में दे दिया।

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तिगत कोई बात न कहें।

श्री माताप्रसाद—मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि इस तरह की गड़बड़ियां वहां की गयीं और बाद में मैने यहां पर डाइरेक्टर महोदय को लिख कर पूरी कथा भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसका मुझे अफसोस है।

दूसरी बात मुझे नागरक्षेत्र जमींदारी के विषय में कहनी है कि हमारे जिले में मछलीशहर एक कस्बा है, वहां की जमींदारी न तो टूटी है उसी से मिला हुआ एक कस्बा घिसवापुर फगुई है वहां की न तो जमींदारी टूटी है और वहां की जितनी भूमि है वह अभी तक उन्हीं के अधिकार में है। वहां के गांव समाज को उससे कोई फायदा नहीं है। वहां का गांव समाज बिलकुल बेकार है और वहां की जमीन पर जो बहुत से लोग बहुत दिनों से बसे हुए हैं उनकी जमीन दूसरों के नाम जमींदार पट्टा कर देते है तथा उनके घरों के आस-पास और उनके दरवाजों पर जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कटवा लेते है और इस तरह से वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको वे बहुत परेशान करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे मछलीशहर के पास जो कस्बा घिसवापुर

फगुई है वहां के काश्तकारों के लिये कोई विशेष व्यवस्था करें जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। मान्यवर, हमारे जिले जौनपुर में एक और गड़-बड़ी हुई है कि बहुत से चालाक भूतपूर्व जमींदारों ने जो पहले से वहां रहते रहे हैं, उनके पास पुरानी रसीदें हैं और वे उन्हीं रसीदों को काट काट कर गांव समाज की जमीन का पट्टा दूसरों के नाम कर रहे हैं। वे गांव के लेखपाल से मिल कर उनको कुछ दे लेकर कागजात में तर-मीम करा लेते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी अव्यवस्था गांवों में पैदा हो गयी है। वहां के जमींदार लेखपालों को कुछ दे लेकर पुरानी रसीदें देकर पुरानी तारीखों में जब कि उनकी जमींदारी थी, वे उसका पट्टा कर देते हैं और इस तरह से वहां गड़बड़ी कर रहे हैं। इस प्रकार गांव समाज की जमीन बहुत सी निकलती जा रही है।

इसके अलावा एक बात और है जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि गांव समाज की जमीन बहुत से लोग १०, २०, २५ वर्ष से जोतते चले आ रहे हैं, लेकिन लेखपाल की गलती से कागज में उसका इन्दराज नहीं हुआ है। आज हालत यह है कि जिस गांव समाज का सभापति किसी पर खुश है वह तो जमीन जोतता रहता है, लेकिन अगर किसी से गांव समाज के सभापति नाराज हो गये तो गांव समाज मैनुअल के अनुसार उस पर मुकदमे चलाये जाते हैं चाहे वह भले ही वर्षों से उस जमीन को जोतता चला आ रहा हो। इसलिए माननीय मंत्री जी को चाहिये कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे ऐसे मामले न चलाये जायं।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—माननीय एवं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान भू-राजस्व के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है, उसमें कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने सर्वप्रथम अपने भाषण में किसानों के प्रति बनाये गये कानूनों का जिक्र किया। मैंने भी कुछ पिछले कानूनों को देखा है और सोचता हूं कि जो भी सरकारें बनीं अब तक न जाने क्यों समय समय पर केवल किसानों के कानूनों में ही नित्य प्रति परिवर्तन के काम किये, अपने लाभ के लिये ही कानून बना डाले। मालूम होता है कि किसानि-स्तान ही ऐसी जगह है जहां रोज कानूनी कटारी चल सकती है। राजस्व विभाग यदि ठीक हो जाय तो देश में बहुत कुछ सुधार हो जाय। सारे भ्रष्टाचार का यही आधार है राजस्व विभाग। गलत इंदराज पटवारी ने किया, उसके बाद कानूनगों ने कुछ कर दिया, फिर एस० डी० ओ० ने कुछ उसमें कलम चला दी, उसके बाद झगड़े चले और सरकार के रेवेन्यू में आमदनी हुई। इसमें किसानिस्तान तबाह हो रहा है।

कहते हैं चकबन्दी करके अन्न की समस्या को हल करेंगे, लेकिन काम सब अशान्ति के हैं। खेतों के मामले में रोज झगड़े होते हैं। उसका एक ही सीधा इलाज है। यदि वास्तव में आप प्रदेश की स्थिति सम्हालना चाहते हैं तो वह सरकारी खेती का ही इलाज हो सकता है। सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर सुझाव दिये कि मौजूदा हालत में आप इतना कर सकते हैं कि जो अलाभकर जोतें हैं उनका लगान माफ करें। इसके बाद एक चीज और हो सकती है, यदि आप चाहते हैं कि किसानों का हित हो तो स्थायी चकबन्दी करा डालिये। सीमा से कुछ नहीं होगा, रोज झगड़े होंगे जब तक स्थायी चकबन्दी नहीं होती है।

श्री चरणसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थायी चकबन्दी क्या चीज होती है ?

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिये किसी गांव में जमीन का रकबा २,००० बीघा है तो आप उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब ५००-५०० का रकबा बांटकर उसकी चकबन्दी ५०,४० बीघे की स्थायी बना दीजिये और फिर सहयोगी समिति के द्वारा खती करा सकते हैं। यही एक हल है जिससे

[श्री रामसिंह चौहान वैद्य]

आप किसानों को रोज के झगड़ों से बचा सकेंगे । वरना यह बराबरी की भूख तबाह कर देगी और अन्न उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा । मुझे मालूम है आपने बड़े बड़े हल निकाले हैं, भूमि प्रबन्धक समिति, गांवसभा के सभापति को बड़े अधिकार हैं, लेखपाल भी ठीक कर सकता है, लेकिन मेरा अनुभव है किसी का खेत है कोई नेता जी चले गये और एक आदमी को बरगला दिया किसी और के नाम कर दिया । मेरे अपने गांव की बात है मैंने, ठीक कराने की कोशिश की तो कहते हैं कि साहब अगर ऐसे ही कोई चीज ठीक हो जाया करे तो और लोगों का कैसे पेट पालन होगा । तो इस प्रकार के मजाकिया उत्तर मिल जाते हैं । यह तमाम तमाशा चल रहा है । इसके उपर यह भू-राजस्व विभाग और उसकी नौकरशाही की नाकेबन्दी और चाकरशाही के चक्रव्यूह में किसान बुरी तरह से फंसता चला जा रहा है और उसको फंसाने के लिये तरह तरह के जाल बिछाये जा रहे हैं । जब तक कि आप स्थायी हल नहीं करते तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । आज देश में सबसे बड़ी मांग यह है कि भूमि-व्यवस्था ठीक होनी चाहिये । उसे स्थायी तौर पर कीजिये ।

जहां तक रिकार्ड्स की बात है कहा गया है कि शिकायतें हैं । १० फीसदी हैं या ८ फीसदी हैं या कुछ भी हैं । अगर गलतियां हैं तो उसकी वजह यही है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है । सब अपने हितसाधन में लगे हुये हैं । अगर आज हम चाहते ह कि हमारा प्रदेश फले फूले तो स्थायी चकबन्दी करने की जरूरत है फिर फ्रैगमेंटेशन लैंड पर नहीं होगा । आज कितनी जमीनें परती पड़ी हुई हैं । बाज बाज जगह तो झगड़ों की वजह से हजारों बीघे जमीन परती पड़ी हुई है । मेरी देखी हुई चीज है कि कितनी जमीन पानी में डूबी हुई है । किसी की एक बीघे है, किसी की २ बीघे है । अगर सामूहिक रूप से गांव समाज के पास वह जमीन होती तो सब मिल करके प्रयत्न करते, लेकिन इस तरह से कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है । इस तरह से तो जमीनें पड़ी हुई हैं और उनका कोई इन्तजाम नहीं है और आज कहते हैं कि सहयोगी समितियां बनाओ । चलेगा कहां से सहयोग ? इसीलिये मैं बराबर सहयोग पर जोर दे रहा हूं और स्थायी चकबन्दी और सहकारी समितियों पर जोर दे रहा हूं । आप मेरे सुझावों पर गौर कीजिये ।

इसके अलावा एक बात मैं आप के द्वारा और निवेदन करना चाहता हूं । मुर्थरअलीपुर एक गांव है । सी० ओ० और ए० सी० ओ० सब गये । सबने देखा है कि वहां भूमि डूब गयी है और वहां कोई खेती नहीं हो पायी है । सरकार को भी लिखा गया कि जब खेती नहीं हुई तो लगान नहीं लगना चाहिये, लेकिन उनपर लगान आज भी लगा हुआ है और वसूल हो रहा है । एक तो पहले से ही वह बाढ़ पीड़ित थे और नहर विभाग ने और भी वहां नहर काट दी और फिर उनसे लगान भी वसूल किया जा रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चीजों को रोकें । अगर पैदावार मर गयी तो लगान भी मर गया अगर इस सिद्धांत को छोड़कर फिलहाल आप इतना भी कर दें कि जो खेती करते हैं उनको राहत नहीं मिल रही है तो उनके लिये लगान माफ कर दें । तो काम बहुत कुछ बन सकता है ।

लेखपालों की बहुत शिकायतें आती है । वह तो आयेंगे ही जब तक रिकार्ड्स उनके हाथ में है । इसके लिये एक और इलाज हो सकता ताकि ये शिकायतें खत्म हो जायं । आपने जो भूमि प्रबन्धक समितियां बनाई हैं उनके अधिकारों को बढ़ा दीजिये और यह कर दीजिये कि जितने भी रिकार्ड्स जब ठीक किये जांय तो कम से कम दोनों फरीक वहां पर हों उनके सामने किये जायं । यह नहीं कि कानूनगो साहब से किसी नेता ने कह दिया तो उनके हक में रिकार्ड कर दिया गया या डिप्टी साहब से कह दिया तो उन्होंने बना दिया । आज उसी वजह से तो तीन तीन बीघे के

लिये रिट दाखिल करने पड़े हैं और पड़ रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का एक ही हल हो सकता है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे और किसानों को राहत पहुंचाने के लिये और प्रदेश को सुखी बनाने के लिये कोई स्थायी कदम उठायेंगे और रोज-रोज किसानिस्तान पर कुठारा नहीं चलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---अब श्री नागेश्वरप्रसाद जी, एक मिनट रह गया है, आप कल बोलियेगा ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगल दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२६ फरवरी, १९५९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५२ पर)

तालिका

फैक्ट्री का नाम
१—रजा बुलन्द शुगर कं० लि०, रामपुर (रजा फैक्ट्री) ।
२—रजा बुलन्द शुगर कं० लि०, रामपुर (बुलन्द फैक्ट्री) ।
३—गंगा शुगर कार्पोरेशन लि०, देवबन्द (सहारनपुर) ।
४—मेसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स, हरदोई ।
५—मेसर्स रामचन्द्र एन्ड सन्स शुगर मिल, बाराबंकी ।
६—मेसर्स सेक्सरिया शुगर मिल्स कं० लि०, बभनान, जिला गोंडा ।
७—बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, जिला बस्ती ।
८—पंजाब शुगर मिल्स लि०, घुघली (गोरखपुर) ।
९—अपर गैंजेज शुगर मिल्स लि०, शिवहारा ।
१०—अवध शुगर मिल्स, हरगांव, सीतापुर ।
११—धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर ।
१२—आर० बी० लक्ष्मनदास शुगर एन्ड जनरल मिल्स लि०, जरवलरोड, जिला बहराइच ।
१३—मेसर्स गनेश शुगर मिल्स कं० लि०, आनन्दनगर, गोरखपुर ।
१४—अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, शामली (मुजफ्फरनगर) ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तांरकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५४ पर)

प्रकाशनों का विवरण

सस्ती पुस्तिका---बृजभूमि, इलाहाबाद, केदार बद्री यात्रा तथा बुद्ध तीर्थ पर ।

उच्चकोटि पुस्तिका---वाराणसी, गढ़वाल तथा नैनीताल पर ।

पुस्तिका---अलमोड़ा, रानीखेत तथा बद्रीनाथ केदारनाथ पर ।

पोस्टर---नैनीताल तथा वाराणसी पर ।

२---इसके अतिरिक्त पर्यटन केन्द्र, उप-केन्द्र तथा स्वागत केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर भी पुस्तिकायें प्रकाशित की गयी हैं :---

अयोध्या, गोंडा, आगरा, हरिद्वार, लखनऊ, मंसूरी, तथा कोटद्वारा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५५ पर)

व्यापारियों की श्रेणी		लाइसेन्स फीस की दर	
		कमी होने के पहले	कमी होने के बाद
		रु०	रु०
१—इम्पोर्टर (कपड़ा)	..	१०१	३०
२—इम्पोर्टर (सूत)	..	५१	३०
३—थोक व्यापारी (कपड़ा)	..	३१	३०
४—फुटकर व्यापारी (कपड़ा)	..	१०	८
५—फुटकर व्यापारी (सूत)	..	४	४
६—सेलिंग एजेन्ट (कपड़ा व सूत)	..	१२५	५०
७—कमीशन एजेन्ट (कपड़ा)	..	३५	२०
८—कमीशन एजेन्ट (सूत)	..	१५	१०
९—फेरी वाले	..	२	(लाइसेन्स से मुक्त कर दिये गये।)

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५७ पर)

क्रम-संख्या	जुडीशल आफिसर का नाम		कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
१	श्री रामकृपाल सिन्हा	..	२०-९-१९५६
२	श्री अवधेश नारायण	..	९-१२-१९५८
३	श्री रामेश्वरनाथ श्रीवास्तव	..	१४-३-१९५८
४	श्री बलराम सिंह		९-७-१९५६
५	श्री रणधीर सिंह	..	१८-१०-१९५८
६	श्री शिवनाथ शर्मा	..	२७-११-१९५८
७	श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा	..	१८-१२-१९५७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५८ पर)

तालिका 'क'

१–११–५८ को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया केन सेस का विवरण

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	केन सेस जो १–११–५८ को चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाना था
		(लाख रुपयों में)
१	सरदारनगर	१९.२०
२	पिपराइच	९.६०
३	सिसवाबाजार	४.३७
४	फरेंदा	३.०४
५	बैतालपुर	४.९७
६	देवरिया	४.४८
७	कैप्टनगंज	२.१५
८	खड्डा	१४.१०
९	छितौनी	२.१८
१०	लक्ष्मीगंज	७.०५
११	रामकोला (के०)	१०.१८
१२	रामकोला (पी०)	२.००
१३	पदरौना	९.८४
१४	कठकुइंया	७.२४
१५	मुंदेरवा	३.५७
१६	खलीलाबाद	२.०५
१७	नवाबगंज	३.४८
१८	जरवल रोड	८.७३
१९	बाराबंकी	५.४१
२०	शाहगंज	२.०२
२१	बिसंवा	२.५५
२२	महोली	२.००
२३	मसोधा	५.७७
२४	बरेली	१०.७७
२५	पीलीभीत	९.८५
२६	बिजनौर	७.९५
२७	धामपुर	४.६५
२८	देवबन्द	१६.९१
२९	सहारनपुर	१३.१०
३०	इकबालपुर	२७.८३
३१	मंसूरपुर	११.३३
३२	खतौली	१७.१३

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	केन सेस जो १-११-५८ की चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाना था
		(लाख रुपयों में)
३३	शामली	७.२६
३४	सरवोती टांडा	१.३६
३५	पन्नीनगर	७.०८
३६	काशीपुर	६.०८
३७	न्यूली	३.००
३८	अमरोहा	४.३६
३६	बिलारी	६.६१
४०	भटनी	२.६३
	योग ..	२६४.२४

तालिका 'ख'

१-११-५८ तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर केन यूनियनों के कमीशन की बकाया रकम का विवरण

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	केन कमीशन जो १-११-५८ तक मिलों द्वारा भुगतान नहीं हुआ
		(लाख रुपयों में)
१	सरवोती टांडा	०.४५
२	बुलन्दशहर	०.६२
३	खतौली	२.०५
४	मंसूरपुर	१.२७
५	सहारनपुर	१.०७
६	देवबन्द	१.५१
७	इकबालपुर	२.४७
८	बरेली	१.३२
६	अमरोहा	०.८६
१०	बिजनौर	१.५७
११	बिलारी	१.६८
१२	सिवहारा	०.५६
१३	धामपुर	०.४६
१४	काशीपुर	०.०४
१५	पीलीभीत	१.०६
१६	न्यूली	०.२८

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	केन कमीशन जो १-११-५८ तक मिलों द्वारा भुगतान नहीं हुआ
१७	गोला	०.०६
१८	महोली	०.२८
१९	बिसवां	०.२१
२०	बाराबंकी	०.०८
२१	मसोधा	०.०२
२२	शाहगंज	०.१६
२३	मुंदेरवां	०.६४
२४	नवाबगंज	०.५६
२५	जरवल	०.७०
२६	सरदारनगर	०.६६
२७	बैतालपुर	०.४३
२८	देवरिया	१.३०
२९	भटनी	०.६१
३०	छितौली	०.३०
३१	रामकोला (पी०)	०.५२
३२	रोसा	०.०३
३३	जसवन्त	०.०१
३४	बस्ती	०.१३
३५	लक्ष्मीगंज	०.०६
	योग ..	२४.४८

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६१ पर)

विवरण-पत्र जिसमें आजमगढ़ जिले के उन क्रय केन्द्रों का ब्योरा दिया हुआ है जो १९५८–५९ सीजन में चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करेंगे

क्रम-संख्या	गन्ना क्रय केन्द्र का नाम	
१	इन्दारा	(रेल सेंटर)
२	दीदार नगर	(रोड सेंटर)
३	अहरौला	,, ,,
४	खुरासान रोड	,, ,,
५	सारय मीर	(रेल सेंटर)
६	फरिया	,, ,,
७	रानी की सराय	,, ,,
८	जहानागंज	,, ,,
९	महमूदाबाद (गोहना)	,, ,,
१०	खुरहट	,, ,,
११	मऊ जंकशन	,, ,,

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६६ पर)

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९५८-५९ में अफीम की खेती के लिये निर्धारित भूमि के जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	नाम जिला	अफीम की खेती के लिए सरकार द्वारा निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल	विशेष विवरण
		(एकड़ों में)	
१	**गाजीपुर	१.०७	**यहां अफीम की खेती केवल परीक्षार्थ की जाती है।
२	फैजाबाद	२१३७.५०	
३	बस्ती	११३८.७५	
४	बाराबंकी	६५६३.००	
५	शाहजहांपुर	२५००.००	
६	बरेली	६२५०.००	
७	*लखनऊ	२.००	* यहां अफीम की खेती केवल परीक्षार्थ की जाती है।
८	देहरादून	२००.००	
	योग ..	१८७९२.३२	